खण्ड-290, अंक-1
सोमवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1893
(26 जुलाई, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 290 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३१
विक्री-कर विभाग की अधिसूचनायें (सदन के पटल पर रखी गयीं) ..	३१
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	३१
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७० (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	३१
गोरखपुर जिले में सेमराघाट से इलाहाबाद–गोरखपुर रोड तक एक सड़क के निर्माण के लिये याचिका (प्रस्तुत की गयी)	३१
अधिवेशन के चलते हुये राजस्व मंत्री द्वारा नीति सम्बन्धी वक्तव्य सदन के बाहर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गई)	३२
गोरखपुर काण्ड के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा दी गयी सूचना के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गई)	३२–३३
२३ जुलाई, १९७१ को श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा राज्य मंत्री, श्री उमादत्त शर्मा के विरुद्ध रिश्वत सम्बन्धी आरोपों पर राज्य मंत्री का स्पष्टीकरण ..	३३–४२
मथुरा राजकीय अस्पताल में भर्ती एक युवती के साथ अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बलात्कार करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	४२–४४
बंगला देश को मान्यता देने के बारे में मंत्रियों द्वारा सदन के भीतर और बाहर भिन्न मत व्यक्त करने के सम्बन्ध मे नियम ३०१ के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न	४४–४६
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ५––अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)	४६–४७
अनुदान संख्या ९––निर्वाचन ––(स्वीकृत)	४७
अनुदान संख्या १३––न्यायप्रशासन (स्वीकृत)	४७
अनुदान संख्या १७––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत) ..	४७–४८
अनुदान संख्या २६––नियोजन और समन्वय (स्वीकृत)	४८
अनुदान संख्या ४०––राजनैतिक पेंशन तथा भत्ते (स्वीकृत) ..	४८
अनुदान संख्या ४४––नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	४८–४९
अनुदान संख्या २७––श्रम तथा सेवायोजन (स्वीकृत)	४९–८७
नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनायें	८७–८९
नत्थियां	९०–९५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २६ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७६

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमा शंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपालसिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह कृष्ण, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायन मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री

वंशीधर, श्री
बंशीधर पांडय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
विशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बंजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भवगती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरनसिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री

रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अबुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री

विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री

श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीशचन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—श्री पी०डी० टंडन, राज्य सूचना मंत्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २६ जुलाई, १९७१

२२ जुलाई,७१ के स्थगित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१—[उत्तर दिनांक २२ जुलाई, १९७१ को दिया गया।]

चीनी मिलों पर गन्ना किसानों की वकाया धनराशि का भुगतान

**२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद), श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं), श्री लालसा (जिला आजमगढ़), श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर), श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा), श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा), श्री रामधारी शास्त्री, (जिला देवरिया), श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़), श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर), श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी), श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार का एक ऐसा परिपत्र हाल में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि चीनी मिल मालिकों से तत्काल भुगतान करायी जाय? यदि हां, तो उस परिपत्र का प्रारूप क्या है और इस वसूली के लिये सरकार क्या कर रही है तथा गन्ना उत्पादकों के बकाये की धनराशि कितनी है?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां। इस परिपत्र में जोर दिया गया है कि चीनी मिलों से गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने के मूल्य को निर्धारित समय के अन्दर दिलाया जाय और बकायादार चीनी मिलों से मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल किया जाये। परन्तु इस सिलसिले में प्रदेशीय सरकार कार्यवाही पहले ही से कर रही थी।

प्रदेश की समस्त चीनी मिलों पर सीजन १९७०–७१ एवं उसके पूर्व सीजनों का गन्ना मूल्य बकाया ३०–६–१९७१ तक की स्थिति के अनुसार क्रमशः रु० १,३६४.०१ लाख तथा रु० २,६२.३८ लाख अवशेष था।

उपरोक्त बकाया की वसूली के लिये की गयी कार्यवाही निम्न प्रकार है :—

(१) ४७ चीनी मिलों के विरुद्ध दिनांक ३०–६–१९७१ तक बकाये की स्थिति पर वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(२) बुलन्दशहर, अमरोहा, बुढ़वल, बाराबंकी, भटनी, रामकोला (खेतान), डोईवाला एवं खड्डा चीनी मिलें रिसीवर के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं।

(३) सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित चीनी मिलों की नीलामी की विज्ञप्ति, प्रकाशित कर दी गयी है :—

(१) बुलन्दशहर, (२) बुढ़वल, (३) बाराबंकी, (४) भटनी, (५) रामकोला (के), (६) अमरोहा। परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के विरुद्ध उक्त मिलों ने विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं।

बकाया गन्ना मूल्य आदि के भुगतान न करने से एक चीनी मिल के मालिक को राजस्व नियम के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया।

जिलाधिकारियों ने चीनी के बोरों, उन पर "मार्जिन" धनराशि और अन्य सम्पत्ति की कुर्की, जैसा आवश्यक हो, कर रखी है।

प्रदेश की चीनी मिलों ने ३०–६–१९७१ तक चालू सीजन (१९७०–७१) में कुल वाजिब गन्ना मूल्य रु० १०,०१९.७६ लाख रु० में से रु० ८,६५५.७५ लाख का भुगतान कर दिया गया था और उक्त समय तक रु० १,३६४.०१ लाख की धनराशि अवशेष थी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिन ४७ चीनी मिलों के विरुद्ध ३०–६–७१ तक बकाया की स्थिति में वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये, तो वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख क्या थी और जो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके सामने अन्य दूसरे मिल मालिकों के ऊपर कितने चार्जेज थे?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे कहां उठता है?

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह है कि ४७ चीनी मिलों के विरुद्ध इन्होंने वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये हैं ३०–६–१९७१ तक की बकाया स्थिति पर। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ३०–६–१९७१ तक बकाया की स्थिति थी उस पर वसूली के प्रमाण-पत्र किस तारीख को जारी किये गये?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि जिस किसी फैक्टरी का वह पूछें उसका मैं बता दूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ४७ फक्टरियों के खिलाफ रिकबरी के नोटिसेज जारी किये हैं उनमें से एक फैक्टरी के मालिक को जिसको उन्होंने सब से आखिर में लिखा है कि बकाया की वसूली में राजस्व नियम के अन्तर्गत बन्दी किया, तो ४७ के खिलाफ नोटिसज जारी किये और एक को बन्दी किया, तो जिसको बन्दी किया वह कौन है और बकाया ४६ के खिलाफ जब उसी प्रकार के नोटिसेज थे तो उनके खिलाफ वह ऐक्शन क्यों नहीं लिया ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

यह बिजनौर का मिल है जो बनारसी दास जी का है। यह ऐसा मिल है जिसको वीरेन्द्र वर्मा जी जानते होंगे कि काफी परेशानी पदा करता रहा है। तो उसको सरकार ने नहीं, बल्कि कलेक्टर ने बकाये की वसूली के लिये, जैसा कि राजस्व की बकाया वसूली की जाती है गिरफ्तार कर लिया है। बाकी पर कार्यवाही की जा रही है। यह कलेक्टर की ही डिस्क्रीशन पर था कि वह जैसा उचित समझें करें। उन्होंने ऐसा समझा कि पकड़े बगैर काम नहीं चलेगा तो उन्होंने ऐसा किया। यहां से कोई गिरफ्तारी का आदेश नहीं था। उनको यह आदेश था कि वह राजस्व की तरह से वसूल करायें। तो कलेक्टर राजस्व की तरह से कुर्की और अटैचमेंट वगैरह की कार्यवाही करते रहे हैं।

श्री रामगोपाल संड—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने अधिक बकाया वाले मिल मालिकों के मिल, सरकार ने नीलाम क्यों नहीं कराये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

बताया जा चुका है कि विभिन्न मिलों के खिलाफ विभिन्न तरीके की कार्यवाही की गई है और नीलाम के आदेश भी दिये गये हैं परन्तु वे हाईकोर्ट में जाकर स्थगन के आदेश ले आये। जो बकाये की धनराशि है उसकी वसूली के लिये हर प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जरवल मिल पर किसानों का कितना बकाया है और उसको सरकार कब तक वसूल करा देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह जरवल रोड फैक्टरी अण्डर गवर्नमेन्ट एग्रीमेंट चल रही है। इस पर २२ लाख रुपया बकाया है।

श्री रामधारी शास्त्री—

अकेले देवरिया की खड्डा शुगर मिल पर ४१ लाख रुपया किसानों का बकाया है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि कब तक उन को मिल जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, बराबर कोशिश की जा रही है। जैसा कि उत्तर से मालूम हुआ कि करीब करीब १० करोड़ रुपये से ऊपर बकाया था उसमें ८ करोड़ वसूल हो गया है तो बराबर कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं जल्द ही बकाये की वसूली हो जायगी।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंग कि जिन चीनी मिलों पर रिसीवर नियुक्त किये गये हैं उन पर रिसीवर नि ुक्त करने से पूर्व कितनी धनरार्शि बकाया थी और अब स्थिति क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जिन फैक्टरीज में रिसीवर नियुक्त किया गया है उनकी पहली और अब की स्थिति इस कार है। डोईवाला पहले बकाया थी २३.०६ लाख और अब है १९.०६ लाख। अमरोहा में भी रिसीवर नियुक्त किया गया है वहां बकाया थी ३४८.५१ लाख रुपया और अब भी उतनी ही बकाया है। बाराबंकी में २.७० लाख रुपया था और अब भी वह उतनी ही है। बुढ़वल शुगर मिल पर बकाया थी १७.७ लाख रुपया और अब भी उतनी ही है, भटनी मिल पर बकाया ५.५० लाख रुपया और वह अब भी उतनी ही है। रामकोला शुगर फैक्टरी पर बकाया थी ६.२४ लाख रुपया और अब ५.८९ लाख रह गई है। खड्डा शुगर मिल पर बकाया थी १०.८० लाख रुपया और अब भी वह उतनी ही है और बुलन्दशहर की मिल पर बकाया थी ३९.४१ लाख रुपया और अब वह ३९.३७ लाख रुपया रह गई है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की खड्डा शुगर मिल पर ४१ लाख रुपया गन्ने का किसानों का मूल्य बकाया है और गोरखपुर की सरदारनगर शुगर फैक्ट्री पर भी ७५ लाख रुपया बकाया है। इन दोनों मिलों से यह रकम दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ? और उसका क्या परिणाम निकला, यानी किसानों को वहां गन्ने के दाम मिले या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस खड्डा मिल में रिसीवर मौजूद था और अब नये आर्डीनेन्स के मुताबिक उसकी अवाप्ति कर दी गई है और हाईकोर्ट में मुकदमा भी है, सरदारनगर फैक्टरी ने कुछ खास रकम अदा की है और उनकी सारी शुगर और मार्जिन अटैच की गई है जिसके माध्यम से बराबर किसानों के दाम दिलाय जाते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह देखते हुये कि जिन शुगर फैक्टरीज के पास शुगर का स्टाक है उसके अगेन्स्ट उन्होंने बैंक से कहीं ज्यादा रुपया ले लिया है तो क्या सरकार ऐसी पालिसी अपनायेगी कि इन मिल मालिकों की व्यक्तिगत प्रापर्टी अटैच करा के किसानों का यह रुपया शीघ्र वसूल कराया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बैंकों द्वारा जो प्रापर्टी अटैच की गई है और इस संबंध में जो भी कोशिश होगी वह की जायगी। इसके अलावा जैसा कि आप देखते हैं इस साल काफी सख्ती बख्ती गई है और कानून के अन्तर्गत जहां तक सम्भव होगा उसको बरतने का हमारा इरादा है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मंसूरनगर फैक्ट्री जिला मुजफ्फरनगर पर किसानों का ४० लाख रुपया गन्ने का बकाया है उसको अदा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इस फैक्टरी को सेल्स टैक्स में छूट दी गई या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस फक्टरी ने हाईकोर्ट से स्टे आर्डर ले लिया है। इस पर ४१.५६ लाख रुपया बकाया है और स्ट ल आने के कारण वही स्थिति अब भी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४७ चीनी मिलों में से कितने उच्च न्यायालय से स्टे ले आये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

३० जून, १९७१ तक १३ मिलें थीं जो कि हाई कोर्ट से स्टे ले आयीं थीं।

कुंवर चन्द्र प्रताप नरायन सिंह (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री जी ने अभी सदन को बताया कि बिजनौर शुगर फैक्ट्री के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी पड़ी थी क्योंकि वे बहुत गलत तरीके अपनाते थे। तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि आज के युग में जबकि चीनी मिल मालिकों के पास पैसा नहीं हैं नियमों में यह संशोधन करेंगे जिससे कि मिल मालिक को बन्द किया जा सके। आजतक "अधिभार" शब्द नियमों में दिया हुआ है और उसमें मैनेजर बन्द हो जाता है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शंभूनाथ चौधरी---

मिल मालिकों पर अब तक बकाया होने के कारण जिन चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया है तो उस अधिग्रहण करने के बाद उनके साथ जो मुहाइदा किया गया उसका क्या आधार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्रीमन्, ये सारे केसेज हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, इसलिये आधार बताना अनुचित होगा।

(बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर और शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

इस अकेले प्रश्न पर १६ मिनट हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न होगा।

श्री कल्याण सिंह---

श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इस पर और प्रश्न नहीं किये जा सकते हैं तो नियम ५२ में चर्चा करा दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर दे दीजियेगा ?

वीरेन्द्र वर्मा शुगर राष्ट्रीयकरण कमीशन तथा मिलों के राष्ट्रीयकरण पर निर्णय

*३---श्री मोहम्मद असार अहमद (जिला बदायूं), श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर), श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली) श्री कल्याण सिंह, श्री राम गोपाल सण्ड, श्री सुखपाल पाण्डेय (बस्ती), श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून), श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द, (जिला बुलन्दशहर), श्री रामधारी शास्त्री, श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया), श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार ने वीरेन्द्र वर्मा शुगर राष्ट्रीयकरण कमीशन रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया है और शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण कब से करने जा रही है ? इस सम्बन्ध में कमिश्नर की रिपोर्ट तथा अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों की रिपोर्ट व केन्द्रीय सरकार के आदेश जो सरकार को प्राप्त हुये हैं, उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

सरकार ने वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में स्थापित चीनी उद्योग अभिग्रहण समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है। चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने की नीति इस सरकार की पहले ही से घोषित है और इस नीति को कैसे और कब कार्यान्वित किया जाय इस प्रश्न पर सरकार निरन्तर विचार कर रही है।

उपरोक्त समिति की रिपोर्ट अभी गोपनीय है और इसलिये इसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकती। केन्द्रीय सरकार से कोई आदेश इस संबंध में प्राप्त नहीं हुये हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार ने एक कमीशन अवश्य स्थापित किया है जो चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग को देखते हुये इस उद्योग की समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार करेगा।

श्री मोहम्मद मसरार अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट को क्यों गोपनीय रखा गया है? और इसको पब्लिश करने में क्या दिक्कत है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

समय आने पर इसको पब्लिश करा देंगे। आज इसे प्रकाशित कराना मुमकिन नहीं है क्योंकि जिस कार्यवाही को करने की उत्तर प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकार सोच रही है उसमें बाधा पड़ेगी और इस रिपोर्ट के फलस्वरूप उससे लोग लाभ उठाने की कोशिश करेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को क्या लिखा है? उसने तीन व्यक्तियों की जांच कमीशन इसके लिये बैठा दिया है और जब तक तीन व्यक्तियों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को न मिल जाय तब तक वह राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अपना निर्णय नहीं देगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर ऐसी कोई सूचना केन्द्रीय सरकार ने हमें नहीं दी है परन्तु यह कहा जरूर है कि हमारा कमीशन बैठा है और इस पर विचार कर रहा है। अभी पार्लियामेन्ट में इस सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर हुआ था और उसमें जो राज्यमंत्री हैं वहां के, माननीय शेरसिंह जी, उन्होंने अवश्य अपना वक्तव्य दिया है कि समस्त देश में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर हमारा कमीशन बैठा हुआ है और उनकी रिपोर्ट आने पर हम कार्यवाही करेंगे। उसमें समस्त देश की बात कही है।

श्री कृष्णानन्द राय---

प्रदेशीय सरकार का क्या मत है केन्द्रीय सरकार के इस विचार पर कि समस्त देश में जो कमीशन बैठा है उसके निर्णय के बारे में विचार करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्रदेशीय सरकार का मत यह है कि जब उनके अटार्नी जनरल कह चुके हैं, प्रदेश को अधिकार है और केन्द्र को भी अधिकार है तो हमें इस योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति मिल जाती है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या सरकार का निश्चित मत है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रदेशीय सरकार पूर्णतया अधिकृत है, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में, और क्या भारत का संविधान और डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन आफ इन्डस्ट्रीज का जो ऐक्ट है वह किसी प्रकार से बाधक तो नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह सही है कि शकर का मामला कानकरैन्ट लिस्ट म है और यह भी सही है कि राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के बावजूद इसके, कि ो राय हैं वकीलों की अटार्नी जनरल ने कह दिया था कि प्रदेश इसको कर सकता है। यह सही है कि भारत सरकार इस विषय पर पूरी तरह से विचार कर रही है। इस राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को हमें समस्त देश के चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव के सन्दर्भ में देखना चाहिये अथवा वहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

केन्द्रीय सरकार ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये जो आयोग बैठाया है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार चीनी मिलों के राष्ट्रीय करण करने के लिये उस आयोग की संस्तुति की प्रतीक्षा करे ो ?

श्री कमला पति त्रिपाठी---

मैंने तो निवेदन किया कि हमने तो भारत सरकार से आग्रह किया है। हम उस कमीशन के लिये प्रतीक्षा न करें। हमें अनुमति मिल जाय कि हम उसे कार्यान्वित कर सकें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपने दो तीन दिन पहले के उत्तर को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेशीय सरकार समाजीकरण की तरफ बढ़ रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि केन्द्रीय सरकार ने एक आयोग बैठा दिया है और उस संस्तुति की भी प्रतीक्षा इस सरकार को अवश्य है। क्या मुख्य मंत्री जी इस बात की स्पष्ट घोषणा करेंगे कि यह प्रदेशीय सरकार कितने समय तक चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण पर अपना निर्णय ले लेगी ?

श्री कमला पति त्रिपाठी---

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में तो इस सदन का ही फैसला हो चुका है कि किया जाय और प्रदेश की सरकार वचन बद्ध है उसके लिये। अब उसमें कई प्रश्न हैं। हम कमीशन की रिपोर्ट के लिये किसी प्रकार प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, हम करेंगे भी नहीं। हमने जो आग्रह किया है वह यह किया है कि हमें इजाजत दे दी जाय। संविधान के अनुसार वैसी इजाजत की आवश्यकता है, कि हम इस योजना को कार्यान्वित कर सकें। उसमें कई प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न उठता है मुआवजे का, मुआवजा देने का। मुआवजे की रकम खाली उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती और उसमें संविधान संबंधी जो प्रश्न है, वह भी एक अथवा दो राज्य दे, उसका प्रश्न है इस पर भी उनका ला डिपार्टमेन्ट और सारी गवर्नमेन्ट सोच रही है और दूसरा यह कि इस समय भारत सरकार हमारे इस विषय पर संभवतः विचार कर रही है सक्रियता के साथ कि इस दिशा में उत्तर प्रदेश को किस रूप में और किस तरह से उनकी इन समस्याओं को हल करते हुये इजाजत दी जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, सवाल पूछा गया है कि सरकार कब से चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। उत्तर मिला है कि सरकार की यह घोषित नीति है, जब जी चाहेगा तब करेगी। तो मान्यवर, अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप लगाते हुये मैं सरकार से जानना चाहता हूं किस निश्चित तिथि से राष्ट्रीयकरण का आरम्भ करेगी और कब तक खत्म कर देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

राष्ट्रीयकरण जब करना होगा तो उसकी तिथि घोषित नहीं की जायगी। वह तो यकायक किया जाता है। तिथि घोषित करके तो राष्ट्रीयकरण जल्दी होता नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसको ध्यान में रखते हुये और यह जानते हुये कि आजकल राष्ट्रीयकरण की भावना फैली हुई है, वसूली हो रही है, नीलामी की स्थिति पहुंच गयी है, मिल मालिकों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, सामान निकालकर या और इसी तरह से कि आगे आने वाली सीजन में मुमकिन है कि मिलें न चलने पावें, और केन ग्रोअर्स में हताश होने की भावना है, तो क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में जबकि मिलों के बन्द हो जाने की सम्भावना है, क्या कोई योजना उनके मस्तिष्क में है ताकि किसानों का गन्ना बरबाद न होने पावे और सब मिलें चल सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मेरा तो ऐसा विश्वास है कि मिलें बन्द नहीं होंगी। मैं यह जरूर चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में बार-बार प्रश्न न किये जांय तो जरूर अवसर मिल जायगा कि एक निश्चित नीति निर्धारित करके और सहसा उसकी घोषणा करके सहसा कार्य किया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनिश्चित और अस्पष्ट नीति के कारण औद्योगीकरण की हवा खत्म हो रही है और मिल मालिकों को मौका मिल रहा है कि वह अपने मिलों के अच्छे-अच्छे कल पुरजे वहां से हटा दें जिसका परिणाम यह होगा कि जब आप राष्ट्रीयकरण करेंगे तो खाली आपको जंक मिलेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह खतरा है जैसा कि जायसवाल जी ने कहा कि वह अपने सामान को हटावें। इस पर सरकार सतर्क है और विश्वास करती है कि ऐसा हो नहीं पायेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मिलें बन्द नहीं होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीयकरण की बात बार-बार मत कीजिये। मैंने पूछा था कि अगर मिलें न चल पायीं तो क्या आपके मस्तिष्क में ऐसी कोई योजना है कि मिलें चल सकें ? आपने कहा कि मिलें बन्द नहीं होंगी। यह कोई कटेगरीकल रिप्लाई (स्पष्ट उत्तर) नहीं है। श्रीमन्, इसका उत्तर तो दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आप समझते हैं कि जो जवाब दिया गया है, वह जवाब नहीं है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

श्रीमन्, अभी मुख्य मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो आयोग गठित किया गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी भी प्रतीक्षा करेगी और उससे अगले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि वे कोई प्रतीक्षा नहीं करेंगे। तो दोनों में कौन सी बात सही है प्रतीक्षा करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैंने कभी यह नहीं कहा है कि हम प्रतीक्षा करेंगे, हमने बराबर यह कहा है कि हम प्रतीक्षा कमीशन की रिपोर्ट की नहीं करना चाहते हैं और हमने भारत सरकार को लिखा है कि इसकी हमको इजाजत दे दीजिये। जो हमको मुआवजा देना है उसके संबंध में भी फैसला कीजिये ताकि हम कार्यवाही को आगे बढ़ा सकें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

केन्द्रीय सरकार को भी अधिकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार को अधिकार है, यह मुख्य मन्त्री जी स्वयं मानते हैं। इन्होंने घोषणा भी की है। उन्होंने सूचना दी है कि लीगल एडवाईजर्स इसको देख रहे हैं। जब उनको स्वयं अधिकार है तब फिर उन्होंने केन्द्रीय सरकार को क्यों लिखा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया, खैर पूछ लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

किसी की सम्पत्ति लेने के लिये संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति उस पर मिले। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने संक्षेप में निवेदन किया था कि मुआवजा देने का प्रश्न है और मुआवजा देने की क्षमता हम केवल अपने बलबूते पर नहीं रखते हैं। इस संबंध में हमने भारत सरकार से सहायता की मांग की है।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

मुआवजे का प्रश्न कुछ बड़ा गम्भीर सा है और इसके कारण राष्ट्रीयकरण में बाधा पड़ रही है। जब से ये चीनी मिलें बनीं हैं तब से लेकर आज तक इनके मालिकों ने मुनाफा कमाया है। इस समय जो उनकी लागत है वह करीब-करीब बराबर है, क्या यह सरकार जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है, उन मिलों का बिना मुआवजे के राष्ट्रीयकरण करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सरकार कोई भी हो, मगर उसे संविधान की धाराओं के अनुसार ही काम करना पड़ता है। जब संविधान की धारा के अनुसार मुआवजा देने की जरूरत है तब उस पहलू को नजरन्दाज नहीं कर सकते।

श्री रामगोपाल सण्ड--

अभी-अभी मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है। मैं जानना चाहूंगा कि उस कमेटी के कौन कौन मेम्बर हैं और वह कमेटी अपना प्रतिवेदन कब तक देगी ? यह देखते हुये कि उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में चीनी मिलें हैं क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह लिखा है कि इस सरकार का भी प्रतिनिधित्व उस कमेटी में रहे ? यदि नहीं लिखा है तो क्यों नहीं लिखा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उनकी राय में स्टेट गवर्नमेन्ट को राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार है या नहीं ? अगर ऐसा करने का अधिकार है तो फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होगी और पहले इजाजत लेने की क्या जरूरत है ? आप पहले अधिनियम बना लें। आपकी तो राष्ट्रीयकरण करने की नीति है और इसके लिये आपने प्रस्ताव भी पास किया था और गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया भी कमिटेड है। आप कानून बनावें, स्वीकृति तो मिल ही जायेगी। पिछली गवर्नमेंट में मेरी जिम्मेदारी मेरे अपने दोस्तों से कुछ अधिक थी। उनमें मन्त्री भी शामिल हैं। मुख्य मंत्री जी ने अनेक बार मीटिंगों में भी कहा और उनके साथियों ने यह इल्जाम भी लगाया कि हम कर सकते हैं। उन्होंने हमारी नीयत पर भी हमला किया, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। जब आपको पूरा अधिकार है, जैसा कि आप कहते हैं, तब फिर क्या दिक्कत है ? हमारी राय में अधिकार नहीं था जैसा कि एडवोकेट जनरल ने बतलाया था और कांस्टीट्यूशन

के आर्टिकिल २५८ में हमने गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को लिखा भी था कि हमको अधिकार दे दीजिये मगर उन्होंने करने नहीं दिया। फिर भी हमने इन्तजाम किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब बराबर आप यह कहते हैं कि आपको अधिकार है तो फिर आप क्यों नहीं करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, हमें आपत्ति कुछ नहीं है। हम जिस अधिनियम को बनाना चाहते हैं उसे भारत सरकार की स्वीकृति के लिये उनके पास भेज चुके हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यहां पर कई बातें कही गई हैं, प्रदेशीय सरकार को अधिकार है, भारतीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था, केन्द्रीय सरकार भी उसके पक्ष में है, तो मुआवजे की बात लेकर मुख्य मंत्रीजी ने बहुत स्पष्ट नहीं किया है। इसके पीछे एक भावना थी जिसको वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया था। मुआवजे के प्रश्न को लेकर भारत सरकार फन्डामेन्टल राइट्स में चेन्ज करना चाहती है। उसके बाद राष्ट्रीयकरण आसान हो जावेगा, तो क्या फन्डामेन्टल राइट्स के चेन्ज होने तक सरकार इंतजार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हम स्थगित करना नहीं चाहते हैं लेकिन मुआवजे की बात है। अगर फन्डामेन्टल राइट्स में कोई संशोधन होने वाला है और उससे सहूलियत मिलने की बात है, तो हम फायदा उठावेंगे।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के वेतन मान में संशोधन

**४—श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

प्रथम सत्र १९७० के प्रश्न संख्या ८७, दिनांक ११ जून, १९७० के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के वेतन मान में संशोधन करने के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री चरण सिंह ने अवर वर्ग केडर के वेतन-मान में संशोधन के आदेश दिये थे, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई शासकीय आदेश अभी तक प्रसारित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के वर्तमान वेतनमान को संशोधन करने के उक्त प्रस्ताव पर अब कर्मचारियों के लिये नियुक्त वेतन आयोग द्वारा विचार किया जायगा और उनके ही सामान्य संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा उपयुक्त निर्णय यथा-समय लिया जायगा।

श्री राम प्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अवर वर्ग सहायकों के वेतन मान में संशोधन करने के लिये भूतपूर्व मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह, ने कोई आदेश दिये थे, यदि हां, तो वह क्या थे और उनको प्रसारित क्यों नहीं किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पिछले दिनों भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये थे और उसके लिये वित्त विभाग को लिखा गया था और वित्त विभाग ने उससे अपनी असहमति की थी। फिर दूसरी बार उनको लिखा गया लेकिन अब चूंकि वेतन आयोग मुकर्रर हो गया है तो सारी समस्याओं पर वेतन आयोग विचार करेगा। इस पर भी विचार करेगा।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या मुख्य मंत्री जी यह देखते हुये हुये कि वेतन आयोग में वहीं विषय रिफर किये जाते हैं जिनमें कर्मचारियों और सरकार में मतभेद हो, तो जहां तक अवर वर्ग सचिवालय कर्मचारियों का प्रश्न है, सरकार और कर्मचारियों में कोई मतभेद नहीं है, तो सरकार इस मामले को वेतन आयोग में न भेजकर क्या स्वयं निर्णय लेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अवर वर्ग सहायकों का एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला था, मैंने उनसे बातचीत की है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस मामले में वेतन आयोग की संस्तुति की प्रतीक्षा न करके सरकार स्वयं निर्णय ले ले।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या मुख्य मंत्रीजी बतलायेंगे कि इस विषय में विशेष सचिव, वित्त ने दूसरे प्रदेशों से भी पत्र व्यवहार किया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

साफ प्रश्न कीजिये, यह ब्योरे की बात है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

उन्होंने बिना इजाजत ऐसा किया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मेरठ के एक मामले में एक मंत्री पर रिश्वत का आरोप

**१---श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर), श्री कल्पनाथ सिंह, श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री कल्याण सिंह---

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उन्हें श्री गौरी शंकर राय, एम० एल० सी० का एक पत्र दिनांक ६ जुलाई, १९७१ को भेजा प्राप्त हुआ है जिसमें श्री राय ने मेरठ के एक मामले में एक मन्त्री पर एक लाख रुपया रिश्वत लेने का आरोप लगाया है ? अगर हां, तो क्या मुख्य मन्त्री उक्त पत्र की एक प्रतिलिप सदन की मेज पर रखेंगे ?

उप-मंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)---

जी हां, श्री गौरी शंकर राय, एम० एल० सी० का एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

श्री राय के पत्र के प्राप्त होने पर मैंने राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन तथा परिवहन मंत्री से इस पत्र में लगाये गये आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। यह दोनों स्पष्टीकरण भी सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०-६३ पर।)

अनेक सदस्य---

स्पष्टीकरण नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष—

जिनका प्रश्न है उनको दिया गया है। क्या उन्हें नहीं मिला है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमें मिल गया है।

श्री बांकेलाल—

और लोगों को नहीं मिला है।

कई सदस्य—

इसको पढ़वा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जिन माननीय सदस्यों का प्रश्न था—श्री मोतीलाल यादव, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री कल्याण सिंह—उनको मिल गया है। हम पढ़वा देंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन फिर आपको प्रश्न करने का समय नहीं मिलेगा।

श्री कृष्णनन्द राय—

दुबारा न पढ़वायें। प्रश्न करने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जहां तक मुझे याद पड़ता है, शायद ६ जुलाई को हमने भी एक प्रश्न दिया था। उसका रूप चाहे बदला हो लेकिन विषय यही था। उस प्रश्न का मालूम नहीं क्या हस्र हुआ। यह प्रश्न जो २१ को दिया गया ऐडमिट हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

वह प्रश्न हमारे पास नहीं है, देख लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह प्रोटेस्ट करना चाहता हूं विनम्र रूप से कि हमारे प्रश्नों का यही होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कभी कभी आपत्ति करते हैं और माननीय चन्द्रभान जी भी कहते हैं कि उनके प्रश्नों में गड़बड़ी हुई। मैं याद रखता हूं कि उनके कितने प्रश्न आये। आपके जितने प्रश्न आये मुझे याद हैं। यह कहना गलत है कि आपके प्रश्नों को समुचित स्थान नहीं मिलता। जो स्वीकार करने योग्य होते हैं, उनको स्वीकार किया जाता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो प्रश्न मैंने दिया है वह आपको याद होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त नहीं, इसको बाद में उठायें।

श्री रामकर सिंह---

यह प्रश्न २१ तारीख का दिा हुआ है। ८ तारीख को एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था.....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं अनुमति नहीं देता। आप इस प्रश्न अवधि में व्यवधान डाल रहे हैं। अगर एसा था तो सुबह आपको यह मिल गया था आपने इतला क्यों नहीं दी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इनका प्रश्न भी दूसरे दिन रखवा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

हम देखेंगे कि है या नहीं। मुख्य मंत्री जी, आप पत्र को पढ़ दीजिये।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

कौनसा पत्र पढूं ?

श्री उपाध्यक्ष---

दोनों पत्रों को पढ़ दें।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

गौरी शंकर वाला पढ़ रहा हूं।

(प्रश्न सं० १ की नत्थी को पढ़ा।)

(नत्थी "ख" के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर तथा संलग्न सूचना को पढ़ा गया।)

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। यह प्रश्न बड़े महत्व का है। इस सवाल को कल के लिये पोस्टपोन कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मैं नहीं करता।

श्री कल्पनाथ सिंह---

समय तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

समय तो है। प्रश्न कर सकते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से) क्या आप प्रश्न करना चाहते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

प्रश्न करने से पहले मैं एक प्रार्थना कर दूं तब प्रश्न करूं। दो मिनट और रह गये हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सारे देश को प्रभावित करता है, इस मंत्रिमंडल की नीति को प्रभावित करता है, इस सरकार के मंत्रियों के चरित्र को प्रभावित करता है, इस सरकार के प्रशासक वर्ग को प्रभावित करता है, इसको कल के लिये रखें, दो मिनट में नहीं हो सकता है। यह योजना के अनुसार ऐसे समय पर आया है कि कोई प्रश्न न कर सकें। इस को प्रश्न पूछने के लिये कल के लिये रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न करें । क्या प्रश्न करना चाहते हैं ?

(शोर एवं कोलाहल)

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब श्री गौरीशंकर राय जी के पत्र में इस बात का उल्लेख था जिसमें आशाराम इंदु एक विधायक का भी नाम लिया गया था, क्या माननीय मंत्री जी ने उस समय आशाराम इंदु से भी कोई जानकारी प्राप्त की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जानकारी प्राप्त की । उनसे बात हुई । उन्होंने यह कहा कि जमीन के छोड़ने के हम खिलाफ थे । मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसमें कोई रिश्वत ली गयी ।

श्री मोतीलाल यादव—

दिनांक २८-२-६७ से दिनांक ३० अप्रैल, १७९१ तक मुआवजे की देय धनराशि को छोड़ कर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि इसमें अध्याप्ति के विभिन्न कार्यों पर व्यय करनी पड़ी । दूसरे, क्या श्री उमादत्त शर्मा जी ने २४-४-७१ के पूर्व भी रोडवेज से भूमि को मुक्त कराने हेतु परिवहन मंत्री या रोडवेज अधिकारियों को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कितनी बार ?

श्री उपाध्यक्ष—

एक एक प्रश्न कीजिये । आप क्या सवाल करना चाहते हैं?

श्री मोतीलाल यादव—

२८-२-६७ से ३० अप्रैल १९७१ तक सरकार द्वारा उक्त भूमि को प्राप्त करने के लिये विभिन्न कार्यवाहियों में, मुआविजे की धनराशि को छोड़ कर, कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

(प्रश्नों का समय समाप्त होने पर।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर।) इसमें इतने अधिक लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कल के लिये इसे पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जो जवाब थे वे लम्बे थे इसलिये मैं उनको पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। लेकिन आपने कहा कि उनको पढ़ा जाय। लिहाजा उनको पढ़ा गया। अब इसमें एक पत्र का हवाला है। अपनी जानकारी पर यह प्रश्न नहीं किया गया है। इसलिये इस प्रश्न के तहत में अब और कौन से प्रश्न आप पूछना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

एक घंटा आप सवाल के लिये और बढ़ा दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सब लोग बोलने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग एक-एक करके अपनी बात कहें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस पर बहुत से प्रश्न किये जा सकते हैं। जब दोनों मंत्रियों के पत्र प्रकाशित हो गये हैं तो उनमें बहुत सी बातें महत्व की हैं। पहली बात तो यही कही गयी कि जब सन् ६७ में भूमि अध्याप्त करने का आर्डर दिया गया और मुआविजा देने तथा अधिग्रहण की कार्यवाही हाई कोर्ट में स्टे हो गई तो परिवहन मंत्री यह जानते हुये कि अधिकारी उनकी राय के खिलाफ हैं, ने यह आर्डर दे दिया कि इसको फिलहाल रोक दिया जाय और वह मेरठ चले गये। आप यह भी देखेंगे कि उमादत्त जी के पत्र में बहुत सी गोल माल बातें हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी हालत में इसको फिर से ले लें जैसे चीनी मिल वाले प्रश्न में किया था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कह रहे हैं कि कल ले लूं। तो प्रश्नों में इसे १०, १२ मिनट और मिल जायेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

ढाई घं का विवाद करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी बात मैं समझ गया....

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

ढाई टे की चर्चा इस पर हो जाय। श्री अनन्त राम जायसवाल तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी भी यही चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ४६ (१) के अन्तर्गत अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे। पहले आप इसे स्थगित करने की बात कह रहे थे। अब आप दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि इस माननीय सदन में मैं ३ बार इस प्रश्न को नियम ५२ के अन्तर्गत ढाई घंटे की चर्चा के लिये उठा चुका हूं जो मेरी तथा माधव प्रसाद त्रिपाठी जी तथा श्री अनन्त राम जायसवाल की तरफ से आया था। माननीय अध्यक्ष तथा आपने यह कहा कि पहले अल्प सूचित तारांकित प्रश्न इस पर कर लिया जाय, उसके बाद ढाई टे की चर्चा पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न इस समय यह है कि यह प्रश्न आज स्थगित किया जाय या नहीं, लेकिन अब आप दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

विषय तो एक ही है कि इस पर ढाई घंटे की चर्चा का आप समय दे दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, हम सभी लोग यही चाहते हैं कि आप इस पर ढाई घंटे की चर्चा की स्वीकृति दे दें। इस सम्बन्ध में हर पार्टी के नेताओं ने मिलकर भी दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

जो आपने नोटिस लिख कर दिया है उस पर तो दूसरा निर्णय लिया जायेगा। वह इस प्रसंग में नहीं आता है। प्रश्नों के बारे में नियमों में जो व्यवस्था दी गई है वहीं तक आप अपने को सीमित रखें। इस प्रश्न के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा की स्वीकृति देने का अधिकार है। आपने लिख कर दिया है उस पर दूसरा ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अभी आप इस पर व्यवस्था क्यों नहीं दे सकते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ---

इस प्रश्न के सम्बन्ध में आप ने कह दिया है कि आप निश्चित रहें समय दिया जायेगा, इसलिये हम इस प्रश्न को छोड़ते हैं....

श्री उपाध्यक्ष---

जो स्थगन आप चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो तो उस सम्बन्ध में नियमानुसार हम आधे घंटे का समय चर्चा के लिये दे सकते हैं.... (व्यवधान) आप नहीं चाहते हैं तो वापस लें लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपा ी---

मान्यवर, आप हमारा नियम ५२ वाला स्वीकार कर लें इससे हमारे दोनों प्रश्नों का समावेश हो जाता है....

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी राय है कि अभी आप इस पर आधे घंटे की इजाजत दे दें चर्चा के लिये, और जो पत्र हम आपको लिख कर दे रहे हैं उसमें आप ढाई घं की चर्चा के लिये स्वीकृति दे दें तो वह आध घंटे की चर्चा वाला आटोमेटिकली चेंज हो जायगा....

श्री उपाध्यक्ष---

आध घंटे की चर्चा की स्वीकृति हम अभी दे देते हैं और जो दूसरा प्रश्न है वह विचाराधीन है, उस पर विचारोपरान्त यदि स्वीकृत हो जाता है तो आधे घंटे की चर्चा वाला समाप्त हो जायेगा। यह सुझाव ठीक है। अभी आप इस प्रश्न को आधे घंटे की चर्चा तक ही सीमित रखें। प्रश्न में श्री गौरीशंकर राय का हवाला (रिफरेंस) दिया गया है। प्रश्न ऐसा है "क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उन्हें श्री गौरीशंकर राय, एम० एल० सी० का एक पत्र दिनांक ६ जुलाई १९७१ को भेजा प्राप्त हुआ है जिसमें श्री राय मेरठ के एक मामले में एक मंत्री पर एक लाख रुपया रिश्वत लेने का आरोप लगाया है"? तो यह आप अपनी जिम्मेदारी पर कहने के लिये यार नहीं हैं, यह दूसरे का हवाला देकर आप पूछ रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, अब तो कागज साफ-साफ बतला रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

यहां पर जो मंत्रिगण जवाब देते हैं वह सदन की बात मानी जाती है....

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जो पत्र यादव जी ने पढ़ कर सुनाया उसके बाद अभी भी कोई शक रह जाता है कि उसको छुड़ाने क लिय कितनी कोशिश की गई.....

श्री उपाध्यक्ष---

आधे घंटे वाली बात जो माननीय शांति प्रपन्न शर्मा जी ने सुझाई उसे पहले स्वीकार कर लिया जाय और जो आपका प्रश्न ढाई घंटे वाला है उसे हम कल या परसों जब समय मिलेगा ले लेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, इसमें मानने न मानने का सवाल नहीं है। इसमें तो गौरी शंकर राय..

श्री उपाध्यक्ष---

उसे अब आप छोड़ दीजिये....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, छोड़ वाला मामला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

उसमें तो आधे घंटे की चर्चा के लिये समय का निश्चय हो गया है। अब क्या आप कोई दूसरा प्रश्न उठाना चाहते हैं? जो आपने लिख कर दिया है नियम ५२ के सम्बन्ध में, उसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है। वह विचाराधीन है...

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, लिख कर तो न मालूम हम क्या-क्या देते हैं किन्तु उसमें आपकी मंजूरी की बात है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपके ही कहने पर तो आधे घंटे की चर्चा स्वीकार हुई है।

श्री वीरेन्द्र शर्मा---

एक रूप से विचाराधीन है यह प्रश्न। उसकी अहमियत तो हमसे ज्यादा आप समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अल्प सूचित प्रश्न भी करते हैं और दूसरा प्रश्न भी आपने रखा है। तो अल्पसूचित प्रश्न के बाद आप संतुष्ट हो गये आधे घंटे की चर्चा के लिए जो आपकी मांग स्वीकार की गयी है। तो अब कहने का मतलब यह था कि व्यक्तिगत जानकारी पर माननीय सदस्य ने अभी सवाल नहीं किया है। जो आपने सूचना वहां दी होगी अगर उसका मात्र हवाला है तो उसके हिसाब से उस पर विचार किया जायगा। लेकिन जो प्रश्न अपनी जानकारी को आधार बना कर किये जाते हैं, हवाला और साक्ष्य के बल पर नहीं, उनकी स्थिति दूसरी होती है। यह तो असंदिग्ध है....

श्री कल्पनाथ सिंह--- (जिला गोरखपुर)---

जानकारी का जहां तक सवाल है, जानकारी यह है कि गौरीशंकर राय ने एक चिट्ठी लिखी तो आप इस बात को कैसे कहते हैं कि यह आधार नहीं हो सकता, वह आधार नहीं हो सकता? अगर यह बात होती तो आपने उसको अस्वीकार क्यों कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों के बारे में जो नियम है उससे आपको अवगत होना चाहिए।

श्री कल्पनाथ सिंह---

ओमन् को भी होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

कल को अगर विशेषाधिकार का सवाल आपके खिलाफ कोई उठाये।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

व्यवस्था का प्रश्न है। आप जो प्रश्नों की बातें करते हैं, संविधान में लिखा हुआ है, आपकी नियमावली में लिखा हुआ है कि जानकारी किसे कहते हैं। जानकारी जो व्यक्तिगत होगी, डिस्कशन से होगी, सरकार के अधिकारियों से होगी, जनता से होगी। तो इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि जानकारी को व्यक्तिगत से सम्बद्ध करेंगे तो सरकार के सारे उत्तर व्यर्थ हो जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

दो सवाल आपने किये हैं। एक सवाल की परिधि व्यापक हो सकती है। मान लीजिये कि त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव दिया हो और माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न दिया हो, वह हो सकता है कि उससे व्यापक हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तो इस पर आधे घंटे की बहस होगी, उसके बाद हम विचार कर लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आप ने कहा कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर होना चाहिये तो दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी किसी न किसी रूप में शामिल न हो। अगर किसी ने व्यक्तिगत जानकारी दी और सदन में माननीय मन्त्री ने कुछ तथ्य रखे और उस पर विचार करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो व्यक्ति ने कहा था उसकी पुष्टि होती है तो व्यक्तिगत विचार का कोई महत्व नहीं रह जाता। एक डाकुमेंट हमारे सामने आ जाता है और इसकी महत्ता को देखते हुए भी आप यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह भी कह सकें कि इसको आज ही हम नियम ५२ में ले लेंगे। हमको इस चीज से सन्तोष नहीं हो रहा है। ७ रोज हो गये, क्यों रोका जा रहा है यह प्रश्न नियम ५२ का, यह समझ में नहीं आता। इसलिए हम अपना असन्तोष व्यक्त करते हुए ५ मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

तो मैं मान लूं कि आज का जो सवाल है...

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

एक हफ्ते से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप से प्रार्थना की, अध्यक्ष महोदय से की, सचिव साहब से भी मिला और हर दफा यही आश्वासन दिया गया कि हां, यह विचाराधीन है, जरूर होगा। एक प्रश्न को जान-बूझकर कर टाला जाय, इसका मुझे दुख है। इसलिए इसके विरोध में भारतीय क्रान्ति दल भी पांच मिनट के लिए सदन का त्याग करता है।

(भारतीय क्रान्ति दल के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

प्रान्तीय सहकारी संघ के संचालक मंडल के सभापति एवं संचालकों का नामांकन

**२—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने १९ सितम्बर, १९७० को प्रान्तीय सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश के निर्वाचित संचालक मंडल के सभापति एवं दो के स्थान पर दस संचालकों का नामांकन किया था ? यदि हां, तो इतने अधिक नामांकन करने के मुख्य-मुख्य क्या कारण थे ? क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि नामांकन के पश्चात् अतिरिक्त निबन्धक, सहकारी विभाग की एक सदस्यीय जांच समिति बैठाई थी ? यदि हां, तो समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये हैं ? क्या यह भी सही है कि समिति के सुझाव पर ही पुनः संचालक मंडल में दस संचालक एवं सभापति का नामांकन किया गया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जी हां, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा ३४ (१) के प्राविधानों के अनुसार शासन सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई तक सदस्यों को नामांकित कर सकती है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुये १९ सितम्बर, १९७० को शासन ने उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की प्रबन्ध कमेटी में सभापति सहित दस व्यक्तियों का नामांकन किया था। उक्त नामांकन के पश्चात् शासन ने संघ की जांच के लिये कोई एक सदस्यीय समिति नहीं बैठाई थी। शासन ने सहकारी संघ की प्रबन्ध कमेटी में पुनः दस व्यक्तियों का नामांकन २६ जून, १९७१ को उक्त अधिनियम की धारा ३४ (१) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये किया है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

१९७०–७१ में सीतापुर में विद्युत् लाइनों की योजना

*१—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६९–७० व १९७०–७१ में जिला सीतापुर के अन्तर्गत कितने किलोमीटर विद्युत् लाइनें बनवाने की योजना बनी थी ?

वित्त, विद्युत् एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

सीतापुर जन पद के अन्तर्गत वर्ष १९६९–७० एवं ७०–७१ में क्रमशः ८७ व ६१ किलो-मीटर लम्बी ११ के० वी० लाइनें बनाने की योजना थी।

फिरोजपुर से टिकरा तक विद्युत् लाइन के कार्य का स्थगन

*२—श्री राम लाल राही—

क्या विद्युत् मन्त्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि फिरोजपुर से टिकरा, जिला सीतापुर तक कोई विद्युत् लाइन बननी थी जिसका सर्वे करके खम्भे, सीमेन्ट, ईंटा आदि पहुंचा दिया गया था उसके बाद फिर उठवा लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

फिरोजपुर से टिकरा तक एक विद्युत् लाइन बनाने की योजना थी और सर्वेक्षणोपरान्त कुछ सामान हरगांव क्षेत्र में पहुंचाया गया था परन्तु सामान इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं था कि लाईन पूरी बन पाती। सीतापुर क्षेत्र में निजी नलकूपों के लिये बिजली की अत्यधिक मांग थी।

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

चूंकि इस लाईन के लिये सामान पर्याप्त नहीं था और लाईन न बनने के कारण सीतापुर क्षेत्र में निजी नलकूपों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं था अतः जो सामान पहुंचाया गया था उसे हटा कर सीतापुर जिले के अन्य क्षेत्रों के नलकूपों के विद्युतीकरण् में प्रयोग कर लिया गया।

आजमगढ़ में निजी ट्यूबवेलों के पावर कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

*३—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत निजी ट्यूबवेलों के पावर कनेक्शन के निमित्त १९६९ से अप्रैल, १९७१ तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ? और कितनों को पावर कनेक्शन दिया गया तथा कितने शेष हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जल विद्युत् अनुरक्षण खण्ड, आजमगढ़ के अन्तर्गत निजी ट्यूबवेलों के पावर कनेक्शनों के निमित्त जनवरी, १९६९ से अप्रैल, १९७१ तक कुल २२१२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। उनमें से १५५९ उपभोक्ताओं को कनेक्शन दे दिया गया था और ६५३ प्रार्थना-पत्र शेष थे।

[दिनांक २६ जुलाई, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री राम गोपाल सण्ड—

[१३ वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[३रे बुधवार के तारांकित प्रश्न ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३-४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[११वें मंगलवार के ता० प्र० सं० १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*५—श्री सुखपाल पांडेय व श्री राम करन सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त····]

राज्य कर्मचारियों के वेतन आयोग का गठन

*६—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरनसिंह—

क्या सरकार राज्य कर्मचारियों के लिये किसी नये वेतन आयोग के गठन का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त आयोग कब तक गठित हो जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राज्य कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग का गठन शासकीय संकल्प दिनांक ५ जुलाई, १९७१ द्वारा कर दिया गया है।

*७—श्री इन्द्रलाल—

[३रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*८—श्री गोविन्द सिंह—

[४थे बुधवार के तारांकित प्रश्न १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*९-१०—श्री राम लगन दुबे—

[३रे बुधवार के तारांकित प्रश्न ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मेसर्स हिन्दुस्तान अल्म्यूनियम कारपोरेशन, पिपरी के विद्युत् शुल्क की मुक्ति

*११—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि मेसर्स हिन्दुस्तान अल्म्यूनियम कारपोरेशन, पिपरी, जिला मिर्जापुर को २·९२ लाख रुपये विद्युत् शुल्क के भुगतान को मुक्त करने के राज्य सरकार के अप्रल, सन् १९६२ के आदेश को जिसे लोक लेखा समिति ने अनियमित घोषित किया है, उस शुल्क की वसूली के लिये क्या कारवाई की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिन कार्यों के लिये हिन्दुस्तान एल्म्यूमिनियम कारपोरेशन लि०, पिपरी, जिला मिर्जापुर ने विद्युत का प्रयोग किया, उन पर विधिक राय के अनुसार कोई विद्युत् शुल्क देय नहीं था। लोक लेखा समिति को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है। अतः उक्त धनराशि की वसूली के लिये किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा योजनाओं की स्वीकृति

*१२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उत्तर प्रदेश को ग्रामीण बिजली योजनाओं के लिये कुछ योजनायें स्वीकृत की हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन कितनी-कितनी धनराशि की हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली ने सन् १९७१–७२ में अभी तक (३० जून, १९७१ तक) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिये केवल इलाहाबाद जिले की योजना ९७.७०४ लाख रुपये की स्वीकृत की है।

टिहरी गढ़वाल के ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना

*१३—श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल के गांवों के विद्युतीकरण के लिये शासन की क्या योजना है ? तथा उस योजना के कार्यान्वयन के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा जिला टेहरी गढ़वाल में वर्ष १९७०–७१ के अन्त तक कुल १९ नगरियों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। वर्ष १९७१–७२ में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ६२ नगरियों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त ३३ कि० वो० ऋषिकेश-टेहरी तंतुपथ तथा ३३/११ कि० वो० टेहरी उप विद्युत् गृह निर्माणाधीन है जिनके वर्ष १९७३–७४ तक सम्पूर्ण होने की आशा है।

काश्तकारों को उत्पादन-दर पर बिजली

*१४—श्री गोविन्द सिंह—

क्या काश्तकारों को उत्पादन दर पर बिजली दी जायगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

काश्तकारों को उत्पादन दर पर बिजली देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

निजी नलकूपों के ट्रान्सफार्मर्स की चोरी होने पर मूल्य की वसूली

*१५—श्री कल्याण सिंह तथा श्री उमा शंकर शुक्ला—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि निजी नलकूपों के लिये लगाये ट्रांसफार्मर्स की चोरी हो जाने पर दुबारा ट्रांसफार्मर्स लगाने का मूल्य विद्युत् उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, १९४८ की धारा ७९ (जे) के अन्तर्गत राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार।

विद्युत् शुल्क में वृद्धि

*१६—श्री कल्यान सिंह तथा श्री उमा शंकर शुक्ला—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्युत् शुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों और कितनी वृद्धि करने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*१७-१८—श्री राम प्यारे—

[३ रे बुधवार के तारांकित प्र० सं० ३७-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मुरादाबाद निवासियों द्वारा सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र

*१९—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६९-७० और वर्ष १९७०-७१ में मुरादाबाद जनपद के कितने लोगों ने सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन के लिये दरख्वास्तें दीं ? और उनमें से कितनी स्वीकृत हो गईं तथा कितनों को कनेक्शन मिल गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष १९६९-७० और १९७०-७१ में मुरादाबाद जनपद में सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन के लिये २६८८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये। उनमें से १८६३ उपभोक्ताओं को स्वीकृति प्रदान की गई तथा १२२८ उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया।

*२०—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जनपद में उपरोक्त वर्षों में कितने-कितने कनेक्शन किस-किस स्कीम के अन्तर्गत लगाये गये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुरादाबाद जनपद में वर्ष १९६९-७० तथा १९७०-७१ में सामान्य योजना के अन्तर्गत ७६२, जमा योजना के अन्तर्गत १७५ तथा व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत २९१ कनेक्शन दिये गये।

अणु पावर प्लान्ट लगाने की योजना

*२१—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी को पूरा करने के लिये सरकार (अटामिक) अणु पावर प्लान्ट लगाने के लिये योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह कहां और कब लगेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

भारत सरकार से इस प्रदेश में एक अणु विद्युत गृह लगाने की प्रार्थना की गई है तथा केन्द्रीय सरकार के आणविक ऊर्जा आयोग द्वारा एक परमाणु विद्युत गृह स्थापना के अध्ययन हेतु एक स्थान चयन समिति गठित की गई है। उसकी सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही उसके लगाने का प्रश्न उठेगा।

*२२—श्री इन्द्रलाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२३—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[पूनरावृत्ति के कारण निरस्त]

२० मई, १९७१ तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कर्जा

*२४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २० मई, १९७१ तक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितने का कर्जदार था और यह कर्जा कैसे निबटाया जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य विद्युत् परिषद् अपनी स्थापना की अवधि से २०-५-७१ तक रु० ५,८७,५९,४३ ४७६.७७ का कर्जदार था। ये ऋण विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इस ऋण का भुगतान राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विभिन्न स्रोतों से लिये गये ऋणों की अदायगी की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

*२५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[५ वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बैंकिंग आयोग द्वारा आर्थिक सहायता

*२६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ७ जून, १९७१ को उनकी बैंकिंग आयोग से वार्ता स्वरूप, प्रदेश के आयोग द्वारा कितनी आर्थिक सहायता किस-किस मद में प्राप्त करने का आश्वासन मिला है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बैंकिंग आयोग के विचारार्थ विषयों को देखते हुए आयोग से कोई आर्थिक सहायता पाने के आश्वासन का प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर जेल में गोली चलाने के विरुद्ध कार्यवाही

*२७—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जेल के अन्दर जनवरी, १९७१ में ७६ राउन्ड गोली चलाई गई और बैरक के अन्दर लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो डी० एम०, सुल्तानपुर ने क्या रिपोर्ट भेजी है तथा जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी हां। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर एक अधिकारी को दोषी पाया गया। उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मुजफ्फरनगर, जिला पूर्ति अधिकारी का ट्रांसफर तथा स्थगन

*२८—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर जिला पूर्ति अधिकारी को ट्रांसफर के आदेश पिछले १।। साल में कितने बार दिये गये और किन कारणों से ट्रांसफर रोका गया तथा क्यों ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

भूतपूर्व जिला पूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर का पिछले डेढ़ वर्ष में चार बार ट्रांसफर किया गया। जनहित में तीन बार ट्रांसफर आदेश रद्द किये गये।

कारागारों में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति

*२९—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कारागारों में प्रधानाध्यापक के पद पर २८ मई, १९५२ ई० के स्थायी अध्यापकों में से कितने ट्रेंड और कितने अन्ट्रेंड अध्यापकों की पदोन्नति की गई है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

ट्रेंड एक तथा अन्ट्रेन्ड तीन।

*३०—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[५ वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

तहसील बीसलपुर में बिजली कनेक्शन देने में विलम्ब

*३१—श्री तेज बहादुर गंगवार (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत के बिहारीपुर हीरा सौगवां सन्तोष तथा अन्य कई गांवों में बिजली विभाग की तरफ से लाइट के कनेक्शन देने हेतु गांवों का सर्वेक्षण किया गया था, पोल तथा लाइन के गड्ढे खोदे गये थे, परन्तु अभी तक लाइन नहीं दी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत लाइन इन्सपेक्टरों को ओवर ड्यूटी का भत्ता

*३२—श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या विद्युत मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष, १९७० में नियुक्त सभी लाइन इंस्पेक्टरों को वेतन के अतिरिक्त ओवर ड्यूटी का भत्ता दिया जाता था परन्तु १९७१ से अब नए नियुक्त होने वाले विद्युत लाइन इंसपेक्टरों के पद एवं समान काम करने वालों को केवल वेतन ही दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं, प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में तहसील बांसगाव में कार्य

*३३—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या विद्युत मंत्री बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्राम रखास, वेलकुर और रिआंव, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में अब तक बिजली न पहुंचने का कारण क्या है ? और कब तक यह काम हो जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इन ग्रामों के विद्युतीकरण में जो धन व्यय होगा उसके ऊपर १५ फीसदी रिटर्न उपलब्ध न होने के कारण उनका विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है। जब उपयुक्त मात्रा में रिटर्न मिलने की संभावना होगी तब यह कार्य किया जायगा।

नैनीताल तराई में फूड कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा गेहूं खरीदने के भाव में भिन्नता

*३४—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है कि जिला नैनीताल की तराई के रुद्रपुर, गदरपुर, विलासपुर आदि मंडियों में फूड कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा जो गेहूं खरीदा जा रहा है वह वास्तव में किसानों से ६५ रु० से लेकर ६८ रु० प्रति क्विंटल के प्रभाव पर खरीदा जा रहा है किन्तु सरकारी कागज में ७० रु० प्रति क्विंटल से ७६ रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद दिखाई जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायत नहीं हुई, वरन् सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने इस तरह की आम शिकायत की। इन शिकायतों पर अधिकारियों से जांच कराई गई मगर इसके पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं मिला और न यही कि गुण निर्दिष्टियों के अन्दर आने वाले गेहूं को उसके लिये निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर खरीदा गया।

सीतापुर जिला कारागार से फरार कैदी

*३५—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर माह, ७० में जिला कारागार सीतापुर से कोई कैदी फरार हो गया था ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। दिनांक २१-११-१९७० को एक बन्दी शब्बीर अहमद, जिला कारागार सीतापुर से भाग गया था। इस घटना के सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला कारागार सीतापुर तथा परगनाधीश, सीतापुर द्वारा अलग-अलग जांच की गई। दोषी कर्मचारियों एवं बंदियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में उल्लिखित है। यह मामला विशेष जांच के लिए अपराध अनुसंधान विभाग को सिपुर्द कर दिया गया है। जांच अभी जारी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९४ पर)

फर्रुखाबाद में सरकारी लाइसेन्स वाले दूकानदारों द्वारा शकर के कोटे उठाने में कमी

*३६—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कुछ ऐसे भी शकर के सरकारी लाइसेन्स वाले दूकानदार हैं जिन्होंने चार माह से अधिक कोटे नहीं उठाये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन दुकानदार हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अभी तक की गई है ?

श्री बेनी सिंह—

जी नहीं।

लेवी चीनी के सरकारी लाइसेन्स वाले १३ व्यापारी थे। इनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने चार मास से अधिक हुआ, कोटा न उठाया हो।

फतेहगढ़ कारागारों में बंदियों को पानी की कठिनाई

*३७—श्री महरम सिंह—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार और जिला कारागार में बंदियों को पानी आदि की विशेष कठिनाई है? यदि हां, तो पानी की सुविधा कारागारों में कब तक प्राप्त हो सकेगी?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

जी हां, कुछ कठिनाई अवश्य है। इन दोनों कारागारों में पानी की सुविधा के लिये एक-एक ट्यूबवेल लगाये जाने की स्वीकृति दे दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में कार्य पूरा हो जाने की आशा है।

कानपुर ट्रेजरी में गबन तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही

*३८—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री महावीर सिंह (जिला सहारनपुर), श्री मंजूर अहमद, श्री उमाशंकर शुक्ला तथा श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या यह सत्य है कि मई, १९७१ में आयुक्त इलाहाबाद मंडल द्वारा कानपुर ट्रेजरी में लाखों रुपया सरकारी धनराशि का गबन किये जाने का मामला पकड़ा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया घटना का पूर्ण विवरण देते हुये बतायेगी कि कुल कितनी धनराशि का गबन हुआ तथा सरकार के द्वारा उस दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं, कानपुर कोषागार में आयुक्त, इलाहाबाद मंडल द्वारा सरकारी धनराशि के गबन का मामला माह मार्च, १९७१ में पकड़ा गया। गबन के तथ्यों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५ पर)

अतारांकित प्रश्न

गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् लाइन की योजना

१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गढ़वाल में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् लाइन देने के लिये शासन द्वारा वर्ष १९७०–७१ में कुल कितनी योजना का और कितने धन का प्राविधान किया गया है और जिले के प्रत्येक ब्लाक खंड में किस आधार पर विद्युतीकरण की योजना १९७१–७२ के लिये बनाई गई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिला गढ़वाल में वर्ष १९७०–७१ में दो विद्युत् उत्पादन योजनायें, एक ११ के० वी० तन्तुपथ के निर्माण की योजना, तथा १९ ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था जिसके लिये १८.४ लाख रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया था।

विद्युतीकरण की योजनायें ब्लाक-वार नहीं बनाई जातीं बल्कि जिले स्तर पर बनाई जाती हैं जिसमें जिले के विभिन्न-भागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रक्खा जाता है।

श्री अनन्त राम जायसवाल---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आज जो वक्तव्य . . .

श्री उपाध्यक्ष---

सूची नंबर २---माननीय वित्त मंत्री।

बिक्री-कर विभाग की अधिसूचनायें†

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना संख्या एस० टी० ३११५/दस-९०० (५५)-६७, दिनांक १८ जून, १९७१ तथा संख्या एस० टी०-९५३/दस-९०० (५५) ६७, दिनांक १८ जून, १९७१ को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ८ मई, १९७० की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १४ जुलाई, १९७१ के उपवेशन में संशोधनों सहित पारित किया था, जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १६ जुलाई, १९७१ की बठक में स्वीकार किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १७ जुलाई, १९७१ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का १५ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७०

सचिव विधान सभा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १६ दिसम्बर, १९७० की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १४ जुलाई, १९७१ के उपवेशन में संशोधनों सहित पारित किया था, जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १६ जुलाई, १९७१ की बैठक में स्वीकार किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १७ जुलाई, १९७१ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया।

गोरखपुर जिले में सेमराघाट से इलाहाबाद-गोरखपुर रोड तक एक सड़क के निर्माण के लिये याचिका

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, गोरखपुर जिले में सेमराघाट से लेकर इलाहाबाद गोरखपुर रोड तक पक्की सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवकीनन्दन तिवारी, ग्राम मिश्रवली, पो० मठिया, जिला गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

अधिवेशन के चलते हुये राजस्व मंत्री द्वारा नीति सम्बन्धी वक्तव्य सदन के बाहर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय कृष्णानन्द राय तथा माननीय बंशीधर पांडेय द्वारा उठाया गया है। लेकिन यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है, औचित्य का अधिक से अधिक हो सकता है। वह इस प्रकार है।

"विधान सभा का सत्र चल रहा है, परन्तु मंत्री, श्री उदित नारायण शर्मा ने विधान सभा में बिना सूचना दिये हुए इस सम्बन्ध में विधान सभा की राय न जानते हुए कल दिनांक २५-७-७१ को नेशनल हेराल्ड के स्टाफ रिपोर्टर को यह वक्तव्य दिया कि उत्तर प्रदेश में सरकार नया बन्दोवस्त करने जा रही है जिससे वर्तमान लगान रेटों में संशोधन किया जायगा तथा अन्य ऐसे कार्य किये जाने का सरकार ने यह निश्चय किया है कि विधान सभा ने किसानों पर सवा छः एकड़ के लगान की जो माफी की थी इस रुपये को अब इस नये बन्दोवस्त द्वारा किसानों से वसूल करने जा रही है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को पहले विधान सभा में न लाकर माल मंत्री जी ने जो प्रेस में प्रचार किया है, वह विधान सभा का अपमान है और प्रदेशों के किसानों के साथ विश्वासघात है। अतः विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देते हैं।"

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

आप के निर्णय के पूर्व मेरा निवेदन यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन तो लें। अभी मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं।

एक सवाल जो इसमें रखा गया है, वह यह है कि इसमें नेशनल हेराल्ड में छपा है सेटिलमेंट के बारे में और इसका जवाब आया है। इसके साथ साथ राजस्व मंत्री जी ने जो यहां वक्तव्य दिया, वह भी मैंने देखा है। उस वक्तव्य में वही बातें हैं जो अखबार में आयी हैं। इसलिये मैं इसको विशेषाधिकार में निहित प्रश्न नहीं मानता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष महोदय, लैंड सेटिलमेंट के बारे में उन्होंने कोई वक्तव्य दिया है?

श्री उपाध्यक्ष—

हू बहू अखबार में वही बातें आयी हैं जो उन्होंने यहां कहा है और इसलिये मैं इसको औचित्य का प्रश्न नहीं मानता।

खानीपुर (गोरखपुर) काण्ड के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दी गयी सूचना के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक दूसरा श्री राम करन सिंह जी ने खानीपुर (गोरखपुर) कांड के सम्बन्ध में मंत्री जी द्वारा जो वक्तव्य यहां दिया गया था, उस सम्बन्ध में सवाल उठाया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि कमिश्नर से मैंने बात की, कमिश्नर ने कहा कि इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है। इसलिये आप माननीय मुख्य मंत्री जी से जानकारी करने की कृपा करें। इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है लेकिन राम करन सिंह जी का कहना है कि हमने कमिश्नर से पूछा और कमिश्नर का कहना है कि हमसे कोई जवाब नहीं पूछा गया है, जब कि मुख्य मंत्री का कहना है कि

कमिश्नर से पूछा गया था। तो इसका जवाब मुख्य मंत्री जी ही दे सकते हैं कि कोई बात कमिश्नर से हुई तो क्या हुई, इसका पता हम कैसे दे सकते हैं कि क्या बात हुई। इसलिये उनसे पूछ कर आपको बतला दिया जायेगा। इसमें और क्या होगा ?

श्री राम कुमार (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था जो काफी समय से टलता जा रहा है। वह बड़े महत्व का सवाल है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसे सम्बन्धित मंत्री के पास भेजा गया है। वहां से जवाब आयेगा तो बतला दिया जायेगा।

श्री राम कुमार—

कब ?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री कृष्णानन्द राय जी आपको बतला देंगे। जब मंत्री के पास कोई चीज भेजी जाती है तो उसका जवाब आने में कुछ समय लगता है।

श्री कृणानन्द राय (जिला ग जी ुर)—

श्रीमन्, एक सप्ताह से वह मामला चल रहा है। लेबर कमिश्नर पर प्रीवि ेज का मोशन है और एक सप्ताह से वह टलता जा रहा है, तो अखिर क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह अभी विचाराधीन है। सम्बन्धित मंत्री के पास भेजा गया है। उसको अस्वीकृत थोड़े किया है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

बाजपेयी जी से तो मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही वे इसका जवाब दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भी मौका मिलेगा। सम्बन्धित मंत्री के पास से जवाब आ जायेगा तो आप बोलेंगे। अभी इसकी जांच हो रही है।

२३ जुलाई, १९७१को श्री बीरेन्द्र वर्मा द्वारा राज्य मंत्री, श्री उमादत्त शर्मा के विरुद्ध रिश्वत सम्बन्धी आरोपों पर राज्य मंत्री का स्पष्टीकरण

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री उमादत्त शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य का विषय रहा कि जिस समय यह प्रश्न उठाया गया उस समय मैं यहां सदन में उपस्थित नहीं था। यह कहना कि मैं सदन से उठ कर चला गया, सही नहीं है। इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। फिर माननीय सदस्य कोई सवाल पूछेंगे तो उसका मैं बाद को जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह विषय तो समाप्त हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री बीरेन्द्र वर्मा ने उसी को आज दुहराया है तो आप कैसे कहते हैं।

श्री उमादत्त शर्मा—

यह कहा गया है कि एक हजार रुपये की धनराशि एक सार्वजनिक सभा में प्राप्त हुई...

श्री बीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्री राधेलाल, चेयरमैन के मकान पर।

श्री उमादत्त शर्मा—

जिस वक्त उनके लड़के की दावत हो रही थी तो वहां पर सौ, पचास आदमी मौजूद थे जब एक हजार की धनराशि उन्होंने मुझे भेंट की थी। मैंने उनसे पूछा कि यह रुपया किस को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह रुपया हम आपकी पार्टी को नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, आपके विवेक को दे रहे हैं। वह रुपया मैंने सूबा कांग्रेस कमेटी में १३ तारीख को जमा कर दिया। वह रसीद मेरे पास आ गई है। और मैंने उनसे कह दिया कि वह जहां चाहे इस रुपये को इस्तेमाल करें।

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

क्या यह सही नहीं है कि उस जिले के भूतपूर्व विधायक ने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि यह मेरी निजी सम्पत्ति है?

श्री उमादत्त शर्मा—

मैंने उनसे कहा कि यह मेरे विवेक के लिए दिया गया है, आप मुझसे क्यों पूछते हैं। मुझे पता था कि इनके भेजे हुये हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

एक हजार वाला बाद में आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

एक हजार के बारे में आपने कहा और आज उसका स्पष्टीकरण मंत्री जी ने दिया।

श्री बंशीधर पांडेय—

क्या वह भी इसी में जोड़ देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बहस न करें। अगर आप लिख कर देंगे तब दूसरी बात है.....

श्री बंशीधर पांडेय—

लिख कर देंगे तो आप जोड़ देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी हम यह नहीं कह सकते।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं सुन नहीं पाया। यह एक हजार की घूसखोरी का मामला है या एक लाख की घूसखोरी का मामला है? स्पष्टीकरण किसका है?

श्री उपाध्यक्ष—

जो यहां अलिखित वक्तव्य दिया उसका स्पष्टीकरण है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

दो हैं। एक एक हजार वाला और दूसरा एक लाख वाला।

श्री उपाध्यक्ष—

एक लाख की तो लिखित सूचना वर्मा जी ने दी है। उसकी कार्यवाही जारी है और पूंछताछ हो रही है। एक हजार का जो उस दिन उठाया था उस को आज भी दोहरा दिया। जो आज संबंधित मंत्री को हक हासिल हो गया कि उसकी सफाई दें।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अब सदन में कोई प्रश्न उठाया जाता है कि उसका स्पष्टीकरण किया जायगा तो मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी इस सदन में यह कहा गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी जाँच करके सदन को आश्वस्त करें। अब माननीय शर्मा जी ने उत्तर दे दिया कि एक हजार रुपया उन्होंने पाया था। यह तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा कि पी० सी० सी० में जमा कर दिया। प्राइमा फेसी, आपने खुद सुना होगा, उनके उत्तर से आश्वस्त नहीं हो सकते कि पी० सी० सी० में जमा कर दिया। अगर बंगला देश के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कर देते तो बोना फाइड प्रूव हो जाता है। एक मंत्री, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाय उससे वक्तव्य करा कर ही छोड़ देंगे या मुख्य मंत्री जी से वक्तव्य दिलायेंगे कि जांच कर के वह किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी यह कह कि यह उचित लगता है या खुद उनकी बुद्धि कह दे कि एक मिनिस्टर जाते हैं और किसी के घर पर उन को कुछ रुपया दिया जाता है तो आजकल तो बंगला देश का मामला चल रहा है, मुख्य मन्त्री जी को अपील ई है कि मिनिस्टर लोग चन्दा मांगे, तो बंगला देश के सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट ट्रेजरी में जमा कर देते तब तो आश्वस्त हो जाते, लेकिन रुपया प्राप्त कर के पी० सी० सी० में जमा कर दिया। पी० सी० सी० में जमा कर दिया तो अपने घर में जमा कर दिया। तो मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों पर केवल उनका स्पष्टीकरण लें या मुख्य मन्त्री जी से वक्तव्य दिलायेंगे कि उनकी जानकारी क्या है और खुद वह आश्वस्त हो गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को मालूम है कि व्यक्तिगत सफाई देने का सब को हक है। अगर वह व्यक्तिगत सफाई से सन्तुष्ट नहीं हैं तो उसके और दूसरे ढंग हैं। अगर आप यह कहें कि यह जवाब सन्तोषजनक नहीं है तो आप क्या चाहते हैं कि वह जवाब सन्तोषजनक हो हो?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, तरसों जिस दिन मैंने यह प्रश्न मुख्य मन्त्री जी के सामने प्रस्तुत किया था उस दिन यह बताया था कि न यह पया कांग्रेस कमेटी में जमा किया था और न नागरिक परिषद् में जमा किया गया। मुख्य मन्त्री जो यहां पर उपस्थित हैं, वह बहुत समय तक सूबा कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और यहां पर उपाध्यक्ष भी उपस्थित हैं जो कांग्रेस कमेटी के रहे हैं किसी ने भी यह नहीं कहा कि हमारे यहां यह रुपया जमा हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि यह चाहे एक लाख रुपये का सवाल रहा या १ हजार रुपये का सवाल रहा तो क्या इस हाउस में कोई सीमा नहीं है कि इतने रुपये की रिश्वत का सवाल यहां पर उठाया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप ही निश्चित करेंगे कि यहां पर जो सवाल उठाया जाय वह किस सीमा तक उठाया जाय। यह आप ने ही तय किया है कि जो यह उठ रहा है और आप ही इसको तय करेंगे कि वह सही है या गलत है।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पिछले २, ३ दिन से इस तरह की व्यक्तिगत आक्षेप की बात यहां पर चल रही है। अगर हमारी तरफ से कोई सदस्य खड़े होकर वीरेन्द्र वर्मा जी से यह पूछें कि जब हमारी और आपकी कोलीशन सरकार थी उस समय चीनी मिलों के लिये एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें दो एम० एल० ए० और एक गैर सरकारी सदस्य था जिसने ५० लाख रुपया खीरी मिल से लिया तो वह किस फंड में उन्होंने जमा किया, वह बतला दें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

हमारे मित्र इससे पेशतर भी यह प्रश्न यहां पर उठाया था कि ५० लाख रुपया पृथ्वीनाथ सेठ ने ले लिया वह कहां जमा किया गया और आज भी वही प्रश्न वह फिर उठा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि कि जिस तरह से आप ५० लाख का प्रश्न उठा रहे हैं अगर उसी प्रकार से मैं भी एक करोड़ पये का प्रश्न उठाऊं कि इस ३।। महीने के अन्दर जब से यह नई सरकार बनी उसके लोगों ने एक करोड़ रुपया ले लिया और वह कहां जमा किया गया, इसको तथ्य के साथ आप बतला दें तो ५० लाख का मैं भी उसी तरह से बतला दूंगा.....

(शोर)

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बहुत दुख के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले २३ साल के इतिहास में हमारे हाउस का इतना गन्दा रोल कभी नहीं रहा है जिस तरह से कि आप की उपस्थिति में हो रहा है। आपकी अध्यक्षता में इस सम्मानित सदन में जो कोई सदस्य चाहें सब तरह की बातें उठावें यह प्रशासन के लिये ही नहीं, बल्कि यह यहां की प्रतिष्ठा और सदन के सम्मान का विषय है। मैं निवेदन करूंगा कि कि जरा अपने कलेजे पर हाथ रखकर सदन के माननीय सदस्य बात करें और मैं कहता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक बात है। प्रदेश की जनता के सामने, सरकार के सामने भ्रष्टाचार की और सभी लोग कर्मचारियों के अनुशासन की बात करते हैं और अगर यहां हमारा यह रोल रहेगा तो हमारा किसी चीज पर फिर कोई कंट्रोल नहीं रह जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के चरित्रों पर आरोप प्रत्यारोप न प्रदेश के हित में, न जनतन्त्र के हित में और न समाज के हित में ही होंगे। आप कृपया इस बहस को बन्द करायें। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप ४ दिन तक खुली छूट देकर यहां बहस करा दें और हर सदस्य और मंत्री के ऊपर जितने आरोप हों वह आने दें और फिर यहां बहस हो जाय।

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से सदन से निवेदन करता हूं कि इस सदन का यह पूरा अधिकार है कि इसका कोई सदस्य किसी भी समय किसी भी प्रश्न को यहां उठाये और उसका स्पष्टीकरण करें परन्तु यह व्यक्तिगत लांछन और अभियोग लगाना एक बड़ी गम्भीर चीज है क्योंकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इससे किसी के चरित्र की हत्या हो सकती है और उस सारे सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव पड़ जाता है। हमें कोई ऐसी व्यवस्था निकालना चाहिये कि इस तरह की चीजें सदन में इस तरह से न आयें। क्योंकि इस तरह का चक्र उधर से चला और आक्रमण और प्रत्याक्रमण चले तो यह सदन नहीं चल सकेगा। जो चीज मन में आई, भगवान ने बुद्धि दी है जो चाहे यहां कह दिया और कीचड़ उछाल दिया तो इस तरह से यह सदन नहीं चल सकेगा।

अगर सदन को चलाना है व्यवस्थित रूप से तो मैं विरोधी दल के नेतागण को आमंत्रित करता हूं, हम वह सब बैठ जायं और विचार कर लें कि कौन सी पद्धति यहां चलाई जाय। ऐसे प्रश्नों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, जहां गलत और भ्रष्ट तरीके अपनाये गये हैं उन के बारे में सदन को अधिकार है लेकिन किस तरह से व्यवस्थित तरह से वे उठाये जांय और ऐसी चीजें न हो, इसका निराकरण हम बैठ कर कर लें। मैं ही आजकल में नेता विरोधी दल के जो हैं उन को आमंत्रित कर लूंगा और बैठ कर एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली इस संबंध म निश्चित कर ली जाय वर्ना जैसा कि श्री राम करन जी ने कहा और सही ही कहा कि जितने आदमी यहां हैं फिर किसी की भी इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी, जिसके जो जी में आयेगा वह कहेगा।

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप कृपा कर के इस समय इस विवाद को बन्द करायें और आगे की कार्यवाही चले और किसी समय बैठ कर विचार कर लें। मैं चाहता हूं कि विरोधी दल का सहयोग सदन को चलाने में मिलता है रहे परन्तु यदि किसी के दिमाग में यह हो कि मध्यावधि चुनाव आ रहा है उस में किसी की इमेज को इन तरीकों से गिरा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह उन का भ्रममात्र होगा और उसको दूर करने की आश्वयकता है। आज ही या किसी दिन बैठ जांय और हम सब इस पर विचार कर लें, मेरी हाथ जोड़कर नम्र प्रार्थना है कि आज कल में ही बैठ कर इस के लिये कोई उपयुक्त विधि तैयार कर लें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे श्री राम करन जी ने अपने कुछ विचार व्यक्त किये और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा उसका मैं स्वागत करता हूं कि ऐसा प्रश्न आये तो सरकारी और विरोधी पक्ष के नेता बैठकर विचार कर लें, यह रास्ता उन्होंने निकाला है, यह बहुत अच्छा है। परन्तु एक विषय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सदन के सामने आ गया है।

माननीय राम करन जी ने जो कहा उसके बारे में तो वे जाने, मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु मैं एक निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूं कि यहां पर हर सदस्य की २ कैपेसिटी होती हैं और मंत्री की तो ३ कैपेसिटी होती हैं। हम विधायक चुने हुए यहां पर भेजे गये हैं। एक लाख आदमियों का हम यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके नाते हमारा चरित्र शीशे में रखा जायगा। परन्तु हमारे जो मंत्रीगण हैं, वे जनता के प्रतिनिधि भी हैं और उनके नीचे लाखों अफसर काम करते हैं। अगर माननीय मंत्री जी अच्छे हैं तो वैसे ही आदर्शपूर्वक वे उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे परन्तु यदि मंत्री भ्रष्ट हैं तो कभी भी उन के हृदय में निष्ठा नहीं रह सकती है और वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आज एक मंत्री संबंधित है ८ करोड़ लोगों से। उसी प्रकार हम लोगों के पास कोई बात आती है, तो हम उसे सुनते हैं और समझते हैं। कोई बात होती है तो उसके लिए कुछ प्रभाव भी आते हैं, यदि उसी दिन जांच करने के आदेश दे दिए होते कि अगर कोई केस प्राइमा फैसी बनेगा तो जांच होगी, तो हमारा सदन चुप रहता।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि सदन में ऐसी बातों के होने से वातावरण गन्दा होता है लेकिन, श्रीमन्, हमारे सामने और चारा ही क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

है ? जब मैं मंत्री की बात कहता हूं तो उसमें व्यक्तिगत कसौटी की बात नहीं लाता हूं। अगर माधव प्रसाद त्रिपाठी ४ रुपये का ब्लेकमार्केट करता है तो व्यक्तिगत वह भ्रष्ट है, बुरा है, लेकिन मान लें कि अगर मंत्री कोई ऐसा काम करता है तो थाउजैन्ड टाइम्स कन्डैम्ड है। तो मेरा निवेदन है कि हमारे जीवन को शीशे में रख कर परखना चाहिए। किसी को बदनाम करना या बदनाम करने की इच्छा से कहना जिससे हमारी भी मान मर्यादा गिरे, सदन की मान मर्यादा गिरे, बुरा है।

इस समस्या पर ७ रोज से गर्मा गरमी हो रही है लेकिन इस पर चर्चा कराने का एक भी अवसर नहीं दिया गया है। श्रीमन्, ये रेलें तो नहीं हैं कि भिन्न भिन्न लाइनों पर इन्हें चलाने दिया जाय। सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में बड़ा अन्तर है। मैं माननीय राम करन जी की इस बात का घोर विरोध करता हूं कि हर व्यक्ति के खिलाफ कुछ न कुछ बात अवश्य है। मैं तो उनको अपने से भी अच्छा समझता हूं और योग्य भी। जब तक जनता में मंत्री की इज्जत रहेगी तब तक ही वह न्यायपूर्ण दिखाई देगा। जब इतने माननीय सदस्यों से निकली हुयी बात पर विचार नहीं किया जाता तो वह कौनसा अवसर आयेगा कि उस पर विचार हो सके ? अब हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि हम इस बारे में बैठेंगे और सोचेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पहले यह क्यों नहीं किया गया ? यदि वह बात पहले हो गयी होती तो इतना घोर विरोध न हुआ होता।

*श्री कृष्णानन्द राय—

अभी २ मिनट पहले इस सदन में जो घटना हुयी वह बड़े नाटकीय ढंग से हुयी। हमारे माननीय त्रिवेणी जी ने एक बात कह दी कि वीरेन्द्र वर्मा जी ने कुछ लिख कर नहीं दिया। माननीय राम करन जी ने एक स्वीपिंग रिमार्क कस दिया कि जितने भी एम० एल० एज० यहां पर बैठे हैं, भूतपुर्व मंत्री हैं, यदि इस सदन में छूट मिल जाय तो इन सब पर इस प्रकार के अनर्गल चार्जेज आ सकते हैं और सब लोग इस प्रकार सदन में कलंकित हो जायेंगे।

श्रीमन्, यह जो कहानी शुरू हुई त्रिवेणी राय और रामकरन सिंह जी के बाद उसका अध्याय पूर्ण कर दिया माननीय मुख्य मन्त्री ने और उन्होंने कह दिया कि इस सदन के विरोधी दल के नेताओं को बुलायेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, उन पर विचार विनिमय हो जिससे सदन ठीक से चले और अनावश्यक रूप से या जो कि ज्यादा आज जरूरी न हो, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप न लगायें। इन सारी बातों का यदि पता लगायें कि विरोधी दल ने पिछले चार पांच दिनों से जो आरोप लगाये हैं एक दो एक माननीय सदस्य के ऊपर वह बिना विश्वास के अनर्गल लगाये हैं। इसमें कहीं विरोधी दल की गलती है। एक विरोधी दल के आदरणीय सदस्य, श्री गौरी शंकर राय ने बाकायदा पत्र लिख कर माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिया। मुख्य मन्त्री जी ने चूंकि निमंत्रित किया है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने यकायक उठकर सदन में कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, श्रीमन्, मैं बड़ी संजीदगी के साथ.....
मैं आप से यह कह रहा था कि यह जो कान्सीडरेशन चल रहा है उसमें देखें कि विरोधी दल की ओर से संसदीय परम्परायें जो हैं उनकी मान्यता रक्खी गई है .....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने इस विषय में कहा ही नहीं है और न इसलिये कहा कि जो विवाद इस पर होने वाला है वह न हो। मैंने तो यह कहा कि जिस तरह की बात इधर से हुई हजार रुपये लेने की, उधर से बात हो गई और जो रामकरन सिंह जी ने कहा, इसलिये मैंने कहा कि इस विषय को देख लिया जाय कि किस तरह से पद्धति हो। मैं आपकी बात का विरोधी नहीं हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहता हूं कि जिस तरह से प्रश्न उठाया गया वह सैद्धान्तिक था या नहीं, या संसदीय परम्पराओं को तोड़ा। उसको उठाया, उसका उत्तर दिया। उस पर चर्चा भी होने वाली है, उस पर चर्चा करा ली जायेगी। भविष्य के लिये मैंने कहा कि अच्छी तरह से सदन का काम चले, उसका स्पष्टीकरण हो इसलिये इस विषय पर विचार कर लिया जाय। आप विचार करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जैसा निर्णय करेंगे वैसा चलायेंगे। मैं कोई आक्षेप भी नहीं कर रहा हूं, चरित्र की हत्या या गिराने के लिये यह प्रश्न किया गया है। जिन्होंने जो भी प्रश्न उठाया वह शुद्ध जनहित में किया है और अपने विश्वास के अनुसार किया है और सत्य को सामने लाने के लिये किया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें और कोई बात है।

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा का नाम पुकारने पर।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल एक गुजारिश करना चाहता हूं और वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री जो ने जिस भावना की चर्चा की मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन मैं उनको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर मैंने माननीय उमादत्त जी के खिलाफ एक लाख रुपये की और एक हजार रुपये के आरोप की सूचनायें आपको दीं तो वे किसी दुर्भावना के मातहत नहीं थीं, किसी सार्वजनिक जीवन को क्षति पहुंचाने की दृष्टि से नहीं थीं। बल्कि सार्वजनिक जीवन की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए उस बात को सदन में उठाया था। क्योंकि उनका एक सार्वजनिक जीवन है और उससे अधिक वे मिनिस्टर हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री और सरकार पर जाती है। मैंने किसी दुर्भावना से नहीं कहा है। यह विश्वास मैं माननीय मुख्य मंत्री को दिलाना चाहता हूं। क्योंकि मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत यह प्रश्न दिया है और कई एक हमारे विरोधी दल के नेताओं ने सूचना दी है और हमारे तरीके से उस पर अभी तक निर्णय नहीं ले सके हैं। एक हजार रुपये का जो मामला है जिस पर स्पष्टीकरण दिया है, मेरा निवेदन है उसी अढ़ाई घंटे की चर्चा में उसे जोड़ लें और उसी में उस पर भी चर्चा हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको देख लेंगे।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चर्चा करते हुए राम करन सिंह जी ने जो सब पर लांछन लगा दिया कि हर एक एम० एल० ए० के ऊपर चार्ज लग सकता है, यह बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण है। हमारे बहुत से साथी आज भी ऐसे हैं कि प्रयत्न करने के बाद भी उन पर कोई लांछन नहीं लगा सका। ो यह बात अच्छी नहीं है। आप चाहें तो इन शब्दों को इसमें से निकाल दें।

श्री राम करन सिंह—

श्रीमन्, मुझे भी कहने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सदन के समक्ष एक अपील की। हो सकता है वह ठीक हो या न हो। उसके बारे में माननीय सदस्यों ने राय जाहिर की। अब फिर आपको मौका दें, तो हम कोई बहस नहीं चला रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

श्रीमन्, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मंत्रियों का जीवन व्यक्तिगत जीवन है। उनका जीवन क ऐसा जीवन है जिस पर यदि आक्षेप आता है तो उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। अगर इस पर रोक लगती है तो बड़ी गलत बात होगी। जहां तक यह बात है कि कांग्रेस पार्टी के किसी आदमी ने किया तो दूसरे ने भी किया होगा, इस पर नाराज नहीं होना चाहिए बल्कि उनको तो चैलेंज करना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि वह कहते हैं कि कमरे में विरोधी दल और हम बैठ कर बात कर लें। मेरा सुझाव है कि भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों के सम्बन्ध में एक आयोग गठित होना चाहिए। उसी में माननीय सदस्यगण आरोप लगाएं। चाहे पहले के मंत्री हों और चाहे अब के, वह आयोग उन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करें...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं.....

श्री हुकुम सिंह परिहार—

भ्रष्टाचार के मामलों में एक आयोग गठित किया जाय जो अब के मंत्रियों और....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। आप कृपा कर बैठें। इस तरह बड़ी-बड़ी मर्यादा की आरती उतारने की बात करना और खुद अमर्यादित व्यवहार करना कि कहने पर भी न रुकना, दोनों चीजें असंगत हैं। सुझाव देना है तो आप लिख कर भी दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, जो हाउस में गौरी शंकर राय जी के पत्र की वजह से वातावरण पैदा हुआ, उसमें बहुत ज्यादा एक्सचेन्जेज हुए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माननीय रामकरन सिंह जी ने हाउस के तमाम सदस्यों पर जो लांछन लगाया है, उनकी मानहानि की है, मैं उसके लिए उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन की नोटिस देता हूं। आप इसको टेक-अप कीजिए।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

साधारणतया तो विरोधी दल के भाषण के बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, मगर सदन का ध्यान मैं एक विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्यगण के प्रति आरोप और प्रत्यारोप स्थापित करने की जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी है, उसके सम्बन्ध में मेरी निश्चित राय है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो हमारी जो नियमावली है उसका उल्लंघन होता रहेगा। जो कार्यवाही निश्चित हो जाये उसके अनुरूप कार्यवाही की जाये। अगर उसके विपरीत कार्यवाही हो तो दोष लगाया जा सकता है। एक प्रश्न औचित्य का होता है—वह प्रश्न प्वाइन्ट आफ आर्डर का है। नियमावली की धारा ३०० के अन्तर्गत यह अधिकार है कि यदि किसी प्रश्न पर चर्चा चल रही है तो दूसरे प्रश्न पर चर्चा उठाने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं और नियम ३०१ में दिया हुआ है :

"ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो"—जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे, जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना

देंगे, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों तथा साथ में कारण भी बतायेंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।"

श्री उपाध्यक्ष—

नियम की स्थिति तो साफ है, मगर पालन कैसे हो, इसे आप बतायें।

श्री शिवराज सिंह—

आप जिस आसन पर बैठे हैं उससे सख्ती और कड़ाई के साथ पालन करायें। यदि यह आरोप और प्रत्यारोप करने की प्रवृत्ति जारी रही तो किसी भी माननीय सदस्य की सुरक्षा नहीं रहेगी। श्रीमन्, आप नियमावली के अनुसार कार्यवाही करें और सब के मान की रक्षा करें अन्यथा सब को आपत्ति हो जायेगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं उनसे सभी को खेद है और सभी को अफसोस है, चाहे इधर के सदस्य हों और चाहे उधर के सदस्य हों। यह आपका अधिकार है कि कौन सा प्रश्न आये या न आये। अगर किसी माननीय सदस्य को आरोप लगाना है तो वह उसे आइन्दा लिखित रूप में आपके सामने रखें और यदि आप यह जरूरी समझें कि उस पर विचार होना है तो उस दिन आप बहस इन-कैमरा कराने की कृपा करें। उस दिन सदन की कार्यवाही बिल्कुल इन-कैमरा होनी चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, बड़े गम्भीर आरोप इधर से भी लगाये गये और उधर से भी लगाये गये। यहां से आरोप लगाया गया कि १ लाख रुपये की रिश्वत ली और उधर से यह कहा गया कि चीनी मिल मालिकों से ५० लाख रुपये ले लिये। प्रश्न केवल मंत्रियों का नहीं है, प्रश्न केवल माननीय सदस्यों का भी नहीं है, प्रश्न यह है कि राजनीतिक पद का किसी भी तरीके से दुरुपयोग न किया जा। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो मुख्य मंत्री जी जो सुझाव दिया है, उसका हमको स्वागत करना चाहिए कि सदन में उसके ऊपर खुले तौर पर बहस हो। अगर जिम्मेवारी के साथ कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, चाहे इधर से हो या उधर से हो, तो उस पर बहस होनी चाहिए। इस सदन में उस पर विचार होना आवश्यक है ताकि प्रदेश की जनता को मालूम हो सके कि किस कारण ये आरोप आ रहे हैं।

श्री राम करन सिंह—

हाउस में किसी बात पर चर्चा हुई और मैंने अपने विचार व्यक्त किये। विचार व्यक्त करने के बाद बहुत से सम्मानित सदस्य खड़े हो गये और मेरा नाम घसीटकर उसको चर्चा का विषय बना दिया। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नाम इतना महत्वपूर्ण है, इसमें आपको एतराज क्या है?

श्री राम करन सिंह—

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब मैं समझता हूं कि जो हाउस ने समझा है वह ऐसी बात नहीं थी। सभी भावार्थ लोग अपने मन से ला रहे हैं। जो कुछ इधर-उधर से रक्खा गया वह अर्थ अपनी जगह पर है लेकिन जिस तरह की प्रक्रिया या चर्चा हाउस में जारी हो गई थी उसमें मैंने कहा था कि अगर यह बात बढ़ेगी तो इससे सारे सम्मानित सदस्यों को धक्का पहुंचाया जा सकता है इसलिए मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कुछ विचार

[श्री रामकरन—]

व्यक्त कर दिये हैं उस पर विचार कर लिया जाय। मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि हर मेम्बर हाउस का बेईमान है। मैंने कहा है कि अगर इस तरह की बातें होंगी और पैदा की जावेंगी, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस तरह की बातें पैदा हो रही हैं, जिस तरह के आचरण हम लोग कर रहे हैं, अगर कहेंगे तो किसी सम्मानित सदस्य की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैंने हर आदमी को बेईमान कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने एक बार, दो बार कह दिया, तो क्या आपकी राय से सदस्यगण सहमत हो जावेंगे ?

श्री रामगोपाल संड—

अब यह मान्यवर, बदल गये हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैंने एक सूचना दी है। मुख्य मंत्री जी बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके बोलने पर दूसरे लोग नहीं मानते हैं। वे भी बोलना चाहेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रश्न पर अब क्या किया जावेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रम विभाग पर कटौती का प्रस्ताव है, अब उसको शुरू किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इतना समय खुद लिया, अब सरकारी पक्ष के कहने का मौका आया तो यह कहना उचित नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि इस विषय पर चर्चा काफी हो चुकी है। अब आपकी आज्ञा से यह समाप्त हो और आगे की कार्यवाही चले और हम लोग बैठ कर जिस विषय पर बात करना है करेंगे और जो परम्परा और ढंग विरोधी पक्ष के लोग अपनायेंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

मथुरा राजकीय अस्पताल में भर्ती एक युवती के साथ अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बलात्कार करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

दिनांक ९ व १० जुलाई, १९७१ के बीच की रात में डा० एम० एस० राजपूत, चिकित्सा-अधिकारी की ड्यूटी जिला चिकित्सालय, मथुरा में थी। श्रीमती के० डी० शर्मा, स्टाफ नर्स भी ड्यूटी पर थीं। चिकित्सालय के जनाना सेप्टिक वार्ड में श्रीमती लांगश्री पैर के फोड़े के इलाज के लिये भर्ती थीं। सुबह होने के पहले श्रीमती के० डी० शर्मा, स्टाफ नर्स ने डा० राजपूत को सूचना भेजी कि रात में कुछ व्यक्तियों ने श्रीमती लांगश्री के साथ दुर्व्यवहार

करने की कोशिश की। डा० राजपूत तुरन्त जनाना सेप्टिक वार्ड में गये और पूछ तांछ की जिसके फलस्वरूप यह पता चला कि श्री महेन्द्र सिंह नामक वार्ड ब्वाय, श्री गौरी शंकर, स्थानीय सामाजिक नेता तथा अन्य दो व्यक्तियों ने, जिनके नाम व पते नहीं मालूम हो सके, रोगिणी के पति, श्री भूदेव पर वार्ड में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने का आरोप लगाकर धमकाया था। थोड़ी देर बाद एक बाहरी व्यक्ति रोगिणी के पति, श्री भूदेव को अपने साथ आउट डोर में ले गया जहां राकिब नामक वार्ड ब्वाय ने उससे इस सम्बन्ध में पूछ तांछ की तथा श्री भूदेव को ८ आने दिये और चाय लाने को कहा। जब श्री भूदेव चाय लेने चले गये तो दो व्यक्तियों ने जिनमें से एक संभवतः बाहरी तथा एक संभवतः वार्ड ब्वाय था वार्ड में आकर वार्ड की बत्ती बुझा दी तथा श्रीमती लांगश्री के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयत्न किया। पड़ोस में दूसरी शैया पर लेटे हुये रोगी ने इन दो व्यक्तियों को टोका जिसके फलस्वरूप संभवतः श्री महेन्द्र सिंह वार्ड ब्वाय बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति भी वार्ड के बाहर चला गया।

रोगिणों के पति, श्री भूदेव ने अपने शिकायती बयान चिकित्साधिकारी को दिया और उसके बाद वे अस्पताल से कहीं बाहर चले गये। सुबह होते ही डा० राजपूत ने इस घटना की रिपोर्ट कार्यवाहक अधीक्षक और उनके माध्यम से सिविल सर्जन, मथुरा को दी। सिविल सर्जन रिपोर्ट मिलने के बाद मरीज को देखने के लिये मौके पर गये, जहां श्री भूदेव तथा उनके अन्य साथी भी मौजूद थे। सिविल सर्जन ने इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक से चर्चा की। श्री भूदेव ने घटना की रिपोर्ट पुलिस में की जिसके फलस्वरूप श्री महेन्द्र सिंह और श्री राकिब वार्ड ब्वाय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

इस सम्बन्ध में दफा ३७६ आई० पी० सी० के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस द्वारा जांच हो रही है। सिविल सर्जन ने उसी दिन इन दोनों कर्मचारियों को सेवा से निलम्बित कर दिया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

वक्तव्य में बताया गया है कि....

श्री उपाध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिए था। इसमें एक प्रश्न आप कर लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

वक्तव्य में लिखा है कि दो बाहरी व्यक्ति अस्पताल में पहुंचे। मैं जानना चाहूंगा कि ये दो बाहरी व्यक्ति किस प्रकार अस्पताल में पहुंचे और क्या उनके कोई रिश्तेदार वहां ठहरे हुए थे?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी)—

बाहरी व्यक्तियों का अस्पताल में जाना ठीक नहीं है और यह अस्पताल के नियमों के विरुद्ध भी है। इसकी जांच हो रही है। यह बड़ा गम्भीर आरोप है और बड़ी दुखद घटना है और साथ ही लज्जाजनक भी। इसमें इस समय और ज्यादा बताना ठीक नहीं होगा। शासन की तरफ से स्पष्ट हिदायत दे दी गयी है कि जो चौकीदार और जो इंचार्ज डाक्टर हों ड्यूटी पर यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि बाहरी आदमी अस्पताल में न जाने पायें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मुझे केवल एक प्रश्न करना है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक प्रश्न उनका हो गया। यह केवल वक्तव्य के लिए था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

दो तीन प्रश्न करने की इजाजत तो माननीय अध्यक्ष भी दे देते हैं।

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

मान्यवर, अगर आप इजाजत देते रहें तो प्रश्न होते रहेंगे। यह केवल वक्तव्य के लिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

तीन माननीय सदस्य खड़े हुए हैं तो तीन प्रश्न हो जायंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वक्तव्य से सम्बन्धित है। इसमें लिखा है कि "श्री गौरी शंकर, स्थानीय सामाजिक नेता तथा अन्य दो व्यक्तियों ने, जिनके नाम व पते नहीं मालूम हो सके, रोगिणी के पति, श्री भूदेव पर वार्ड में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने का आरोप लगा कर धमकाया था। जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये वे श्री महेन्द्र सिंह और श्री राकिब हैं। मेरा यह प्रश्न है कि श्री गौरीशंकर, स्थानीय सामाजिक नेता, कौन हैं और इन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इनके श्वसुर अस्पताल में भर्ती थे इसलिए वे वहां गये थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिसके प्रति दुर्व्यवहार हुआ उसकी डाक्टरी जांच करायी गयी?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

जी हां। करायी गयी।

बंगला देश को मान्यता देने के बारे में मंत्रियों द्वारा सदन के भीतर और बाहर भिन्न मत व्यक्त करने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। हमने नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना दी है। इसमें सदन का विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है। श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि बंगला देश के संबंध में इस सदन में भी प्रश्न उठाया गया था और जब हम कुछ चर्चा करना चाहते थे तो हम को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कह कर रोक दिया कि इस पर केन्द्रीय सरकार ही विचार कर सकती है, यह मामला उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में है। उस समय एक मत से सदन ने एक रिजोलूशन पास किया था। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि रिजोलूशन को केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया गया है और मैं स स्थिति में नहीं हूं कि इस विषय पर यहां चर्चा कर सकूं। किन्तु श्रीमन्, अभी दिल्ली में बंगला देश के संबंध में एक कन्वेन्शन हुआ जिसमें केन्द्र के माननीय फखरुद्दीन अली अहमद तथा चन्द्रजीत यादव ने तो भाग लिया ही साथ ही हमारे यहां की उप मंत्री, बेगम हबीब-

उल्ला ने भी भाग लिया जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि "दि कन्वेन्शन इन ए रिजोलूशन कनवेड फुल सपोर्ट आफ दि इन्डियन पीपुल टू दि फ्रीडम फाइटर्स एज वैल एज दि गवर्नमेंट आफ बंगला देश"।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के लोग जनता के सामने जाते हैं तो दूसरी बात करते हैं और जब यहां पर सदन में बात करते हैं तब दूसरी बात करते हैं और बाहर जाकर हीरों बनने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह अखबार में उनका फोटो आ जाय। आज मान्यवर, सारे हिन्दुस्तान में एक बड़ा भारी भ्रम हो रहा है और मंत्री जी का दो प्रकार का चेहरा हो गया है। यहां कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, कन्वेन्शन में, इसलिये कि फोटोग्राफी में आ जायं, कहते हैं कि बंगला देश को सपोर्ट करते हैं। इसलिये मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है, हम चाहते हैं (व्यवधान) कि आप नियम ३०१ के अन्तर्गत इस पर चर्चा करने का हमें अवसर दें। इसके लिये मैं आप से अपील कर रहा हूं। यह ऐसा मामला है कि सरकार हम लोगों को कान्फीडेन्स में ले और हमभी सरकार की कठिनाइयों से अवगत हो जायें। फिर आपस में मिल कर इस विषय पर कोई समझौता हो जाय, वर्ना आज सारी दुनियां हम लोगों पर हंस रही है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है।

यह जो नियम ३०१ है इसमें असाधारण परिस्थिति में चर्चा हो सकती है। आज असाधारण परिस्थिति है। आप सदन में विचार के लिये अवसर दें—एक घंटा, दो घंटा या पूरे दिन, इस पर बहस हो जाय। आप पिछली कार्यवाही को भी देख लें। पहले मई में विवाद हुआ था, उस को कई महीने बीत गये, सारी परिस्थितियां भी तब से अब बदल चुकी हैं। इस पर हमारे और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है, हम लोगों ने युन निमसली प्रस्ताव भी पास किया था, संसद ने भी पास किया था। ६ महीने में परिस्थिति बदल गई है, जिससे न तो मुख्य मन्त्री जी अपना फैसला स्पष्ट रूप से दे पाते हैं, न प्रधान मंत्री जी दे पाती हैं और न हम लोग ही। यह जरूर है कि अखबारों में, रेडियों में, फोटोग्राफी में वह जरूर आ जाते हैं। मैं श्रीमान, जी से अपील करूंगा कि नियम ३०१ के अन्तर्गत जो मैंने प्रस्ताव दिया है उस पर विचार हो और सदन में बैठ कर हम बंगला देश के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करें। जिसको लेकर मुख्य मन्त्री जी भी जाकर जनता में भाषण दें और हम भी अपने क्षेत्र में जा कर जनता को वास्तविक स्थिति को बता सकें। हमें ऐसी स्थिति में नहीं गुजरना चाहिए कि हम एक मुंह से साथ-साथ दो बातें कहें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने बहुत समय लगाया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहां पर जो प्रस्ताव पास हुआ है—(श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला के खड़े होने पर) अभी यह प्रश्न नहीं है, आप बैठ जाइये।

श्री कृष्णानन्द राय—

वह खड़ी हुई हैं, उनको आप समय दें, उन्हें बताने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

जो बात असम्बद्ध है, उसको कैसे सुना जाए।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

इसको नियम ३०१ के अन्तर्गत ले`ने की बात है, इनका नाम आया है, इसलिए आप इनको बोल` का मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने उस को अस्वीकृत कर दिया है। किन्तु चूंकि वह एक निरापण चीज थी, इसलिये मैंने उसको पूरा सुन लिया, मैंने उनको टोका नहीं। हम सभी की वही इच्छा है जो माननीय सदस्य की है, लेकिन किस मंत्री ने, किस बैठक में क्या कहा, क्या विचार प्रकट किया है, यह हमारे देखने की इस संबंध में बात नहीं है। क्योंकि इससे, उनके कहने से विधान सभा के किसी निर्देश या किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। बल्कि इस प्रदेश के उस संकल्प को कुछ हद तक उन्होंने पूरा किया है।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

श्री कृष्णानन्द राय ने जो कहा था यह उसके अनुकूल करें तो बहुत ठीक है, लेकिन यह तो उसके विपरीत आचरण है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मैं नहीं समझ पाया कि इसमें विरोध क्यों? जब सदन में प्रश्न किया गया था तो मैंने कहा था कि जो प्रस्ताव यहां पास हुआ है उससे हम बंधे हुए हैं। जब उन्होंने पूछा कि आपकी व्यक्तिगत राय क्या है तो मैंने कहा था कि हमारी व्यक्तिगत राय वही है जो विधान सभा ने पास किया है। इसके विरुद्ध न सरकार चलती है न चल सकती है। हम लोग व्यक्तिगत और सरकारी दोनों रूपों में उस निर्णय से बंधे हुए हैं। भारत सरकार को राय दे चुके हैं कि बंगला देश को मान्यता दी जाए और फिर यह निवेदन करता हूं कि भारत सरकार बांगला देश को मान्यता दे।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

इस पर भी उपाध्यक्ष महोदय बेगम साहिबा की बात सुन लीजिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जब मैं बतला चुका तो आप बेगम साहिबा को सुनने के लिये इतना क्यों परेशान हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

तो, श्रीमन्, क्या मुख्य मन्त्री और बेगम साहिबा में कोई फर्क नहीं है?

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या ५-अन्य कर और शुल्क

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५---अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पुर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १७,५१,७०० पये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

जिन पर विवाद नहीं होना है उन अनुदान की मांगों को एक साथ लन की परिपाटी रही है उससे आप सहमत हों तो वैसे ही चलें नहीं तो एक-एक करके अनुदान पास हों। अच्छा क- एक कर के लिये लेते हैं।

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, १७,५१,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ९—निर्वाचन

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९—निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६४,०६,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९-निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६४,०६,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,२२,३३,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,२२,३३,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २६,२८,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २६,२८,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २६-नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,७४,२४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,७४,२४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ४०—राजनैतिक पेंशनें तथा भत्ते

सार्वजनिक निर्माण राज्यमंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०-राजनैतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३७,२५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०-राजनैतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३७,२५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ४४—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला)—

मैं, गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४-नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,४८,७५,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४-नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदानों द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,४८,७५,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या २७–श्रम तथा सेवायोजन

*श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त वाजपेयी)——

मैं, गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २७-श्रम तथा सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५४,४८,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय । इस अनुदान में श्रमायुक्त तथा निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से चल रही सेवाओं एवं योजनाओं तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय और राजकीय अधिष्ठानों के लिये स्थायी संराधन समिति का बजट सम्मिलित है ।

(इस समय १ बजकर ३० मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जे० एन० सिन्हा पीठासीन हुये ।)

१——श्रम सेवायें——इस विभाग की श्रम सेवायें ३ वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं —— (क) श्रम कल्याण, (ख) विवादों का निपटारा, (ग) औद्योगिक तथा श्रम अधिनियमों का कार्यान्वयन ।

(क) श्रम कल्याण——श्रमिकों तथा उनके परिवार के स्वास्थ्य तथा औद्योगिक विकास के लिये श्रम कल्याण केंद्र खोले गये हैं जो इस समय संख्या में ६४ हैं । इनमें २९ 'क' श्रेणी के, ३४ 'ख' श्रेणी के तथा १ 'ग' श्रेणी के हैं । इन केंद्रों के अतिरिक्त मंसूरी में एक श्रमिक अवकाश गृह भी है, जहां श्रमिक विश्राम के लिये जा सकते हैं । इनसे लगे हुए ६४ श्रम चिकित्सालयों में एलोपैथिक/होम्योपैथिक, वैद्यक तथा यूनानी परिपाटी की चिकित्सा सुलभ हैं । पिछले वर्ष इन सभी चिकित्सालयों में मरीजों की दैनिक औसत ६,९८१ थी । इसके अतिरिक्त दाइयों के माध्यम से मातृका कल्याण का कार्य भी संतोषजनक रहा जिसमें प्रसव के पूर्व ७,५६८, ३,५३५ प्रसव संबंधी तथा ६,९६८ प्रसवोपरान्त मरीजों की सेवा की गयी । ६ श्रम कल्याण केंद्रों में परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर दिया गया है । जिसके अन्तर्गत ३९६ नसबन्दी आपरेशन किये गये । इन श्रम हितकारी केंद्रों में चलाये जा रहे शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्रमिक वर्ग का सहयोग सलाहकार समितियों द्वारा है । पुस्तकालयों तथा वाचनालयों का उपयोग भी संतोषजनक रहा है । यहां पिछले वर्ष पाठकों की दैनिक औसत संख्या ४,१९७ थी । श्रमिकों के हित में पिछवे वर्ष २०९ वाद-विवाद प्रतियोगितायें तथा मुशायरे तथा कवि सम्मेलन आयोजित किये गये ।

अल्प वेतन भोगी श्रमिकों व सिलाई-कढ़ाई की कक्षाओं में प्रशिक्षण के पश्चात् ....

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)——

अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मंत्री जी यहां पर सदन में स्पीच पढ़ रहे हैं जब कि नियम यह है कि सदन में कोई मंत्री स्पीच नहीं पढ़ सकते । यदि कोई बयान हो तो उसे मंत्री सदन में पढ़ सकते हैं तो इस पर आप व्यवस्था दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, इसमें इतने तथ्य हैं कि····

श्री जगबीर सिंह—

हर स्पीच में तथ्य हुआ करते हैं । अतः मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर आप रूलिंग दें कि क्या मंत्री जी हाउस में स्पीच पढ़ सकते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, जहां तक मैं समझा हूं माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था चाही है उसके संबंध में मैं निवेदन कर दूं कि माननीय मंत्री जी स्पीच नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि उसमें इतने आंकड़े और तथ्य हैं जिन्हें वे अपनी स्पीच में कोट करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मंत्री जी पूरा वरबेटिम पढ़ रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

साधारणतया स्पीच पढ़ना नहीं चाहिये ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं और माननीय तिवारी जी का भी आदर करता हूं किन्तु उन्होंने जो कहा है उसमें गलतबयानी कर दी है। माननीय मंत्री जी सचमुच स्पीच पढ़ रहे थे ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं इसलिये पढ़ रहा था ताकि कोई तथ्य छूटने न पाये । कोई दूसरा मतलब नहीं था । अब मैं पढ़ूंगा नहीं ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं पढ़ रहा था और इसलिये पढ़ रहा था ताकि इस सदन को सभी तथ्य मालूम हो जायं किन्तु माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि वे खाली आंकड़े कोट कर रहे थे, स्पीच नहीं पढ़ रहे थे । तो यहां पर प्रिविलेज-मोशन हो जाता है । सदन में एक मंत्री उस बात को कह रहे हैं और सदन को पढ़कर सुना रहे हैं यह बहुत अच्छा है लेकिन माननीय वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वे खाली आंकड़े देख रहे हैं, यह सदन को गुमराह करने की बात हुई । मान्यवर, यह बात आपके और इस सदन के सामने हुई, किसी दूसरे के सामने नहीं हुई । तो उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब नहीं पढ़ेंगे, वे कह रहे हैं । साधारणतया पढा नहीं जाता है किन्तु आंकड़े और कोई ऐसी चीज हो जिसमें तथ्य की बात हो तो उसे कंसल्ट करके पढ़ सकते हैं ····

(व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह—

मान्यवर, हम इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं, वे पढ़ें या चाहे न पढ़ें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी भावनाओं से माननीय मंत्री जी अवगत हो गये हैं । वे अब पढ़ेंगे नहीं ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि श्रम कल्याण उप-विभाग जो है उसमें हमारा शासन परिवर्तन करने की सोच रहा है और यह बात ठीक है । मुशायरा भी होना चाहिये, कवि-सम्मेलन भी होना चाहिये । दे हैव देयर प्लेसेज इन लाइफ । मगर हम जो परिवर्तन करने जा रहे हैं वह यह है कि श्रम विभाग और श्रम कल्याण का जो उपविभाग है उसका मुख्य कार्य यह होगा कि श्रम कल्याण के लिये छुआछूत निवारण, मद्य निषेध, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना, नसबन्दी और कंज्यूमर्स कोआपरेटिव बनाने का अधिकाधिक प्रचार करेगा । यह परिवर्तन करना शासन सोच रहा है । इसको सफल बनाने के लिये जो सेवायोजक हैं और जो यूनियनें हैं उनका भी पूर्णरूप से सहयोग की आवश्यकता है और हमें आशा भी है कि वह हमको मिलेगा । जो श्रम कल्याण के पंचशील हैं उन पांचों चीजों का प्रचार करने के लिये, उसे समझने और सफल बनाने के लिये एक व्यावहारिक मूल्यांकन पद्धति बनायेगा जिससे हम जान सकें कि इन पांचों चीजों का सफलतापूर्वक इफेक्टिव प्रचार किया गया, उसको इवैल्युएट करें ।

श्रम कल्याण का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य औद्योगिक आवास योजना है । श्रम विभाग के ऊपर सरकार की सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत २७,०६८ आवास बन चुके हैं और आवासों का बनना विचाराधीन है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा १७० लाख रुपये की धनराशि गृह निर्माण हेतु उपलब्ध की गयी है जिसमें ५,१०० क्वार्टर्स के निर्माण का प्रोपोजल है । इसमें से ५०० लखनऊ, ८०० इलाहाबाद और ८०० गाजियाबाद में बनाये जायेंगे वहां के औद्योगिक कर्मचारियों के आवास के हेतु । चीनी मिलों द्वारा १९७० तक और चालक मद्यसार उद्योग, श्रम कल्याण उद्योग और विकास नीति के अन्तर्गत १,७१० आवासों की व्यवस्था हो पायेगी । सरकारी चीनी मिलों का जो व्यापक प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि उन चीनी औद्योगिक कर्मचारियों के आवास का प्रबन्ध करे, उसमें वह अधिक सक्षम नहीं हैं । यह चीज हम करने के लिये सोच रहे हैं कि कोई हाउसिंग कोआपरेटिव अगर सरकारी मिलों के कर्मचारी बनावें तो उनकी यथा सम्भव सहायता की जाय ।

अब इसमें दूसरा अंग है श्रम विभाग के विवादों का निपटारा । सेवायोजकों और श्रमिकों के मध्य जो विवाद उठते रहते हैं उनको ७ लेबर कोर्ट्स (श्रम न्यायालय) और ३ औद्योगिक न्यायाधिकरण-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल उन पर ऐडजुडीकेट करते रहेंगे । पिछले वर्ष ९०० विवादों में समझौते हुए, १,७८६ विवाद नान-प्रासीक्यूशन यानी हाजिर नहीं हुई पार्टियां या विवाद वापस ले लिया गया इससे खत्म कर दिये गये और जितने विवादग्रस्त मामले गये उनमें से १,३५५ हमारे लेबर कोर्ट्स ने फैसल किये और ३२७ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने फैसल किये । इस संबंध में जो सरकार सदन के सामने तथ्य रखना चाहती है वह यह है कि ११४ जो औद्योगिक अभिनिर्णय (इंडस्ट्रियल अवार्ड्स) हैं उनको अभी तक हम अमल नहीं करा पाये हैं । ये पुराने अवार्ड हैं और अब सरकार पूरी शक्ति के साथ उन पर अमल कराने के लिये कोशिश करेगी ।

गत वर्ष औद्योगिक संबंधों में मधुरता लाने के लिये ऐडजुडिकेशन कम करने के लिये जो प्रयत्न हमारे श्रम विभाग ने किये हैं उसके फलस्वरूप २०६ हड़तालें वापस ली गयीं और १२९ संभावित हड़तालें टल गयीं और जो मैन-डेज लास्ट यानी हड़ताल के कारण जो श्रम के घंटों का नुकसान हुआ वह पिछले वर्ष से कम नुकसान रहा है । संराधन के कार्य के महत्व को सही ढंग से समझने के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बमुकाबले महाराष्ट्र, केरल, पश्चिमी बंगाल और तामिलनाडु में हड़ताल और तालाबन्दी द्वारा जो उत्पादन का ह्रास हुआ है वह कहीं कम है ।

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी---]

इन प्रदेशों के मुकाबले में यहां कहीं कम हुआ है ।

कानपुर में मुकदमों की अधिकता को देखते हुए एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल हमने कानपुर भेजा है ताकि मुकदमों का एरियर निबटाया जा सके । इसके अतिरिक्त एक श्रम न्यायालय के भी वहां पर भेजने के बारे में शासन विचार कर रहा है ।

जो औद्योगिक विभाग के अभिनिर्णय होते हैं, उनमें जो देरी होती है, उसके बारे में सरकार को ज्ञात है । उससे श्रम को बहुत परेशानी होती है । अब ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें हम इस सदन को ऐसा आश्वासन देना चाहते हैं कि आज तक जो भी इंडस्ट्रियल ऐडजूडीकेशन का टाइम रहा है उसके मुकाबले में आगे आधा समय लगेगा । इसके अलावा मुकदमों से संबंधित लेबर यूनियनों और श्रमिकों का पैसा भी आधे से कम लगने की आशा है ऐसे कदम भी उठाये जा रहे हैं । इन कदमों के संबंध में जो श्रम न्यायालय के अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठकर समग्र रूप से विचार हो चुका है और ऐसे स्टेप्स के बारे में हम करीब-करीब पूर्ण निर्णय ले चुके हैं और शीघ्र ही उनके कार्यान्वियन की दशा में बढ़ने वाले हैं ।

उत्तर प्रदेश में यह भी देखा गया है कि श्रम न्यायालयों में जितने विवाद भेजे जाते हैं उनमें से केवल एक-तिहाई विवाद ही श्रमिकों अथवा श्रमिक यूनियनों के पक्ष में निर्णीत होते हैं ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, हाउस के अन्दर कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

परम्परा ऐसी है कि कोरम के लिये १ बजे से २ बजे के बीच ध्यान नहीं दिया जाता ।

श्री जगबीर सिंह---

श्रीमन्, इसी आसन से यह रूलिंग हो चुकी है कि अगर कोई सदस्य एतराज कर देगा तो उसको अवश्य ही लिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता---

जिन माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया था वे मेरे उत्तर को सुन कर बैठ गये हैं, यानी उन्होंने प्रेस नहीं किया । अगर आप प्रेस करते हैं तो घंटी बजवाये देता हूं ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि श्रमिक न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में जो श्रमिकों का निर्बल प्रतिनिधित्व होता है, उस कमी को दूर करने के लिये शासन लेबर ला-ऐडवाइजर की नियुक्ति करने जा रहा है जो कि मुकदमें में बाकायदा खड़े होकर पैरवी कर सकें । केवल वे सलाह न दे कर जैसा कि दूसरे लोग अदालतों में पैरवी करते हैं, खड़े होकर, उसी तरह से वे भी कर सकेंगे ।

मान्यवर, अब मैं जितने औद्योगिक वेतन मंडल हैं, उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिये मौजूदा प्रशासन ने जो कदम उठाये हैं वह निवेदन करना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि जब वेज बोर्ड की सिफारिशें आ जाती हैं तब हम संबंधित उद्योग का त्रिदलीय सम्मेलन बुलाते हैं और उसमें इस बात की प्रार्थना करते हैं और इसमें उनका सहयोग मांगते

हैं कि जल्दी से जल्दी सब कारखानेदार उन शर्तों की यथाशक्ति पूर्ति करें । इस सिलसिले में १९७० में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और शुगर वेज बोर्ड के ऊपर त्रिदलीय सम्मेलन हुये हैं और कुछ के सन् १९७० से पहले हुये हैं । उसका परिपालन लगभग पूर्ण हो चुका है । बिजली, इंजीनियरिंग वेज बोर्ड का परिपालन हुआ है । कुछ कमियां हैं जिनका निराकरण किया जा रहा है । इन उद्योगों में यथायोजन के जितने केसेज हैं उनका निबटारा करने हेतु आवश्यक तंत्र गठित करते हैं ताकि श्रमिक फिटमेंट केस लावें । जिनके बारे में वेतन मंडल की सिफारिशें लागू करनी हैं उनके लिये फिटमेंट शासन तंत्र स्थापित किये जा चुके हैं ।

जहां तक कपड़ा उद्योग का संबंध है, सेकेंड टेक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशें सिक मिल्स के बारे में हैं । उसके लिये शासन ने एक जोशी कमेटी बैठाई थी । वह अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और उसके कार्यान्वयन के रूप पर कि किस तरह से कार्यान्वयन किया जाय, सरकार विचार कर रही है ।

चमड़ा उद्योग के संबंध में वेतन मंडल की सिफारिशों से संबंधित राजाज्ञा के परिपालन के निबटारे हेतु तंत्र स्थापित किये जा चुकें हैं । इसमें फिटमेंट करने की जो अथारिटी है उसका अप्वाइंटमेंट कर लिया गया है ।

चमड़े के लिये और करीब-करीब सब इंडस्ट्रीज के लिये जिनमें वेज बोर्ड की अनुशंसायें आती हैं उनके कार्यान्वयन की सिफारिश की । भारी रसायन और खाद उद्योग वेतन बोर्ड की अनुशंसायें लागू की जा चुकी हैं और उनका पालन कराया जा रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित वेज बोर्ड की जो सिफारिशें हैं उनके बारे में अभी कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है किन्तु उसके लिये भी जल्दी से जल्दी तंत्र स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है और स्टेप्स लिये जायेंगे । सीमेंट उद्योग के वेज बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गयी हैं । वर्किंग जर्नलिस्ट्स के संबंध में तो वेज बोर्ड की अधिकांश सिफारिशें लागू कर दी गयी हैं लेकिन नान-वर्किंग जर्नलिस्ट्स के बारे में भी जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने के लिये यथासंभव प्रयत्न किया जा रहा है ।

जूट वेज बोर्ड की सिफारिशों को चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक डिक्लेयर कर दिया है इसलिये जो जो सिफारिशें वेज बोर्ड ने की थीं उन पर पुनर्विचार के लिये एक कमेटी बिठा दी गयी है और आशा है कि उस कमेटी की रिपोर्ट जल्दी ही आ जायगी ।

चाय बागान के जो कर्मचारी हैं उनकी दशा सुधारने के लिये भी एक समिति गठित करने के बारे में शासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

शासन इस बात से पूर्णतया अवगत है कि जो श्रम कानून इस समय प्रदेश में लागू हैं उनमें से अधिकांश पुरानें होने के कारण वर्तमान परिस्थितियों में निर्जीव से ह और उनका तत्काल संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है और शासन इस चीज को मानता है कि जब तक इन कानूनों में परिवर्तन नहीं किया जायगा तब तक ऐसे औद्योगिक वातावरण का सृजन नहीं किया जा सकता जिसके अन्दर उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि सहज में ही अधिकाधिक हो। इसलिये यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, ट्रेड यूनियन ऐक्ट, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, इनमें शीघ्रातिशीघ्र संशोधन लाने का विचार है।

शासन ने एक स्टेट लेबर रिआर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य श्रम पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी । उसकी पहली रिपोर्ट हमारे पास आयी है जो मुअत्तली के भत्ते के बारे में है । उसके संबंध में शासन ने राजाज्ञा जारी कर दी है । इससे लगभग साढ़े तीन लाख श्रमिक प्रदेश के लाभान्वित होंगे । इसकी दूसरी रिपोर्ट ग्रेच्युटी, आनुतोषिक के संबंध में है । इससे प्रदेश के लगभग चार लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे । वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और उस पर भी हम तुरन्त ही निर्णय लेकर कदम उठाने वाले हैं ।

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी--]

शासन को इस बात का ध्यान है कि जो लेबर डिपार्टमेंट रहा है, हमारा ही नहीं, सारे भारतवर्ष का, वह फैक्टरी के लेबर को सर्व करने के लिये ओवर कमिटेड रहा है। इसका एक कुफल यह हुआ है कि जो छोटे-छोटे धंधों में काम करने वाले हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टीजन्स, इनके हितों की बिल्कुल उपेक्षा सी रही है। अब इसमें यह कदम उठाया गया है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत १७ ऐसे नियोजनों को शामिल किया गया है जिनका निम्नतम नियमित वेतन वृद्धि के प्रश्न से संबंध है। यह बड़ा कानूनी कदम है कि उनको शिड्यूल्ड इंडस्ट्री में शामिल कर लिया गया है। इसमें १७ उद्योग धंधे हैं खांडसारी वगैरा के।

इसके अलावा बीड़ी उद्योग और खेतिहर मजदूरों के निम्नतम वेतन के पुनरीक्षण करने के संबंध में जो विज्ञप्ति होती है उसमें ३ महीने का मौका पहली विज्ञप्ति के बाद एतराज दाखिल करने का होता है उसको बढ़ा रहे हैं। खेतिहर मजदूर और बीड़ी उद्योग के लिये सुनवाई का मौका उनको मिल सके। इस तरह से इन १७ उद्योग धंधों के संबंध में मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिये कदम कानूनी रूप से उठाया गया है।

इसी तरह से जो दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं इनके संबंध में एक विभागीय समिति बिठाई गई थी वह विचार कर रही है। इनके कार्य की दिशा में जल्द से जल्द इनके वेतन-वृद्धि के प्रश्न को लेकर शीघ्रता की जायगी। उसका निर्णय हमारे पास जल्दी ही आने की आशा है। इस तरह से दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में भी तुरन्त ही शासन कार्यवाही करेगा कि उनको किस तरह से सुधारा जाय और वेतन किस तरह से बढ़ाया जाय। इसी तरह से जो डिस्टिलरी में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी नौकरी के सुधार के लिये जो समिति बनाई गई थी उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस वजह से उनके लिये दूसरी समिति गठित की गई है ताकि डिस्टिलरी में काम करने वाले मजदूरों के बारे में तुरन्त कार्य किया जा सके। इसके बारे में भी हम उतने ही सचेष्ट हैं जितने दूसरे क्षेत्र के श्रमिकों के लिये हम सचेष्ट हैं। इस संबंध में भी जो वह समिति अपनी सिफारिश करेगी उस पर ऐक्शन लिया जायगा। उस समिति का हम तुरन्त ही गठन करने वाले हैं।

अधिष्ठाता महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि श्रमिक कानून निर्जीव तो हैं ही मगर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह भी बड़ा ही दोषपूर्ण है। इसलिये १८ श्रमिक कानूनों को, जिनसे श्रमिक प्रभावी होते हैं, उनको हम अपने विभाग के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिये पावर में ला रहे हैं। उनको मजिस्टीरियल पावर देकर उनसे मुकदमा करायेंगे ताकि वे प्रभावी हो सकें और उन कानूनों को लेबर के हित में लागू किया जा सके। जैसा मैंने निवेदन किया। हमारे पास इस समय ७ न्यायालय श्रमिक और ३ ट्रिब्यूनल हैं लेकिन मुकदमों की सुनवाई के लिये अब और बढ़ाये जा रहे हैं। अब हमने यह निर्णय किया है कि जो हमारे संराधन अधिकारी हैं उनको छोटे मोटे मुकदमों के न्यायाधिकरण का कानूनी हक दिया जाय। ऐसे हमारे पास २२ संराधन अधिकारी हैं जो इस काम को कुछ बंटा सकेंगे और जितना लोड हमारे श्रम न्यायाधिकरणों पर है उस को हम घटा सकेंगे। यह प्रदेश भर में जिले-जिले में फैले हैं, अभी तक सहारनपुर से लखनऊ आना पड़ता है लेकिन जब छोटे छोटे मुकदमों को जिले में स्थित जो आर०सी०ओ०, ए०आर० सी० ओ० हैं उन को छोटे मोटे मुकदमे करने का हक न्यायाधिकरणों को दे देंगे तो कम खर्च में और बहुत जल्दी मजदूरों के मुकदमें फैसल हो सकेंगे और जो पेंडिंग केसेज पड़े हैं उनका भी निबटारा बहुत जल्द हो सकेगा।

हमारे पास निरीक्षक इस समय इतने कम हैं और फैक्टरीज की संख्या ४,००० है और कुल १० इन्सपेक्टर्स हैं, एक-एक इन्सपेक्टर को चार सौ वेटरीज का निरीक्षण करना होता है तो जाहिर है कि वह अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे और यह एक कारण है कि

शिकायत बनी रहती है। फैक्टरीज ऐक्ट, वेजेज ऐक्ट, वर्क्समैन कम्पेंसेशन ऐक्ट आदि जो यह चार अधिनियम हैं उनके मुताबिक सारा काम चीफ फैक्टरीज इंसपेक्टर्स देखते हैं, वह इतना काम नहीं कर सकते क्योंकि उन के पास कम निरीक्षक हैं और फैक्टरीज इतनी ज्यादा हैं कि अभी तक जो प्रभावहीन और असंतोषपूर्ण काम रहता था उससे सरकार अवगत है। उनकी संख्या १० से हम १७ करना चाहते हैं। इसी तरह से ब्वायलर्स ऐक्ट में भी ५-६ इंसपेक्टर्स हैं और ३,००० ब्वायलर्स हैं। इन इंसपेक्टस की भी संख्या हम बढ़ाने जा रहे हैं ताकि जो कानून है वह किसी तरह से प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित हो सके वर्ना नाम का कानून रह जाता है और बिना पूर्ण निरीक्षण के मालिकों को मौका मिलता है और प्राविधान की अवज्ञा होती है।

इसी तरह से बोनस ऐक्ट को भी हम दोषपूर्ण पाते हैं और इस वजह से भी ऐसा होता है कि इस प्रश्न को लेकर हड़तालें होती हैं लेकिन फिर भी १९६९-७० में ७७५ प्रतिष्ठानों ने ८५,७८,००० रुपया बांटा बोनस के तौर पर और इस वर्ष में ७१ चीनी मिलो ने ८० लाख रुपया बांटा। इस तरह से काफी संख्या में अधिकांश श्रमिक बोनस पा जाते हैं लेकिन बोनस ऐक्ट की जो कमजोरियां हैं, उसके कार्यान्वयन में जो दोष हैं उन से श्रमिक को हानि होती है, श्रम विभाग से श्रमिक इतने असंतुष्ट नहीं हैं जितने बोनस के संबंध में हैं। हड़तालों के नोटिस आते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि श्रम नीति हमारी सरकार की केवल यह नहीं है कि हड़तालें और तालेबन्दी न हों बल्कि यह भी है कि सेवायोजन और मालिकों के संबंध मधुर रहें, श्रमिकों का जीवन सुखद हो, यह तो सब है ही लेकिन साथ ही हमारा प्रयास है कि दस बीस साल के अन्दर श्रमिकों में वह योग्यतायें आ जाय कि जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हमारे श्रमिक काम करते हैं उसके प्रबन्ध में प्रभावशील भागीदार उसको बना दिया जायगा ताकि वे अनन्तकाल तक सेवा-योजक न रहें। मैन डज़ नाट लिव बाई हिज बैड एलोन। हम इस आत्म-सम्मान की पूर्ति करेंगे और उन्हें बड़ा भागीदार बनाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। अभी तक हमारी जो कुछ भी श्रम नीति समझी जाती है, उससे यह विशेषता है।

जिन संस्थानों में १०० से अधिक कर्मचारी हैं, उनमें हम इंडस्ट्रियल कौंसिल भी बनाने जा रहे हैं। वे ह्विटले कौंसिल की तरह से ऐडवाइजरी बाडीज नहीं होंगी। केवल सलाह देने वाली नहीं होंगी कि कोई उनकी सलाह को माने या न माने। जब आप उनका रूप देखेंगे तो पायेंगे कि उसमें मालिक को इंफार्मेशन देना लाजमी होगा, कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनमें ज्वाइंट कन्सल-टेशन मिल मालिक के प्रतिनिधियों और श्रमिकों का होगा। उसमें यह भी होगा कि वे श्रमिकों की सलाह लेंगे और उससे ही कार्य डिटरमिनेशन होगा जिसमें श्रमिकों के प्रतिनिधियों के दस्तखत होंगे। जब पारस्परिक विरोध होगा तब एजूडिकेशन के जरिये से वह मामला तय किया जायगा। इस तरह से पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का हम एक सूत्रपात करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल कौंसिल के रूप में।

शासन इस बात का भी प्रयास करेगा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिक और मिल-मालिक एक औद्योगिक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करें कि हम ६ महीने के लिये या साल भर के लिये, कोई भी अवधि तय करें, उसके बीच म कोई हड़ताल या ताला बन्दी नहीं करेंगे और उत्पादन का ह्रास नहीं करेंगे। जिन-जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इस प्रकार के इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, हमारे श्रम विभाग में होगा और उनके बीच में उठने वाले सेवायोजकों और श्रमिकों के बीच में जो विवाद होंगे, उनमें प्राथमिकता दी जायगी, सुलझाने के लिये ताकि स्ट्राइक्स वगैरह न हों। हमारा यह भी प्रयास होगा कि लाक आउट्स को भी सुलझावें। हमारे देश की दशा संसार में ऐसी है कि हम सबसे गरीब देश हैं। जिन परिस्थितियों में आज हमारा देश गुजर रहा है यह

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी---]

उचित होगा कि ६ महीने, साल भर या जितना भी समय मुनासिब समझा जाय, उतनी देर के लिये इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन पर हस्ताक्षर करें और सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि विवादों को सुलझाने के लिये सबसे बड़ी प्राथमिकता के साथ कार्य करे।

मान्यवर, हमको मालूम है कि हमारे राजकीय प्रतिष्ठानों में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, चाहे वे मिनिस्टीरियल एम्प्लायज हों चाहे वे पब्लिक सेक्टर के हों, उनके लिए जो न्यायाधिकार की परम्परा रही है, यानी उनके विवादों के हल करने के मुताल्लिक एक परमानेन्ट कन्सीलिएशन बोर्ड जो है, वह अपने लक्ष्य में पूर्णतया असफल रहा है। इस चीज को हम समझते हैं लिहाजा इस परमानेन्ट कान्सिलिएशन बोर्ड की जगह कोई दूसरा विकल्प ढूंढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे-जैसे हमारा देश समाजवाद की तरफ बढ़ेगा पब्लिक सैक्टर एम्प्लायइज की संख्या बढ़ती जायेगी। उसमें चाहे कोई मुहकमा सरकार का जो उनका सेवायोजक हो वह सेवायोजक के अलावा कुछ नहीं है चाहे वह अपने को माडल एम्प्लायर कहें। लिहाजा हम विवाद का निर्णय उन पर नहीं छोड़ सकते। चाहे वह अपने को माडल एम्पलायर ही क्लेम करता हो। इसलिये हम परमानेन्ट कान्सिलिएशन बोर्ड की मशीनरी को हटा देंगे और इसके स्थान पर कोई विकल्प तुरन्त ही लायेंगे जो तटस्थ रह कर सरकारी उद्योगों के मामलों का हल शांति पूर्वक और उचित ढंग से कर सके। अध्यक्ष महोदय, बुढ़ापे की पेन्शन आज है उसमें भी कुछ वृद्धि करने के मुताल्लिक हम लोग अपने वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखते हुए सोच रहे हैं और उस दिशा में हम अवश्य ही कदम उठायेंगे। जो ऐसा क्षेत्र है श्रमिकों का.....

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)---

कोरम पूरा नहीं है। सवा दो बज रहे हैं।

(घंटी बजाई गई।)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक व्यवस्था चाहता हूं। केबिनेट स्तर का कोई मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। पराकाष्ठा यह है कि जब कोरम की घंटी बज रही है तो जो मंत्री यहां उपस्थित हों वह भी चले जायं।

श्री अधिष्ठाता---

लाबी और हाउस दोनों एक ही कहलाते हैं। माननीय तिवारी जी यहीं मौजूद हैं।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

अधिष्ठाता महोदय, जो छोटे हस्तकला उद्योगों में काम करने वाले कारीगर हैं, खेतिहर मजदूर हैं और बड़े-बड़े घने औद्योगिक केन्द्रों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके रहन-सहन के बारे में, वर्किंग कंडीशंस के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं।

मान्यवर, हमको मालूम है कि सरकारी कारखानों के सेवायोजक और निजी कारखानों के सेवायोजक बहुत से ऐसे हैं जो श्रमिक कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। अभी तक ऐसी परिपाटी नहीं रही है कि उनको दंडित किया जाय। अब हम यह निश्चय कर चुके हैं कि हम जानबूझ कर श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सेवायोजकों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह निजी सेक्टर के हों और चाहे पब्लिक सक्टर के हों और चाहे एम्प्लाइंग मिनिस्ट्रीज के सेवायोजक हों।

अधिष्ठाता महोदय, प्रावीडेन्ट फन्ड ऐक्ट और ई० एस० आई० ऐक्ट के अन्तर्गत जो हमारे श्रमिकों को आवश्यकता के वक्त उसका लाभ नहीं हो पाता, उसके सम्बन्ध में इन दोनों ऐक्ट

में बिना आवश्यक संशोधन के पूरा लाभ श्रमिकों को नहीं मिल सकता है। उदाहरण के लिए मालिक लोग लाखों रुपया श्रमिकों से उनके प्राविडेन्ट फंड के अंशदान के नाम पर लेते हैं लेकिन उसको समय से जमा नहीं करते और यह क्रिमिनल मिसएप्रोप्रियेशन नहीं समझा जाता है। इसमें सिविल एप्रोच है कि इतना रुपया बाकी रहा। जब तक इसमें इस किस्म का संशोधन नहीं होता कि श्रमिकों का जो अंशदान है, उसको जमा न करना अमानत में खयानत समझा जायगा तब तक प्रभावी रूप से प्राविडेन्ट फंड ऐक्ट का एम्प्लीमेन्टेशन भी नहीं हो सकता है। लिहाजा श्रमिकों को जो लाभ मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल पाता है। ई० एस० आई० के कुप्रभाव को दूर करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि कई जगह पर नये अस्पताल खुलें और श्रमिकों के परिवारों को अच्छी दवाइयां मिलें। इस दिशा में भी शासन सचेष्ट है और पूरी कोशिश की जा रही है।

अधिष्ठाता महोदय, इस वक्त मल्टीप्लिसिटी आफ युनियन्स हैं। इतनी अधिक यूनियन्स हैं कि श्रमिक शत प्रतिशत विभक्त हो गये हैं। एक उद्योग में एक रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन बने ताकि उसमें प्रभावी ढंग से और परिपूर्ण ढंग से श्रमिकों का प्रतिनिधित्व हो सके। तब वे समाज में बलिष्ठ होंगी और उनकी बारगेनिंग पावर बढ़ेगी। इसलिए वन रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन इन वन इनडस्ट्री के लिए ट्रेड यूनियन ऐक्ट में संशोधन लाने के लिए, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जल्द से जल्द कोशिस की जा रही है।

इसका तीसरा जो भाग है वह है एम्पलायमेन्ट और ट्रेनिंग का। इसके मुताल्लिक सब से ज्यादा शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं। सेवा योजन और प्रशिक्षा के अन्तर्गत, मान्यवर, इस वक्त ६५ औद्योगिक प्रशिक्षण एवं प्राविधिक संस्थान हैं जो ५० टेक्निकल ट्रेड्स में ट्रेनिंग देते हैं। सन १९६९ में स्वीकृत स्थान २४,७८४ थे लेकिन भर्ती हो पाये १७,२२१, यह बड़ी असन्तोषजनक परिस्थिति रही। पिछले वर्ष १९,१७२ स्थान भरे गये। इससे हमको इस चीज का आभास होता है कि आई० टी० आईज० को पहले लोग जितना अच्छा नहीं समझते थे उससे अब कुछ ज्यादा समझने लगे हैं और उनकी उपादेयता बढ़ गयी है और हमें यह आशा है कि इस साल २४,७८४ जो हमारी सीट्स हैं उनके लिये शिक्षणार्थी मिल जायंगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

लेकिन उनको नौकरी आप नहीं दे पाते हैं।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

शासन इस बात पर भी विचार कर रहा है कि वह इंस्ट्रक्टर्स का इम्तिहान इस प्रान्त के बाहर के विशेषज्ञों द्वारा कराये और उस इम्तीहान में जो लोग अनुत्तीर्ण होते हैं उनका ६ महीने बाद फिर इम्तिहान कराये। अगर आई० टी० आइज० के इंस्ट्रक्टर्स इन दोनों इम्तिहानों में असफल होते हैं तो अस्थायी इन्स्क्ट्रक्टर्स के खिलाफ भी हम कड़ी कार्यवाही करेंगे और जो हमारे स्थायी इन्सट्रक्टर्स हैं उनके मुताल्लिक भी कोई न कोई सख्त रूप अपनायेंगे। हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उन्हें भी कई चीजों की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वे बी० एस-सी० हैं और एकाउन्टेन्सी की बात नहीं जानते हैं जिसके कारण कुछ पला हो जाता है और कभी-कभी उनकी भूल से भी गड़बड़ हो जाती है। उनको प्रशिक्षण देने जा रहे हैं।

मान्यवर, ४-५ चीजों को लेकर आई० टी० आइज० बदनाम ह। रामेटीरियल्स की पर्चेजेज के लिए एक कमेटी बना दी गयी है। उनके यहां जो माल तैयार होता था उसकी बिक्री नहीं होती थी और नीलाम का ठीक इन्तजाम नहीं था। उसके बारे में भी एक कमेटी बना दी गयी है। इस वक्त केवल २-२ १/२ लाख रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हैं। पहले तो बहुत ज्यादा की थीं, करीब ३०-३२ लाख रुपये की बेकार पड़ी थीं। अब तो केवल दो, ढाई लाख रुपये की ही मशीनें बेकार पड़ी हैं। बहुत से विद्यार्थी बीच मे छोड़ कर भाग जाते हैं।

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी---]

तो जो छात्रवृत्ति पाने वाले हैं, गैर छात्रवृत्ति वाले विद्यार्थी हैं, उनके जामिनदार होते हैं, यह प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे जामिनदार हों कि अगर शिक्षार्थी बीच में चला जाय तो जो पैसा उस पर खर्च किया गया है वह आसानी से वसूल किया जा सके।

श्री बंशीधर पांडेय---

मन्त्री जी कहते हैं कि सिर्फ दो ढाई लाख रुपये की मशीनरी पड़ी है जो कि काम में नहीं आ रही है। मेरी जानकारी है कि अकेले बहराइच में आई० टी० आई० में लाखों रुपये की मशीनरी पड़ी है, जो आज तक खोली भी नहीं गई है।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

दो लाख में लाखों कहा जा सकता है। अधिष्ठाता महोदय, जितना रुपया लेना था इन जामनिदारों से उनके बारे में रिकवरी सर्टीफिकेट बनाकर जिलाधीशों के पास भेज दिये गये हैं। विभागीय कार्यवाही जो रुपया नहीं मिल पाया है उसके सिलिसले में पूरी कर दी गयी है। कुछ व्यवसाय लोहारी, बढ़ईगीरी, राजगीरी ऐसे हैं जिनमें शैक्षिक अहर्तायें कम कर दी गई हैं क्योंकि यह लोग हजारों की संख्या में हर शहर में बिना प्रशिक्षण पाये कार्य कर रहे हैं और उनके लिये हमें नौकरी देने का भी सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे आई० टी० आई० बड़ी दुर्गत में हैं उनका एक कारण है। उसमें परीक्षार्थियों की भर्ती में हम अच्छे-अच्छे विद्यार्थियों को छोड़ देते थे लेकिन अब यह योग्यता के अनुसार लिये जायेंगे जिसके लिये पद्धति बना दी गई है। इसमें एडवायजरी कमेटीज हैं जो रैंकिंग सिस्टम के अनुसार कार्य करायेंगी।

अधिष्ठाता महोदय, यूनिवर्सिटीज में भी हमने छोटे-छोटे यूनिट्स कायम किये हैं। जो विद्यार्थी टेकनिकल शिक्षा लेकर चलते हैं, साइन्टिफिक शिक्षा लेकर निकलते हैं, वह अपने भविष्य के निर्माण के लिये कौन सी दिशा में जाय, जीविका के लिये कौन सा कार्य करें, उनकी यह यूनिट्स सहायता करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्जेज हैं उनके बारे में मैं तो अक्सर कह दिया करता हूं, मुझे शासन की तरफ से भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब तक उनके द्वारा भर्ती अनिवार्य नहीं कर दी जाती, कम से कम स्थाई कर्मचारियों की, तब तक जितना रुपया हम खर्च करते हैं इन संस्थानों पर समाज या श्रमिकों के सेवायोजन के लिये, उसका जितना लाभ मिलना चाहिये उसका बहुत ही कम अंश में लाभ मिलता है।

इस वजह से हम इस कानून में भी तरमीम करना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी कम से कम स्थायी श्रमिकों की भर्ती एम्प्लायमेंट एक्सचेन्जेज के माध्यम से हो क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो तो हम इस चीज को एड मिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से लागू कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, विकलांगों, अन्धे, लंगड़े लूले, अकल के कुन्द लोगों को नौकरी दिलाने में दो तीन साल पहले तक ६०० रुपया खर्च हुआ। जो विकलांग हैं उन्हें नौकरी दिलाना शासन का कर्त्तव्य है। सितम्बर, १९६८ तक २६९ कुल रजिस्टर्ड हुये, इनमें ७६ को रोजगार दिला सके। हमारे यहां यह खर्चा ६०० रु० आया जबकि हैदराबाद म २०० रु० आया। वहां ज्यादा तादाद में डिसएबुल्ड को नौकरी मिली। इंगलैण्ड में १ परसेंट और वेस्ट जर्मनी में ३ परसेंट तक इन लोगों को भर्ती कंपलसरी है। हमारे यहां केन्द्रीय सरकार भी कुछ इस सम्बन्ध में शायद कार्य करे। अब हमारा खर्चा प्रति विकलांग ४०० रु० हो गया है। अन्त में आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रम विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का मुझे सहयोग प्राप्त है और इसका मुझे गर्व है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, जब मंत्री जी भाषण कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जिस गति से श्रम विभाग चल रहा है उसी गति से मंत्री जी भी भाषण कर रहे थे । पिछली बार जब मंत्री जी ने भाषण दिया था तो उसमें एक वाक्य का प्रयोग किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा । आपने कहा कि अब कुछ नयी जागृति आयेगी । मुझे वे शब्द इस समय ठीक से याद नहीं हैं । लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कमलापति जी की सरकार ने जो थोड़ा सा अच्छा कार्य किया है उसमें से एक यह कि एक श्रम नेता को श्रम का कार्य दिया । मुझे भरोसा था कि चाहे जिस गति से काम हो लेकिन मजदूरों का उद्धार होगा । लेकिन आज का जो भाषण सुना उससे मेरी सब आशाओं पर पानी फिर गया । इस पर मुझे एक बात याद आ गयी । एक आदमी जो दुकान पर सामान लेने गया तो उस दुकान का दिवाला निकल गया । जीरा मांगा तो जवाब मिला अभी मंगाया है, नमक मांगा तो कहा गया अभी खत्म हुआ है, मिर्च मांगी तो कहा कि अभी आर्डर दिया है । इसी तरह आपने कहा कि इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर सोच रहे हैं । मैं नहीं समझता कि एक भी ठोस बात कही गयी जिसको हम बाहर जाकर कह सकें कि इस नयी सरकार ने यह नयी बात कही है ।

अपना प्रदेश भारत में बिहार को छोड़ कर सबसे पिछड़ा है । केवल प्रदेश ही नहीं, मजदूर भी सबसे पिछड़े हैं । मैं आप के सामने उसके आंकड़े रखूंगा जिससे आपको पता चल जायेगा । पिछली बार जब श्रम अनुदान यहां पेश किया गया था और उस पर जब माननीय श्रम मंत्री ने अपना भाषण दिया था तो यह कहा था कि यह अनुदान ऊंट के मुंह में जीरा है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जीरे से भी कम कोई चीज और हो सकती है जिसे आप ऊंट के मुंह में देना चाहते हैं ? आज जो अनुदान मांगा गया है कि वह पिछले साल से भी कम है । श्रीमन्, प्रदेश में भूमिहीन श्रमिकों, आर्टिजन आदि सभी प्रकार के श्रमिकों की संख्या देखी जाय तो वह लगभग ३० लाख श्रमिक हैं । इस अनुदान की राशि से आप किस किस का पेट भरेंगे ? मैं नहीं जानता कि किस तरह से योजना पूरी होगी ? जो योजना रखी है उससे पता लगता है कि श्रम विभाग का इनकी ओर कतई ध्यान नहीं है ।

हमारे प्रदेश के अन्दर प्रति व्यक्ति आय १९६०–६१ में २४६ रुपये थी और वह १९६०–७० में बढ़ कर २५३ रुपये हो गयी । सारे देश में प्रति व्यक्ति आय १९६०–६१ में ३१० रुपये थी, वह १९६९–७० में बढ़ कर ३२१ रुपये हो गयी । इस तरह से आप देखेंगे कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय केवल ७ रुपये बढ़ी है, जब कि देश में प्रति व्यक्ति आय ११ रुपये बढ़ी है । इस साथ श्रीमन्, आप मंहगायी की ओर भी ध्यान दें । आज के एक रुपये की कीमत १९३० में केवल ७ पैसे थी । मंहगायी गुणत्व के हिसाब से बढ़ती जा रही है, और आय में जो इजाफा हुआ है वह नहीं के बराबर है । आय में वृद्धि बिलकुल कछुये की चाल की तरह हो रही है । मैं समझता हूं माननीय श्रम मंत्री जी भी इससे संतुष्ट नहीं होंगे ।

श्रीमन्, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमारे प्रदेश में तीन जगह से तैयार किया जाता है—कानपुर, सहारनपुर और वाराणसी । १९७० में यह इन्डैक्स कानपुर और सहारनपुर में १७९ था, वाराणसी में १९३ था, देश के दूसरे शहरों में—अहमदाबाद में १६७, बम्बई में १७३, कलकत्ता में १७१, नागपुर में १७२, जमशेदपुर में १६८ । इससे पता चलेगा कि मंहगायी के आंकड़े दूसरी जगह सब से कम है । हमारे यहां सबसे ज्यादा मंहगायी है । फिर हमारी योजनाओं से हमारे मजदूरों का पेट नहीं भर पाता । हमारा प्रदेश कृषि पर आधारित है । और अधिक लोगों को हमारे प्रदेश में कृषि में नहीं लगाया जा सकता । जितनी भूमि हमारे प्रदेश में जोती जाती है वह कुल भूमि का ५९ प्रतिशत है जब कि पूरे देशों का एवरेज ४५ प्रतिशत है । हमारे प्रदेश में सबसे अधिक भूमि पर भार है । घनत्व की दृष्टि से भी हमारे प्रदेश में ३.७ व्यक्ति प्रति स्कायर मील में हैं जब कि पूरे देश में इसका एवरेज १६८ है । इसलिये

[श्री नित्यानन्द स्वामी—]

कृषि के ऊपर और अधिक दबाव हमारे प्रदेश में नहीं डाला जा सकता। इसके अतिरिक्त जितनी भूमि में हमारे यहां खेती होती है उसमें २७ प्रतिशत भूमि ऐसी है कि जहां डबल क्राप होती है इस कारण और अधिक इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की भी गुन्जायश नहीं है। आवश्यकता इस समय औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति करने की है।

माननीय, सारे देश में जबकि ६४,५१६ फैक्ट्रीज हैं, हमारे प्रदेश में केवल ३,०४१ हैं। और मजदूरों के यदि आप आंकड़े देखेंगे तो पायेंगे कि एक हजार मजदूर यदि सारे देश के हिसाब से हैं तो हमारे यहां ५ बैठते हैं। यह बात आपके ध्यान में आनी चाहिये कि जितना हमें औद्योगीकरण और श्रमिकों के कल्याण की तरफ ध्यान देना चाहिये था, उतना नहीं दे पाये हैं। इसका कारण यह है कि हमारी योजना सही नहीं रही हैं।

आप की दोषपूर्ण, योजनाओं का ही यह परिणाम है कि जहां आप केवल ७.५ प्रतिशत लोगों को रोजगार दे पाये हैं, वहां दूसरी ओर महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ने ४१.५४ प्रतिशत एम्प्लायमेंट दिया है। उन प्रदेशों में ४१ परसेन्ट से ऊपर इंडस्ट्रीज में एम्प्लायमेंट दिया गया है और उसके विपरीत हमारे यहां साढ़े सात परसेंट को रोजगार दिया गया है। यह अन्तर बहुत ज्यादा है और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। इसका मुख्य कारण योजनाओं का दोषपूर्ण होना है। हम और आप सहमत होंगे इस बात से कि हमें औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना होगा।

माननीय श्रम मंत्री के पूर्व जो इंडस्ट्रीज मंत्री श्री मनोहर लाल थे, उन्होंने अपना एक भाषण प्रसारित किया था, जिसमें एक बात की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था। मैं वर्तमान और भूतपूर्व दोनों मंत्रियों का आभारी हूं, जिन्होंने बड़े सरल और स्पष्ट रूप से कुछ बातें कही हैं। श्री मनोहर लाल जी ने कहा था—"श्रम हितकारी केन्द्रों के वर्तमान संचालन विधि को देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्रम हितकारी केन्द्र राजकीय सामाजिक सेवा संस्थायें न होकर सरकारी कार्यालय बने हुये हैं। वहां के कर्मचारी केवल मिथ्या आंकड़ों की खानापुरी करना ही अपनी कार्यावलि समझते हैं। वस्तव में स्थिति तो यह है कि श्रम हितकारी योजना का उद्देश्य तो प्रायः समाप्त-सा है बल्कि जनता के धन का दुरुपयाग तेजी से किया जा रहा है। इसलिये यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि इस योजना को समाप्त कर दिया जाय।" और उसी प्रकार से आज हमारे मंत्री जी के उस भाषण को याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने रोटरी क्लब में मजदूरों की समस्याओं पर बोलते हुये कहा था। इन्होंने मजदूरों की समस्या के ऊपर अपना बयान देते हुये कहा कि हमारे प्रदेश में मजदूरों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि सारे देश में ३० लाख जो मजदूर हैं, केवल ३ लाख औद्योगिक मजदूरों पर ही उनके बारे में काफी ध्यान दिया गया है। प्रदेश के केवल ३ लाख मजदूरों के बारे में भी विचार करते समय विभिन्न विभाग रुकावटें डालते हैं। वह अपने नियम बनाना चाहते हैं, जिसके कारण उनका उचित कल्याण नहीं हो पाया है। हम लोग शिकायत करें तो वह मौजूं होगी, लेकिन जब मंत्री जी शिकायत करते हैं, अपनी बेबशी का बखान करते हैं तो मैं नहीं समझ पाता कि इसके लिये मैं उनको क्या संज्ञा दूं, और उनके लिये क्या टिप्पणी करूं ?

हमारे मंत्री जी बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गये हैं, उन्होंने देखा कि जब तक वह मजदूर नेता थे, मजदूरों के कल्याण की बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन अब उन कार्यों को नहीं कर पाये हैं। उसी का परिणाम है कि उन्होंने कहा एक स्थान पर कि यदि ५० पूंजीपतियों को फांसी दे दी जाय तो सारी समस्यायें हल हो जायेंगी। उनकी यह बात तो मुझे ऐसी ही लगी, जैसे कि एक जज के सामने जब कि एक वकील बहस कर रहा था तो जज उसे नहीं समझ पाया, नहीं सहमत हो पाया तो उसने कहा कि—"इफ दिस इज ला आई विल बर्न आल माई ला-बुक्स," किन्तु इस पर वकील ने खड़े होकर कहा, ऐसा न कीजिये, "मी लार्ड, डू नाट बर्न योर ला-बुक्स, बट रीड देम।" तो ५० पूंजीपतियों को आप फांसी न लगाइये।

मैं पूंजीपतियों का कोई हिमायती नहीं हूं। यदि आप उन्हें कल फांसी लगाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि अभी लगा दीजिये। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपको उनसे कुछ काम तो लेना चाहिये। हमारे वित्त मंत्री श्री चावहाण साहब ने कहा है कि इस देश में जितना व्हाइट मनी है, उससे कई गुना ब्लैक मनी है। मैं समझता हूं यह इसलिये है कि हम पूंजी को उद्योग में लगाने में असमर्थ रहे हैं। हमारे प्रदेश की ५० प्रतिशत उद्योगपतियों की पूंजी प्रदेश के बाहर लगी हुई है और इस प्रदेश के ५० फीसदी श्रमिक बाहर जाकर काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम उनकी पूंजी के लियें यहीं आकर्षण उत्पन्न करें और यहीं उसका उद्योगों में सदुपयोग करें। इसी तरह मेरा निवेदन है कि आप श्रम हितकारी केन्द्रों को बंद न कीजिये, बल्कि उन्हें ढंग से चलाइये।

टैक्सों की जो हालत है वह भी देखने योग्य है। यह हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति टैक्स वसूली १३ रुपया है जो पूरे देश के अन्दर २१ रुपया है। इससे आप इसको मानेंगे कि हमारे प्रदेश में जो टैक्सेशन है वह कम है और आप पूंजीपतियों पर और अधिक अंकुश तथा और अधिक टैक्स लगा सकते हैं, जिससे हमारे श्रमिकों को काम मिले। हमारे प्रदेश में बड़ी भारी बेकारी है। आप घड़ी की ओर न देखें। मैं बड़ा जागरूक हूं। अभी सवा घंटे तक मंत्री जी ने भाषण दिया जो १५ मिनट में देना चाहिये था। कटौती का प्रस्ताव तो पूरे अपोजीशन की तरफ से होता है।

मैं श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं उन मजदूरों के बारे में कहूंगा जिनके ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट लागू नहीं है जो ट्रेड यूनियन की परिधि में नहीं आते। पांच लाख कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर। उन कर्मचारियों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो तीन दिन पहले कहा था कि उनकी डी० ए० के अन्दर पैरिटी करने वाले नहीं हैं। इस सरकार के लोग जब इधर बैठते थे तो शायद कोई दिन जाता हो जब न कहते थे कि डी० ए० में पैरिटी होनी चाहिये। मैं एक बात का ध्यान रखता हूं कि चाहे मैं इस तरफ बैठूं या उस तरफ बैठूं तब भी वही भाषा रखता हूं। देश के हर एक प्रदेश के अन्दर, कोई अभागा प्रदेश छूटा हो जिसके अन्दर राज्य कर्मचारियों और केन्द्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में समानता न हो। अगर आप समानता नहीं करेंगे, आपके हाथ में एक स्वर्ण अवसर आया था, माननीय मुख्य मंत्री के ऊपर प्रभाव डाल कर आप कोशिश कर सकते हैं, हमेशा के लिये आप मजदूरों के संसार में अमर हो जायगें, अगर आप उत्तर प्रदेश में डी० ए० में पैरिटी करके चले जायेंगे। मैं नहीं जानता कि एक मंत्री की कितने दिन कि आयु होती है। कभी भी यह आयु समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत आयु से मेरा मतलब नहीं है।

दूसरी बात मैं कह रहा था। एक प्रश्न के जवाब में कहा गया कि हमने वर्क चार्ज लोगों को रेगुलर कर दिया। यह गलतबयानी है। पी० डब्लू० डी० के अन्दर वर्क चार्ज रेगुलर नहीं किये गये, यद्यपि तीन साल पुराने हैं। सिंचाई विभाग में यही स्थिति है। सिंचाई विभाग में वेतन अभिनवीकरण भी नहीं हुआ।

रोडवेज कर्मचारी बार बार कहते हैं कि सेवा शर्तें बनायें। २०–२२ साल हो गये उनकी सेवा शर्तें रिवाइज नहीं की गयीं। सन् ६० की सेवा शर्तों को बदलने की उनकी मांग है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें।

अभी वेज बोर्ड की बात बड़ी जोर से कही गयी। वेज बोर्ड जो लागू किये गये हैं तारीख उठा कर देख लें पिछली संविद सरकार ने अधिकांश वेज बोर्ड लागू किये हैं। जून में संविद ने जो त्रिदलीय समिति बनायी थी, और पांच रुपये अतिरिक्त राहत दी गयी थी, आज तक क्या कारण है त्रि दलीय समिति की सिफारिशें अन्धकार में हैं। १ फरवरी, १९७१ तक वेज बोर्ड के हिसाब से जो एरियर मिल जाना चाहिये वह अभी तक क्यों नहीं मिला, इस पर आप विचार करें। विवादों के निपटारे के लिये एक कमेटी एप्वाइंट होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हुई।

[श्री नित्यानन्द स्वामी---]

इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि वेज बोर्ड लागू करने पर विचार कर रहे हैं। इंजीनियरिंग वेज बोर्ड केवल जहां पर पचास वर्कर्स हैं या उससे अधिक हैं। उसी पर लागू हैं, लेकिन प्रदेश के अन्दर सैकड़ों उद्योग हैं जिनमें पचास से कम वर्कर्स हैं। उनके बारे में आप विचार करें। टेक्सटाइल के बारे में कहा गया था कि सिक मिल्स के बारे में विचार कर रहे हैं। यह पूंजीपति की बड़ी भारी साजिश है, ज्यों ही वेज बोर्ड आया तो तुरन्त घाटे की घोषणा कर दी और वेज बोर्ड लागू नहीं हो पाया। उसके अलावा जो बोनस देना था वह भी ४ परसेंट पर आ कर अटक गया। आप नहीं जानते किस ढंग से मजदूरों का ये रुपया लूटते हैं। उन्होंने घाटा घोषित करके रास्ता काट कर अलग निकल गये।

श्रीमन्, विद्युत् विभाग के बारे में बहुत चर्चा है। २ तारीख को उस पर हमारे प्रश्न पर चर्चा होगी। केन्द्रीय वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू हो गयीं। सिद्धान्त रूप से हमने उसे मान लिया यह व्यवस्था है फिटमेन चार्ट के विषय में वेज बोर्ड के अंतर्गत मालिक और मजदूर मिल कर जो तय कर लेंगे उसको लागू कर दिया जायगा। बीसियों जगहें ऐसी हैं जैसे देहरादून में मंसूरी नगरपालिका के कर्मचारी संघ जिसका मैं प्रधान भी हूं, वहां की विद्युत् संस्थान है। वहां चार्ट तैयार किया गया लेकिन आपके कारण खटाई में पड़ा हुआ है। पता नहीं कहां दबा पड़ा है और वह लागू नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से श्रमजीवी तथा गैर श्रमजीवी पत्रकारों के लिये आपने कहा कि वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू कर दीं लेकिन सब गोलमोल बात है और वह सभी के द्वारा लागू नहीं हो पाई हैं।

मैं अध्यापकों के बारे में कहना चाहूंगा जिन पर इंडस्ट्रीज ऐक्ट लागू नहीं होता। हमारे विद्यालय तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो क्रमशः ३ हजार तथा ८ हजार हैं उनके वेतन-क्रम तय होने चाहिये। इससे भविष्य के लिये रास्ता खुल जायगा। संविद सरकार थी तो उसने प्राइमरी अध्यापकों तथा गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिये डी०ए० बढ़ाया और यह भी आदेश दिये कि माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यापकों को चेक के जरिये से वेतन मिला करेगा। अध्यापकों के लिये आपने कौन से कदम उठाये ?

हमारे प्रदेश में हजारों कर्मचारी नगरपालिकाओं, टाउन एरियाज और जिला परिषदों में कार्य करते हैं। अगर ये कर्मचारी कुछ कदम उठायें तो सरकार एक अध्यादेश निकाल देती है कि ये लोग हड़ताल नहीं कर पायेंगे। २० रुपये की बढ़ोत्तरी पहले हुई थी सारी नगरपालिकाओं के अन्दर लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, विद्यालयों के अन्दर काम करते हैं, उनको वह नहीं मिली। आप इस पर विचार करें क्योंकि जो वेतन स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को दिये जाते हैं, वे बहुत कम हैं। आयोग में उन पर विचार होगा लेकिन उनको पूरी अन्तरिम राहत मिलनी चाहिये ताकि वे लोग अपना काम कर सकें। इस पर विचार होना आवश्यक है।

सामाजिक न्याय की बात कही गयी। वृद्धावस्था पेंशन की बात भी कही गयी। मैं बतलाउंगा कि एक कर्मचारी मर गया और मरने के १० साल के बाद उसकी वृद्धावस्था पेंशन पहुंची है। आप देखें कि १९६८ तक १५,९०२ जीवित लोगों को पेंशन मिला लेकिन १९६९ में वह घट कर १५,८०२ और १९७० में १५,७७८ रह गये जब कि नई एप्लिकेशंस ५,६९८ और आईं।

आप देखें कि श्रमिकों के बच्चों के लिये फ्री एजूकेशन का प्रश्न खटाई में पड़ा हुआ है। फ्री मेडिकल ऐड का जहां तक ताल्लुक है आपने अपनी पुस्तिका में स्वयं ही लिखा है कि आधे इंजेक्शंस श्रमिक अपने घर से लाये। तो यह फ्री मेडिकल ऐड नहीं हुई।

इसी तरह से आवास की बात है। दिल्ली के अन्दर जो प्रशासन है जनसंघ का उसके पास रुपया नहीं है लेकिन ४५ प्रतिशत कम आय वाले मजदूरों के लिये आवास हेतु रिजर्व किया गया है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

एक बात प्रोटेक्टेड लेबर की है। रजिस्ट्रेशन के लिये जब कागजात आते हैं तो हस्ताक्षर कर्ता सातों को प्रोटेक्टेड लेबर घोषित किया जाय। अब मोदी वाले करते हैं कि जो ७ आदमी हस्ताक्षरकर्ता होते हैं उनका नाम ही रजिस्टर से साफ कर दिया जाता है।

श्रम कल्याण के बारे में यहां पर कहा गया। मान्यवर, मैं इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव यह है कि हमारे प्रदेश में बेकारी बढ़ रही है अतः जो योजनायें हैं उनका वर्गीकरण इस तरह से किया जाय ताकि अभिनवीकरण की गुंजाइश न हो। मान्यवर, पिछले दो साल के आंकड़े मुझे मिले। १९६७ में आपने १८९९ लोगों की छंटनी की और १९६८ में आपने २०३४ लोगों की छंटनी की यानी एक साल के अन्दर ही १३५ आदमी और बढ़ गये। मैं यह नहीं चाहता हूं कि आप अभिनवीकरण न करें। आप अवश्य करें किन्तु इस प्रकार की योजना बनायें ताकि अभिनवीकरण से छंटनी की आवश्यकता न पड़े तथा योजनायें श्रम प्रधान हों। आटोमेशन के बारे में मेरा सुझाव है कि प्रदेश के अन्दर किसी भी इन्डस्ट्री में नहीं होना चाहिये। सुरक्षा से सम्बन्धित या अन्तरिक्ष से संबंधित आप कोई योजना बनायें तो उसमें आटोमेशन हो सकता है अन्यथा आटोमेशन नहीं होना चाहिये। जब तक फन्डामेन्टल राइट के अन्दर बेकार व्यक्तियों को काम मिले, यह बात उसमें इन्क्लूड नहीं हो जाती तब तक उसके लिये हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये। इस देश के अन्दर जब तक बेकारी दूर नहीं होगी तब तक प्रदेश में बेकारी बीमा हमें देना चाहिये। हमारे प्रदेश में इस समय साढ़े चार लाख लोग बेकार हैं जो कि केवल रजिस्टर्ड हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और यदि उनको भी इस संख्या में जोड़ दिया जाय तो यह संख्या कई लाखों में पहुंच जायगी। साढ़े चार लाख लोग तो ऐसे हैं जिनको कि आप भी मानते हैं कि बेकार हैं।

मान्यवर, एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि मजदूरों का प्रबन्धक लाभ में साझा हो। उसके पसीने को हम उसका शेयर मान कर उसे उद्योग में साझा दें। इस प्रकार हम जो पैसा इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कम से कम करा पायेंगे। मजदूरों को अगर उसको मजदूरी का उचित हिस्सा उद्योग में साझे के रूप में दिया जाय तथा मेज पर बैठकर सारी समस्यायें पूरी हो जांय तो हड़ताल और तालाबन्दी बन्द हो जायगी।

एक बात की ओर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन आवश्यक है। महंगाई सूचकांक को वेतन के साथ जोड़ने की जरूरत है। यह उनकी मांग है कि ये पैकट को प्राइस इन्डैक्स के साथ जोड़ा जाय। अगर आप नहीं करेंगे तो वे आन्दोलन करेंगे और उसके बाद आपको करना पड़ेगा।

श्रम कानूनों के बारे में में एक सेन्ट्रल कोड बनने जा रहा है उसकी प्रतीक्षा करें। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हम श्रम कानूनों के कुछ अमेन्डमेन्ट करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप वह काहे के लिये कर रहे हैं। जब एक लेबर कोड बनने जा रहा है तो आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं।

आपने पिछली स्पीच में कहा था कि फैक्टरीज के इन्सपेक्टर्स काम नहीं करते हैं। ऐसा कह देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं सभी लेबर या फैक्टरी इम्प्लाइज के बारे में नहीं कहता हूं किन्तु वास्तव में कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े आराम से रहते हैं और खाते-पीते हैं। जिसको चाहें पकड़ लें और जिसको चाहें छोड़ दें। तो मैं समझता हूं कि वे लोग लेबर इन्सपेक्टर नहीं हैं बल्कि ये लेबर सेविंग इन्सपेक्टर्स हैं। मजदूरों के साथ अत्याचार करते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप उनका वेतन न बढ़ायें आप जरूर उनका वेतन बढ़ायें, उनको अवकाश नहीं मिलता है तो उनको अवकाश में छुट्टी दें किन्तु उसका जो मूल कार्य है उसे तो पूरा करें। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिय।

[श्री नित्यानन्द स्वामी---]

एक बात रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उसकी पद्धति सरल होनी चाहिय। आप ने देखा होगा कि हमारे प्रदेश में अगर इसी प्रकार की जो फर्म या सोसाइटीज हैं उनके रजिस्ट्रेशन में एक हफ्ते का समय लगता है जबकि आपके यहां महीनों तक रजिस्ट्रेशन का कागज एक मेज से दूसरी मेज में घूमता रहता है। इससे मजदूर को बहुत परेशानी होती है और समय नष्ट हो जाता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बना दें ताकि उसका समय बच सके और रजिस्ट्रेशन हो जाय। रिकाग्नीशन के बारे में कहना चाहता हूं कि रिकाग्नीशन गुप्त मतदान के द्वारा होना चाहिये। अगर आप इसको स्वीकार कर लें तो प्रदेश की बहुत सी समस्यायें हल होंगी। न्याय के बारे में मेरा निवेदन है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात है। मजदूर हाईकोर्ट में नहीं जा सकता है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह कोर्ट में जाये। आप कम्पलसरी एडजुडिकेशन क्यों नहीं करते हैं। पिछले साल ५१६० केसेज में से १६०१ केसेज में फैसला नहीं हुआ और कुल ९३४ केसेज रेफर किये गये। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बाकी ढाई हजार कैसेज क्या किये गये ?

आप कम्पलसरी एडजुडिकेशन कीजिये। यह जो आपका इलेक्शन ला है उसमें ६ माह की तारीख बांध दी गयी है। ६ महीने में फैसला हो जाना चाहिये। कभी देर भी लग जाती है। लेकिन उस तरफ से आपको भी एक सीमा बांध देनी चाहिये। वरना यह मिल मालिक एक के बाद दूसरे कोर्ट में चले जायेंगे और मजदूरों को परेशान करते रहेंगे।

यह जो आप मंहगाई के आंकड़े इकट्ठे करते हैं, यह साइन्टिफिक बेसिस पर होना चाहिये। आपको यह देखना चाहिये कि किसी परिवार में वास्तव में कितने सदस्य हैं। मजदूर के परिवार के साथ उसके बूढ़े मां बाप, विधवा बहन आदि तो रह सकते हैं। इस कमी को आपको पूरा करना चाहिये। आंकड़े वास्तविक होने चाहिये।

जहां तक मिनिमम वेजेज ऐक्ट की बात है अभी तक स्टेट मिनिमम वेजेज अथारिटी को कायम नहीं किया गया है। अगर हो गयी हो तो मेरा ज्ञानवर्द्धन कर दिया जाय, अन्यथा उसे काम किया जाय। जैसी कि सेन्ट्रल एडवाइजरी बाडी में रिकमेंडेशन हुई है। आपने बताया कि यह ऐक्ट और नये १७ औद्योगिक संस्थान में लागू कर दिया गया है। लेकिन प्रदेश में अब भी बहुत से ऐसे औद्योगिक केन्द्र हैं जहां पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू नहीं किया गया है।

बोनस की सीमा को भी आपको ऊपर उठाने की सिफारिश करनी चाहिये। ४ फीसदी और २० फीसदी की सीमा को आपको ऊंचा उठाना चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा कि पेन्शनरों को भी मंहगाई भत्ता उनके वेतन के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिये।

(इस समय ३ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुये।)

मूल्यों के स्थिरीकरण की तरफ हमारे प्रदेश का ध्यान नहीं गया है कम से कम यह तो हम करें कि फैक्ट्रीज का जो इण्डस्ट्रियल एरिया है और जहां पर मजदूर काफी संख्या में काम करते हैं, वहां पर सब्सीडाइज्ड रेट्स पर सामान दिये जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। परन्तु ऐसी सस्ती इकोनामी में से जैसा कि विधान सभा में प्रश्न आया था कि बाजार में चीनी १.८० रुपया मिले और सस्ते गल्ले की दूकान पर १.८५ मिले। ऐसी दूकानें भी कायम न कर दीजिये।

जो कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट सेन्टर म आया है, उसे प्रदेश में भी लागू कर, इस ओर भी इस सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

इन्डस्ट्रियल ट्रूस की बात कही गयी। २--३ जिलों में आपने करा दिया है, यह बहुत खुशी की बात है। मजदूरों की तरफ से हुआ, लेकिन मालिकों की तरफ से भी ऐसा किया जाना चाहिये।

आपने कहा कि एक ट्रेड में एक यूनियन। लेकिन मैं इसके आगे यह बात कहूंगा कि एक ट्रेड में एक नेशनल यूनियन होना चाहिये ताकि चीनियों तथा अन्य विरोधी समर्थक यूनियन का प्रवेश हो सके।

श्रीमन्, दो विभाग ऐसे हैं जिसमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक होता है। आई० टी० आई० में तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर इतना जरूर है कि खाली मशीनों के पड़े रहने के कारण बहुत दुरुपयोग हो रहा है। आई० टी०आई० में छोटे छोटे कर्मचारियों के ५०० तबादले कर दिय गये हैं। इन बातों की तरफ तो आपका ध्यान जाना चाहिये साथ ही वहां पर व्यवसाय बढ़ाने की ओर आप सोंचें। वहां पर २४ हजार से सीट्स हैं, उनको बढ़ाने की ओर सरकार कदम उठावे।

जहां तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बात है। यह तो आपका बिल्कुल एक करप्शन का दफ्तर बन गया है। एक नमूना देहरादून का है वहां पर बैंक के क्लर्कों के पद के लिये एम० ए० और एम० एस० सी० को हाई स्कूल की जगह रखा गया। कहां यही नियम है ? लेकिन यह नियम टेहरी गढ़वाल में तो है नहीं वहां किस प्रकार से है ? जैसा चाहते हैं मन मर्जी करते हैं।

मैं जानता हूं कि मेरे साथ न्याय नहीं किया गया है। मैं बहुत संक्षेप में बोला हूं। मैं समझता हूं कि समझदार को इशारा ही काफी है और माननीय मंत्री जी उन समझदारों में हैं। मेरा आग्रह है मंत्री जी इन बातों पर ध्यान दें।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि १९७१ की स्टेटीकल डायरी के अनुसार हमारे प्रदेश में १९६१ की जन संख्या के अनुसार ग्रामों में ६,४२,६६,००० व्यक्ति रहते थे। और शहरों में ९४,८०,००० व्यक्ति रहते हैं। देहातों में रहने वाले व्यक्तियों में २,५५,१६,००० आदमी काम करते हैं और ३,८३,५०,००० आदमी काम नहीं करते हैं। शहर में रहने वाले आदमियों में से २९,३५,००० आदमी काम करते हैं और ६५,४५,००० आदमी काम नहीं करते। इस तरह से सन् ६१ की गणना के अनुसार ४,४८,४५,००० कुल न काम करने वाले आदमियों की संख्या होती है। इनमें से आधे बच्चों को निकाल दें तो २,२४,२२,५०० आदमियों की ऐसी संख्या है जो बेरोजगार हैं। इनमें से आधी औरतों को जो निकालनी नहीं चाहिये क्योंकि वे भी काम करती हैं। अगर उन्हें भी निकाल दें फिर तब भी १,१२,११,२५० आदमी ऐसे बचते हैं जिनके हाथ में कोई रोजगार नहीं है।

मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो बालिग हैं १,१२,११,२५० व्यक्ति इन के लिये रोजगार की क्या व्यवस्था है ? आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी यदि लोगों के जीवन-स्तर को उठाना है। वर्ना भूख इन्सान को बागी बनाती है। जब तक भूख रहेगी, बेकारी रहेगी प्रदेश व देश में शान्ति नहीं रह सकती है।

साथ ही साथ मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सन् ६१ की जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी संख्या २,८८,५०,१४१ थी। इनमें से शहरी क्षेत्रों में २९,३४,३९२ मजदूर रहते हैं और देहाती क्षेत्र में २,५९,१५,७४९ मजदूर काम करते हैं। जिनमें से कृषकों को यदि हम निकाल दें जो कि १,८२,७८,९७७ हैं, तब भी ७६,३६,७७२ मजदूर बचते हैं जो देहातों में काम करते हैं जिनका कोई वेतन स्तर ही नहीं है। कोई वेतन स्तर निश्चित नहीं है। वे तो भगवान के सहारे हैं। इन्हें ४ आने भी मिलते हैं ८ आने भी मिलते हैं, रुपया भी मिलता है, ५ रुपये भी मिलते हैं। वेतन स्तर न होने की वजह से दिन पर दिन वे कर्जदार गरीब होते जा रहे हैं और देहात में

[श्री प्यारे लाल—]

जो श्रमिक रहते हैं उनकी स्थिति इस प्रकार दयनीय होती जा रही है समाज में न उनकी इज्जत है और न ही उनके मन को शांती है । इसलिए उनका भी वेतन स्तर निश्चित करें जिससे वे भी खुशहाली एवम् सम्मान की जिन्दगी व्यतीत कर सकें ।

इसके साथ साथ मैं कानपूर के रजिस्ट्रार दफतर यहां कि प्रदेश भर की यूनियनों का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार की कलम से होता है उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं । यूनियन की सारी बातों की पूर्ति होने के बाद भी ट्रेड यूनियन इंसपेक्टर जो जिले का होता है उसे पंजीकरण के कागजात भेजे जाते हैं परन्तु कई कई महीने जांच करने के लिये ट्रेड यूनियन इन्सपेक्टर नहीं पहुंचता है । यदि वह जांच भी कर लेता है तो उप लेबर कमिश्नर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो जिले में रहते हैं उनके यहां कई कई महीने केस पड़े रहते हैं और वे यदि कानपुर पहुंच जाते हैं तो वहां इस प्रकार दबा दिये जाते हैं जिन्हें निकलवाने के लिये अनेक बार लिखने के बाद भी पंजीकरण हेतु अनेक बार कानपुर के दफ्तरों में जाकर उन कागजों को निकाला जाता है और तब कहीं रजिस्ट्रेशन होता है ।

मोदीनगर में मोदी और गाजियाबाद में मोहन ऐसे लोग हैं जिनके बहुत लम्बे हाथ है जिनके यहां यूनियन कई कई साल के बाद रजिस्टर हो पाती है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि रजिस्ट्रार की कलम से यूनियन का जन्म न हो । बल्कि गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर मजदूर यूनियन का जन्म होना चाहिये । यदि रजिस्ट्रार की कलम की नोक पर मजदूर यूनियनों की जन्म की बात छोड़ी जाती है तो फिर मजदूरों का बहुत बड़ा नुक्सान होगा । पंजीकरण के 'क' फार्म पर सात सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं तथा कार्यकारिणी बनती है उन सब की नौकरी खतरे में पड़ जाती है और उन्हें किसी को चोरी के अभियोग में, किसी को मिल मालिक या सुपरवाइजर को गाली देने के अभियोग में नौकरी से निकाल दिया जायेगा ।

इसीलिये मैं श्रम मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मजदूर यूनियनों का जन्म रजिस्ट्रार की कलम की नोक पर न होकर बहुमत के आधार पर, गुप्त मतदान के द्वारा हो । जो मजदूर यूनियन के सदस्य बन जायं उनकी नौकरी की गारंटी की व्यवस्था कानून के द्वारा होनी चाहिये । इसके साथ साथ मैं श्रम मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शहरों में जो मजदूर काम करते हैं-जैसे इंजीनियरिंग उद्योग में काम करने वाले मजदूर हैं, उनका वेज बोर्ड बना हुआ है, कपड़े व जूट मिल में काम करने वाले मजदूरों का वेज बोर्ड बना हुआ है, चीनी मिल में काम करने वाले मजदूरों का बेज बोर्ड बना हुआ है, और शराब के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का भी बेज बोर्ड बना हुआ है लेकिन इन के अलावा जो मजदूर और अनेक प्रकार की संस्थानों में काम करते हैं उनका कोई वेज बोर्ड आज तक नहीं बना । उनकी क्या दुर्दशा है, इसे मत पूछिये । किसी मजदूर को ६५ रुपये महीने में मिलता है तो किसी को ७० रुपये मिलता है और उसमें भी चार रविवार ई०एस०आई० व प्राविडेंट फंड वगैरह की धनराशि को काट दिया जाय तो ५० से ६० रुपये ही महीने में मिल पाता है तो फिर आज के महंगाई के युग में कैसे वे गरीब श्रमिक अपना व अपने बच्चों का पेट पालता होगा । जिस मजदूर को ६५-७० रुपया महीने में मिले और उसको सिर्फ रहने के लिये मकान का किराया ही ३०, ४० या ५० रुपया दे देना पड़े तो ऐसी हालत में वह कैसे अपने बाल बच्चों का पेट भर सकता है । कहां से कपड़ा, दवा व पढ़ाई आदि जुटा सकता है, यह मैं पूछना चाहता हूं । इसीलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने भी ऐसे मजदूर हैं जिनके लिये वेज बोर्ड नहीं बना है उन मजदूरों के लिये इंजीनियरिंग वेज बोर्ड की वेतन श्रेणी को ही माध्यम मान कर जो धनराशि नियत है, वही उन अन्य संस्थाओं में काम करने वाले सारे मजदूरों के लिये तय कर दिया जाय जिससे वह सब मजदूर भी अपने बच्चों को पाल सकें वरना वे कैसे अपनी जिन्दगी बिता सकेंगे ।

दूसरी चीज यह कि हमारे यहां मेरठ, मोदीनगर और गाजियाबाद में मजदूरों को डबल ओवर टाइम नहीं मिल पाता है। इसके लिये लेबर कमिश्नर से शिकायत करते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से शिकायत करते हैं, फिर फैक्टरी इंसपेक्टर से शिकायत करते हैं, आर०सी०ओ० से शिकायत करते हैं तथा ए०आर०सी० ओ० से शिकायत करते हैं। लेकिन कोई जांच करने के लिये नहीं जाता। इंस्पेक्टर जाता है और मिल मालिक से कुछ नजराना लेकर श्रमिकों का शोषण करने हेतु, उल्टा कानून बता कर चला आता है। लेबर इंस्पेक्टर ए० आर० सी० ओ० वगैरह सभी मिल मालिकों के हित की बात ही करते व सोचते हैं क्योंकि वे मिल मालिकों के गेस्ट हाउस में ठहरते हैं उनकी कारों का इस्तेमाल करते हैं उनके मिलों में जो उत्पादन होता है उसकी पेटी की पेटियां भर कर अपनी कार में ले जाते हैं, फिर ऐसी हालत में वे मजदूरों की भलाई करेंगे या मिल मालिकों की भलाई करेंगे यह निर्णय आप पर ही छोड़ता हूं। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कानून में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करें, ऐसा क्रांतिकारी कानून बनावें जिससे मजदूरों का हित हो और श्रमिक सरमायादारों के शोषण से बच जायें।

इसके साथ साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्राइवेट संस्थाओं व दूकानों पर जो मजदूर काम करते हैं उनके पेंशन प्राविडेंट फंड की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से सरकारी संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों व कर्मचारियों के लिये पेंशन, शिक्षा, दवा, मकान व फंड की व्यवस्था है उसी तरह से प्राइवेट संस्थाओं में काम करने वाले मजदूरों के लिये भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे बुढ़ापे में जब कि वे काम करते करते थक जाते हैं, काम करने से बेकार हो जाते हैं, बुढ़ापा उन्हें दबोच लेता है और निःसहाय हो जाते हैं तब भी वह अपनी रोजी रोटी चला सकें।

इसी के साथ साथ एक निवेदन इसी सिलसिले में और करना चाहूंगा। प्राविडेंट फंड मजदूर से कट तो जाता है। मिल मालिक से भी शायद बराबर की धनराशि ले ली जाती है। लेकिन जब मजदूर रिटायर होता है या फैक्टरी से निकाल दिया जाता है और वह प्राविडेंट फंड का पैसा अपनी जरूरत में निकालना चाहता है तो कई कई साल तक लिखापढ़ी करता रहता है, सैकड़ों रजिस्ट्री चिट्ठियां भेजता है, कानपुर के भी चक्कर काटता है। तब कहीं जा कर उसे पैसा मिलता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्राविडेंट फंड का पैसा जब मजदूर नौकरी से अलग हो और वह निकालना चाहे तो पहली दरख्वास्त पर नहीं तो दूसरी दरख्वास्त पर जरूर हो उसे उसकी धनराशि मिल जाना चाहिये और आज जो सैकड़ों रजिस्ट्री करने के बाद भी पैसा उसे नहीं मिल पाता है यह प्रथा खत्म होनी चाहिये। यदि हमारी सरकार सही माने में समाजवादी है तो फिर एक चिट्ठी पर श्रमिकों को पैसा मिलना चाहिये।

मिल में काम करते करते जब मजदूरों के हाथ काले हो जाते हैं तो मिल के मालिकों व प्रबन्धकों की ओर से हाथ साफ करने के लिये साबुन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। कैमिकल में जो मजदूर काम करते हैं उनको वर्दी नहीं मिलती है और न १२ बजे रात को जब मजदूर अपनी ड्यूटी से छुट्टी पाते हैं तो उनके आराम के लिये कोई रेस्ट रूम है, न खाना खाने के लिये कोई कमरा है, न कोई कैन्टीन है। इनकी व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके अलावा जहां मजदूरों के केंद्र हैं वहां वहां एक टेक्निकल कालेज जरूर होना चाहिये। मेरठ में दो टैक्निकल कालेज हैं और मोदीनगर जहां कि ३०-४० हजार मजदूर काम करते हैं और गाजियाबाद में जहां ५०-६० हजार मजदूर काम करते हैं, कोई टेक्निकल कालेज नहीं हैं और टेक्निकल कालेज न होने की वजह से मजदूर व उसका लड़का हमेशा मजदूर ही बना रहता है, वह कभी स्किल्ड लेबर नहीं बन पाता है और इस तरह से वह कभी तरक्की नहीं कर पाता और उसके लड़क पोते सब मजदूरी करते हैं। (लाल बत्ती होने पर) अभी कई प्वाइंट्स रह गये हैं, ५ मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

बोलने वाले ज्यादा हैं । मैं दो मिनट और दे देता हूं। आप दो मिनट में खत्म कर दें ।

श्री प्यारेलाल—

बहुत अच्छा । मजदूरों को तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं । इसलिये उनके लिये सस्ते किराये के मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये । ५ या १० रुपये महीने से ज्यादा किराया नहीं होना चाहिये । गाजियाबाद में ६०-७० रुपये का मकान मिलता है और इतनी ही उनकी तनख्वाह होती है । ऐसी हालत में वह अपने बाल बच्चों को किस तरह पालें ? जहां जहां लेबर कालोनी हैं वहां सीधे सीधे श्रमिकों को श्रम विभाग मकान अलाट न करके मिल मालिक के नाम अलाट करते हैं जिससे मजदूर को मकान न मिल कर मिल मालिकों के चमचों को ही मकान मिलते हैं । श्रमिक का शोषण होता है और मालिकों के चमचे बढ़ते हैं। अतः मकान अलाट करते समय मिल मालिक को बीच में न डालकर सीधे सीधे श्रमिकों के नाम मकान अलाट किये जायं ।

इसके अतिरिक्त एक सीमा तय कर दी जाय कि १००-२०० रुपये तक की आमदनी वाले जो किसान और मजदूर हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा दी जाय ।

इसके साथ ही साथ एक निवेदन और करना है कि छुट्टी के दिनों का पैसा लेने जब मजदूर ई० एस० आई० के कार्यालय में जाता है तो उसे वहां भी नजराना देना पड़ता है। श्रम विभाग मजदूरों के प्रति हमेशा उदासीन बना रहता है । वह मालिकों को कानून बताता है मजदूरों का शोषण करने के लिये । इसलिये कानूनों में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जायं । काम दिलाऊ दफ्तर और श्रम हितकारी केंद्र मजदूरों के हित की बात नहीं करते । इन विभागों का या तो पुनर्गठन किया जाय या इन दोनों विभागों को तोड़ दिया जाय। इनमें बड़ा भ्रष्टाचार है । काम दिलाऊ दफ्तर से नाम उनका जाता है नौकरी के लिये जो कुछ नजराना दे देते हैं । ऐसे विभागों को जिनसे मजदूरों की परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं है, तोड़ दिया जाय तो मजदूरों को कुछ राहत मिले । श्रीमन्, केंद्रीय सरकार ने ठेकेदारी समाप्त करने के नियम बनाये हैं । मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार उन ठेकेदारी समाप्ति के नियमों पर विचार कर तुरन्त प्रदेश में लागू करे । इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्री द्वारा पेश की गई मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ी दिक्कत के साथ अपने माननीय मित्र नित्यानन्द जी स्वामी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आप सोचते होंगे कि मुझे क्या दिक्कत हुई और माननीय मंत्री जी भी सोचते होंगे कि विरोधीदल के सदस्य को दिक्कत क्या हो सकती है कटौती के प्रस्ताव में । श्रीमन्, दिक्कत यह हुई कि माननीय मंत्री जी के इस अनुदान का समर्थन अगर किया जाय तो कैसे, क्योंकि यह सरकार की नीति को लक्षित करता है और एक ऐसे श्रमिक नेता के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है कि उसको देखते हुए अगर इसका विरोध किया जाय तो कैसे । यह धर्म संकट था । अन्ततोगत्वा यह फैसला किया कि निश्चय ही इस सरकार के मजदूर विरोधी बजट का विरोध होना ही चाहिये । इसके दो कारण हैं । पहली तो बात यह है कि मैं ऐसा समझा था कि अगर सचमुच कोई गांधी जी की कल्पना हो सकती थी कि इस प्रदेश के एक श्रमिक नेता के हाथ में श्रम विभाग हो तो वह कल्पना साकार हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी की नीति संबंधी

बात चल नहीं पाई और इनके बड़े मंत्री ने इस मामल में दस्तन्दाजी की और उस दस्तन्दाजी के कारण इस मजदूर विरोधी अनुदान को अपनी मजबूरी के कारण सदन के सामने ल आये। मुझे कुछ तरस भी आयी। मैंने भी यह सोचा कि शायद मंत्री जी कुछ बातों को कबूल कर लें।

मेरा पहला सुझाव यह है कि आज नीति के तौर पर इस बात की घोषणा करिये कि क्या श्रमिकों को प्रबन्ध में हिस्सा देने की बात सोचते हैं या नहीं? अगर सोचते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि सब से पहले सरकारी नियंत्रित प्रतिष्ठानों में सबसे पहले उसका श्रीगणेश करिये। जिस दिन रोडवेज में ड्राइवर और कंडक्टर; जनरल मैनेजर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सेक्रेटरी के साथ बैठकर बार्ता में शामिल होगा और प्रबन्ध संचालन के लिये बैठेगा, उस दिन मैं समझता हूं बड़ा काम होगा। अगर डल्ला और चुर्क सीमेंट फैक्टरी का एक मजदूर अपने मैनेजिंग डाइरेक्टर के साथ बैठेगा और बार्ता में शामिल होगा और एक दिशा देगा जिस दिशा में न यह कहने की गुंजाइश होगी कि मिल मालिक ने या सेवायोजकों ने लाक आउट किया और न यह कहने की गुंजाइश होगी कि मजदूर ने हड़ताल किया क्योंकि दोनों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी रहेगी। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इस विषय पर अपनी घोषणा करें।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन के संबंध में अभी माननीय मंत्री जी ने एक बात कही अपने भाषण में कि वह विचार कर रहे हैं कि एक प्रतिष्ठान में एक रिप्रेजेंटेटिव यूनियन को वह बनायें। एक आशंका होने लगती है मैं चाहता हूं आप इसकी सफाई कर दें। रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन से आपका मतलब क्या है। क्या उस प्रतिष्ठान में कुछ मान्यता प्राप्त यूनियन भी होंगी या नहीं? और उन मान्यता प्राप्त यूनियन को बारगेनिंग का हक होगा या केवल रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन को ही हक होगा। जिस प्रकार से आज इस सरकार का गोरखधंधा चल रहा है, और शासन की मशीनरी को देखते हुये यह भय लगता है कि अगर रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन को चुनने का सवाल पैदा हो जाय और दो यूनियन की अगर बात आ जाय तो निश्चयपूर्वक अगर सरकारी पार्टी द्वारा अगर संबंधित दूसरी यूनियन होगी तो उसको ही यह सब से पहले रिप्रेजेंटेटिव यूनियन मानेंगे बनिस्बत उस के जो अन्य दलों के द्वारा संचालित होगी। मैं चाहता हूं कि यह साफ हो जाय मंत्री जी की ओर से कि प्रतिनिधि यूनियन के चुनाव का तरीका क्या होगा।

मैं एक और बात की तरफ ध्यान आपका दिलाऊंगा कि यह जो महंगाई की बात है, पिछले दिनों मैंने इसी सदन में एक सवाल किया था जिसके उत्तर में कहा गया था कि गोरखपुर प्रदेश का सबसे महंगा शहर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रम विभाग ने अपनी वह धारणा इन आंकड़ों के अनुसार बदल दी और अब उसका आधार क्या और अगर नहीं बदली तो गोरखपुर के रहने वाले मजदूरों को आप कोई विशेष भत्ता देने के लिये योजना बनाई या नहीं?

चौथी बात यह है कि आज मैंने सुना है कि गोरखपुर में एक लेबर कोर्ट की स्थापना हुई, मंत्री जी मुस्करा रहे हैं, मुझे क्षमा करें अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरी जानकारी गलत हो तो मंत्री जी उसका खंडन करें और कहें कि माननीय सदस्य की जानकारी गलत है लेकिन मुझे ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि जो न्याय के लिये लेबर कोर्ट अभी ३-४ मास पहले स्थापित हुआ था उसको हटाकर कानपुर ले जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है। उनका तर्क यह हो सकता है कि वहां मुकदमें कम हैं। अभी कुल ३-४ मास की बात आई है और जो दूसरी जगह मुकदमें पेंडिंग हैं उनको वहां भेजें लेकिन जो १ लाख गरीब श्रमिक वहां बसते हैं उनको कानपुर या लखनऊ मुकदमे के संबंध में जाना पड़ता है, उनको अगर आप कानपुर भेजेंगे तो २ तरह का नुकसान होगा।

[श्री कल्पनाथ सिंह---]

एक तो आज की स्थिति में यह भावना घर कर गई है कि एक नई चीज जो गोरखपुर में पैदा हुई उसको सरकार ने फिर से सेंट्रलाइज कर दिया और लेबर फील्ड में जो गुत्थियां थीं उनको फिर से उलझाने का तरीका चालू कर दिया । लेबर के सारे मामले गोरखपुर से चलते हैं और बाकी की हालत तो वही है जैसे बड़े गुरू के सब चेले ।

मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाऊंगा कि आज श्रमिकों को अच्छे मकानों की बड़ी आवश्यकता है । विभाग ने उन के लिये कुछ मकान बनवाये भी लेकिन हमारी सूचना गलत हो तो मंत्री जी उसको ठीक कर दें, कि जो मकान श्रमिकों के लिये बने उन पर आज अन्य लोगों का कब्जा है । कानपुर में भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि अन्य लोगों ने श्रमिक क्वार्टर्स पर कब्जा कर रखा है, मैंने कानपुर का जिक्र इसलिये किया कि वह प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और संयोग से वहां के बारे में मंत्री जी की जानकारी भी अधिक है।

इतना ही नहीं जो जमीन लेबर कालोनीज के लिये ली गई थी उसका भी सही उपयोग नहीं हुआ । क्या सरकार आगे आने वाले ५-६ मास में सदन में निश्चयपूर्वक कहेगी कि वह अगले बजट तक, वैसे मुझे तो विश्वास नहीं कि यह सरकार अगले बजट तक चलेगी लेकिन अगर गंजे को नाखून हो जाय और यह सरकार चल जाय तब यह बात पैदा हो सकती है कि अगर अगले बजट में यह सरकार आये, मैं निश्चित तौर पर उसे साल भर की मियाद दिये देता हूं या उसके पहले ही मजदूरों के लिये मकानों को खाली करा दिया जाय और उन जमीनों को जो मकान बनाने के लिये रिक्वीजीशन की गयी थीं और जो म्युनिसिपल बोर्ड्स को दी गयीं थी उनके बारे में यह सरकार घोषणा करे कि उन्हें क्वार्टर्स के लिये इस्तमाल कर लिया गया है ।

आज जो महंगाई सूचकांक और जो वार्षिक समीक्षा हमारे सामने आयी है, उनकी सारी बातों को छोड़ दें, मैं केवल एक बात की ओर अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि पत्थर तोड़ने या खोदने के लिये नियोजन में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं, उसको ४५ रुपया प्रति माह या एक रुपया ७३ पैसे प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जायेगी । श्रीमन्, इस ओर ध्यान दीजिये । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने बजट को पेश करते हुए ऐसा भाषण दे डाला कि जिससे मालूम हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी आसमान से समाजवाद तोड़ कर रख देंगी । खोदा पहाड़ पर निकली चुहिया । आरम्भ में भी और अन्त में भी श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लिया गया । जो पत्थर तोड़न वाला मजदूर है उसको तो मिलेगा १ रुपया ७६ पैसा जो सेवा योजन में है, उनको किसी को मिलेगा २ रुपया, किसी को ढाई रुपया और किसी को मिलेगा २ पया ४५ पसा । करीब दो या ढाई के बीच में उनकी मजदूरी है । मैं, श्रीमन्, उन मजदूरों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो तादाद में करोड़ों में हैं, स रिपोर्ट में जो दिया गया है उनके ही बारे में कहना चाहता हूं । जो देहात में रहते हैं ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन, मुझे और कितना समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता---

अभी आप २ मिनट और बोल लें ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ग्रामीण मजदूरों के लिये केवल आयोग बनाना आवश्यक नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आयोग की रिपोर्ट के आने के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण

मजदूरों के रहने के लिये यह सरकार सबसे पहले इस बात की घोषणा करे कि उन प्रत्येक ग्रामों में जहां पर मजदूर बसते हैं; रहने के लिये ५-५ घर बनवा सके। तब मैं समझूंगा कि इस सरकार बहुत बड़ा काम किया है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में सेवायोजन और ट्रेनिंग की बात की गयी है। आई० टी० आई० का बड़ा जिक्र किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह एकदम उच्छृन्खल बनाने का रास्ता बना हुआ है। कहीं-कहीं पर तो यह भी सुनने में आया है कि देशी पिस्तौल और रिवाल्वर भी इनमें बनते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बारे में पता लगाये कि जहां पर इस प्रकार की बातें चल रही हों, वहां पर सख्ती से काम लिया जाय। यह पता इस तरह से नहीं लगने वाला है। आप के शासन की सारी मशीनरी है, इस काम के लिए। हम लोगों के लिए तो आपका इन्टैलिजेन्स बिभाग तेजी से चलेगा लेकिन ऐसे कामों के लिए नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

(श्री गंगा प्रसाद के बुलाये जाने पर)

श्री राम चरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

जिस पर मेरी नजर पड़ जाती है उसको बुलवा लेता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आज मुझे उस विषय पर बोलने का अवसर दिया जो श्रमिक क्लास कहलाता है जिसके बारे में अभी भाई कल्पनाथ सिंह जी ने अच्छा विवरण दिया। लेकिन उन्होंने अपने हलवाहे की बात नहीं कही। एक रुपये ४३ पैसे की बात तो उन्होंने कहीं वह तो ठीक है लेकिन खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई और वह सबसे बड़ा भीषण शोषण उनका हो रहा है। उनका. . . .

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं हमेशा खेतिहर मजदूरों के बारे में बोलता हूं आप प्रतिवेदन देख लीजिये।

श्री गंगाप्रसाद—

वह आपके ही अत्याचारों की वजह से आज खेतिहर मजदूर पनप नहीं रहा है। उसकी सारी की सारी सम्पत्ति आप लोग हड़पें हैं और उसको समाज में घृणित निगाह से देखा जा रहा है। उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। आज उनकी दयनीय दशा है। गवर्नमेंट ने जिस तरह से शारदा ऐक्ट बनाया था और वह लागू नहीं हुआ उसी तरह से मिनिमम वेजेज ऐक्ट भी लागू नहीं है.....

एक सदस्य—

माननीय सदस्य अपने हलवाहे को क्या देते हैं ?

श्री गंगा प्रसाद—

मेरे हलवाहा ही नहीं है। माननीय सदस्य, बहराइच ने कहा कि क्या देते हैं। हमारे पास तो खेती भी नहीं है। आपसे मिन्नत की थी कि थोड़ी सी खेती दिला दें लेकिन आपने

[श्री गंगा प्रसाद—]

गौर नहीं किया । आप एक हजार डेढ़ हजार बीघे के काश्तकार हैं । मजदूरों का शोषण करते हैं उसकी क्या व्याख्या की जाय । जरा हृदय पर हाथ रख कर सोचें कि आपका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है लेकिन खेतिहर मजदूर का लड़का चार पांच दर्जे में पढ़ने के लिये भी पैसा नहीं पा सकता ।

(व्यवधान)

मैं कह रहा हूं कि ठाकुर समाज में जो समाजवाद का आज विरोध कर रहे हैं, यही आज शोषण कर रहे हैं । वही मैं कहना चाहता हूं कि आज यहां भी ये हमारे अधिकार को छीनना चाह रहे हैं । माननीय मंत्री जी आप लेबर के एक अच्छे खासे प्रसिद्ध नेता हैं । जहां आप इन्डस्ट्रियल मजदूरों की बात करते हैं, वहां खेतिहर मजदूरों की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये । उनके रहने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये । उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी करनी चाहिये । खाने पीने के लिये आपको व्यवस्था करनी चाहिये । आज उनकी दशा बहुत शोचनीय है । आप समाजवादी विचारधारा के मानने वाले हैं । इसलिये उन खेतिहर और देहाती मजदूरों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ।

यह खुशी की बात हैं कि आपके साथ ही हमारे साथी हैं डिपुटी मिनिस्टर, मिस्टर धुसिया जी, उनको आई० टी० आई० दे रक्खा है । उसमें क्या हो रहा है । आई० टी० आई० के जो शिक्षित नौजवान निकलते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है । उनको सरकारी जगहों पर नौकरी देने पर विचार करें । अगर ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते ह तो उन आई० टी० आई को तोड़ दें । ट्रेनिंग करने वाले प्रशिक्षितों को कहीं सहारा नहीं मिल रहा है । हम समाजवाद का नारा देते हैं, लेकिन जिनकी दयनीय स्थिति है उनको रोटी मिल सके ऐसे कार्यक्रम हमें चलाने चाहिए ।

एक बात और कहनी है । कानपुर के मजदूरों की जो कालोनी है उसकी बड़ी दयनीय दशा है । शिवराज विक्टोरिया मिल का एक मजदूर था । मजदूरी करते हुए उसका जीवन बीत गया । बेना झावर न्यू कालोनी में उसको क्वार्टर नं० १३/१६ एलाट हुआ । वह उसमें रहता था । भाई के लड़के की शादी तय हुई । वह १५ दिन के लिए देहात गया । वहां के इन्सपेक्टर ने दूसरे आदमी को रख दिया । आप के इंस्पेक्टर ने एक हजार रुपया लेकर और अजीत सिंह कोई एक अधिकारी हैं, उन्होंने उसे लच्छूराम के नाम एलाट कर दिया । भाई शिवलाल जी, जो उस क्षेत्र के एम० एल० ए० हैं, उनके पास वह गया, जांच हुई । उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ । तो आज जो वहां बाहर के लोग घुसे हुए हैं, वह बेईमानी करके रुपया कमाते हैं । इस पर आपको ध्यान देना चाहिये और उस लेबर इन्सपेक्टर और अजीत सिंह को तुरन्त वहां से हटा देना चाहिये । वरना हम यह समझेंगे कि आपका ध्यान गरीबों की तरफ नहीं है । आपका कर्त्तव्य है कि फौरन इंस्पेक्टर को हटाकर जांच करावें कि शिवराज वहां रहता है या नहीं और नहीं, तो लच्छूराम की तरफ से किसने रुपया दिया है । उस क्षेत्र के एम० एल० ए० इसके गवाह हैं, लेकिन फिर भी वह मामला अभी तक पड़ा है । हमने भी एक लेटर आपको दिया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । रोजाना शिवराज छुट्टी लेकर इधर उधर दौड़ता है ।

मान्यवर, यह सरकार, इन्दिरा सरकार समाजवादी रास्ते से हट रही है और समाजवाद-समाजवाद चिल्लाती है । समाजवाद समाज से आता है और समाज के लोगों की अभी तक विचारधारा नहीं बदली है । अभी अपने मजदूरों और अपने नौकरों के प्रति सहानुभूति का विचार उन्होंने नहीं धारण किया है । कैसे समाजवाद आयेगा ? समाजवाद न इन्दिरा जी ला सकती हैं, न कमलापति त्रिपाठी ला सकते हैं और न बाजपेयी जी ला सकते हैं । समाजवाद हम लोग लायेंगे । अगर आप चाहते हैं कि गांधी जी का रास्ता छोड़ कर लेनिन और माओ का रास्ता अपनाकर समाजवाद लायें तो वह बहुत जल्दी आ सकता है । लेकिन वह थोड़े

दिन के लिये आयेगा। गांधी जी के तरीके से समाजवाद लाने का मतलब है गरीबों को रोटी मिल सके, वह भी अच्छे मकानों में रह सकें, उनको दवा–दारू, शिक्षा आदि का प्रबन्ध हो सके। यही समाजवाद का मतलब है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि खेतिहर मजदूर की हालत आज ज्यों की त्यों है। मैं सरकार से कहता हूं कि खेतिहर मजदूर की हालत की जांच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाय और तीन महीने के अन्दर उनसे रिपोर्ट लेकर उस पर विचार करे और जो सहूलियतें और मजदूरों को देते हैं, उनको भी दिलाने की कृपा करें।

एक बात और कहनी है। आई० टी० आई० गोंडा में रेडियो और मोटर मैकेनिक का विभाग खोलने की कृपा करें जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े होकर रोटी कमा सकें। इसी के साथ ही साथ एक बात मुझे आपसे और कहनी है। कानपुर के मजदूरों की हालत को आप देखें। आज महंगाई कहां जा रही है और मजदूरी ज्यों की त्यों है। महंगाई आसमान पर पहुंच गयी है। इस सम्बन्ध में आप एक कमेटी बनायें या कमीशन मुकर्रर करें। वह आयोग यह देखे कि जो मजदूरी बम्बई और अहमदाबाद में मिलती है वही मजदूरी श्रमिकों को यहां पर भी दिलाये। आप गरीब खेतिहर मजदूरों की हालत पर जरूर गौर करें।

एक जिले में एक लेबर इंस्पेक्टर होता है। वह सारे श्रमिकों की दरख्वास्तों को नहीं देख सकता है और न वह सब जगह दौड़ ही सकता है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वह सब काम कर सके। मेरा सुझाव यह है कि हर तहसील में एक लेबर इन्सपेक्टर होना चाहिये ताकि वह यह देख सके कि कहां पर सामन्तवादी बड़े काश्तकार गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और उनसे फायदा उठा रहे हैं। वे उनको तनख्वाह भी नहीं देते हैं। गरीब लोगों की अगर साल भर की मजदूरी १०० रु० या १५० रु० होती है तो वह भी नहीं देते हैं और मांगने पर गांव से निकाल देते हैं। तो मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि खेतिहर मजदूरों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करें और उनके जो हकूक हैं, अधिकार हैं, उन्हें अवश्य दिलावें। जब उनको उनके हकूक मिल जायेंगे तभी उनकी दशा में सुधार हो सकेगा और आपका समाजवाद का जो नारा है उसका लाभ भी वे तभी उठा सकेंगे। जय हिन्द।

*श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, तथाकथित सरकार समाजवाद लाना चाहती थी और मध्यावधि चुनाव में जिसने बेरोजगारी और बेकारी को खत्म करने का नारा लगाया था उस सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, विरोध करने के कुछ कारण हुआ करते हैं। मैं इसका विरोध केवल विरोध के लिए ही नहीं कर रहा हूं, मगर ऐसा करने के कुछ कारण हैं और कुछ खास बाते हैं।

(इस समय ३ बजकर ४८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मध्यावधि चुनाव के दौर से हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश गुजरा है। उसमें गरीब जनता के लिए और प्रदेश के रहने वालों के लिए जिनमें करोड़ों नंगे भूखे इन्सान हैं, एक सुनहरी झांकी बनायी गयी और वह झांकी आज तक पर्दे के पीछे पड़ी है और आगे मन्च पर नहीं आ रही है।

जनता को मध्यावधि चुनाव में जो सपने दिखलाये गये थे कि समाजवाद आयेगा, क्या हुआ उनका? जो बातें कही गयी थीं, जो नारे दिये गये थे, क्या वह सिफ नारे के रूप में ही रह गये और क्या वे वास्तविक रूप में आगे आवेंगे? वे सब पर्दे के पीछे रहे हैं और इसी कारण मैं इस बजट का विरोध करता हूं। अगर समाजवाद वास्तव में यह सरकार लाना चाहती है तो इसको ऐसा करने के लिए कठोर प्रयास करना पड़ेगा। केवल बजट प्रस्तुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मनोहर लाल---]

कर देने से और नारे बाजी करने से समाजवाद आने वाला नहीं है और न इस तरह से आप गरीबी मिटा सकते हैं और न ही बेकारी को दूर कर सकते हैं ।

सन् १९६१ की जन गणना के मुताबिक हमारे प्रदेश में कुल २८८५०१४१ श्रमिक थे और उनमें से कृषक श्रमिक ३२६११७८ थे । इनका प्रतिशत ३९ आता है । बजट में देखने से मालूम होता है कि श्रमिक कृषकों के लिए १ पर्सेन्ट पैसा भी नहीं रखा गया है । तो ३९ प्रतिशत श्रमिक किसानों के लिये इस प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष १ पैसा भी नहीं रखा है, यह है समाजवादी सरकार । इस सरकार पर जूं नहीं रेंगती है । किस तरह से यह सरकार बेकारी मिटायेगी और किस तरह से गरीबी दूर करेगी, यह एक जटिल प्रश्न हमारे सामने है ।

श्रीमन्, इन ३९ प्रतिशत किसानों की दशा गांवों में देखने योग्य है जहां पर कि उनकी दैनिक आमदनी १ रु०, २० आने या डेढ़ रुपया तक होती है । वे बेचारे भूमिहीन भी हैं और उन्हें इस मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं मिलता है । मेरा इस तथाकथित समाज वादी सरकार से निवेदन है कि वह इन मजदूरों की ओर ध्यान दे और इस सम्बन्ध में कुछ कानून और नियम बनावे ताकि उनकी दशा सुधर सके । आप उनको ऐसी मजदूरी दिलावें जिससे कि वे अपना पेट तो पाल सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई० टी० आईज० की बात काफी लोगों ने आपके सामने रखी है । मैं समझता हूं कि संविद सरकार के समय में आई० टी० आईज० के काफी तत्व सामने आये थे । विभाग की कुछ संस्थायें हैं जिनके जरिये हम अपने बेकार नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं लेकिन सिर्फ यह किया गया है कि ऐसे आदेश चले गये हैं कि कमेटीज यह काम करेंगी कि भर्ते में मेरिट के अनुसार ऐडमिशन किये जायं । सिर्फ मेरिट से ऐडमिशन करने से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना असंभव बात है । आज हम बड़े शर्म के साथ कहते हैं कि आई० टी० आईज० में हमारे नौजवान एक या दो वर्ष की ट्रेनिंग लेते हैं । उसके बाद कोई मिल मालिक उनको नौकरी देने को तैयार नहीं होता है । उसको मजबूर होकर रिक्शा चलाना पड़ता है क्योंकि आई० टी० आईज० की ट्रेनिंग डिफेक्टिव है । ट्रेनिंग नहीं दी जाती है जब कि ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है ।

आई० टी० आईज० में जाकर आप देखें तो पता चलेगा कि किस तरह से वहां खरीद फरोख्त की जाती है और वहां पर किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, फर्रुखाबाद आई० टी० आईज० की रिपोर्ट शासन के पास आ गई है, उसमें ७५००० रुपये का गबन है । इसी तरह से गोंडा आई० टी० आई० सबसे बड़ा करप्शन का केन्द्र है । वहां लाखों रुपये का गबन है । राज्य सरकार उसकी ओर ध्यान दे हम इन आई० टी० आईज० के द्वारा अपने लाखों नौजवान साथियों को रोजगार दिला सकते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जो आई० टी० आईज० हैं उनमें करोड़ों रुपये की मशीनरी बेकार पड़ी है ? लाख दो लाख की बात नहीं है, करोड़ों रुपये की मशीनरी बेकार पड़ी है ।

मेरा सुझाव है कि इन आई० टी० आईज० को प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेन्टर बना दिया जावे । अगर ऐसा कर देंगे तो जो चीज हमारे सीखने वाले बनायेंगे और उसकी बिक्री होगी, तो उसके जरिये हम रोजगार दे सकते हैं । हमारे पास रुपया आवेगा तो हम बच्चों पर व्यय कर सकते हैं । अभी तो हम आई० टी० आईज० में जो रुपया खर्च करते हैं वह सिर्फ प्रिंसिपल के पास जाता है, फोरमैन के पास जाता है और इन्सट्रक्टर के पास जाता है, ट्रेनिंग करने वाले बच्चों के पास बिलकुल नहीं जाता है । अगर मंत्री महोदय किसी आई० टी० आई० का मुआयना करने जायेंगे तो देखेंगे कि जो वहां वर्दी दी जाती है वह उनके जाने के एक दिन पहले दी जावेगी । इसका वर्दी देखने से ही पता लग जावेगा । ऐसा भ्रष्टाचार के कारण है । हम इन आई० टी०

आईज० के जरिये नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं लेकिन कब, जब हमारी समाजवादी सरकार इस ओर ध्यान दे और भ्रष्टाचार दूर करे ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह थोड़े दिन पूर्व संविद सरकार में जानकारी की गई थी कि कितने इन्सट्रक्टर सरप्लस हैं । यह कहते हुये मुझे संकोच नहीं है कि उनकी संख्या २५०, ३०० रही होगी । इनको एक साल हो गया है लेकिन अभी तक निकाला नहीं गया है । क्या कारण है कि उनको बराबर नौकरी दी जा रही है जबकि हमारे पास बच्चों की संख्या कम है । यह इन्सट्रक्टर्स चार छः साल से काम कर रहे हैं और उनको आज तक नहीं निकाला गया है । संविद सरकार ने इसके लिये आदेश दिया था लेकिन मालूम हुआ है कि सीनिआरिटी लिस्ट बनाई जा रही है ।

इन आई० टी० आईज० को चलते हुए इतने दिन हो गये लेकिन यह नहीं मालूम कि कौन आदमी सीनियर है, कौन आदमी किस जगह पर काम कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वह प्रिंसिपल होने लायक है या नहीं । अगर श्रम मंत्री जी खुद इस तरफ ध्यान दें तो आई० टी० आई० के द्वारा बहुत अच्छा काम कर सकते हैं । मंत्री जी कानपुर के रहने वाले हैं और स्वयं एक श्रम नेता रह चुके हैं । अगर उन्होंने स्वयं इस तरफ ध्यान दिया तो प्रदेश का बहुत बड़ा हित होगा ।

जो ट्रेड यूनियन्स हैं उनकी बात भी मुझे कहनी है । जब तक औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे नहीं होंगे हम अधिक उत्पादन नहीं कर सकते । चाहे जितने कानून बना दें और उनमें परिवर्तन कर दें लेकिन अगर मालिकों और श्रमिकों के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं तो उपाध्यक्ष महोदय हम कतई प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं । सम्बन्ध अच्छे नहीं होंगे तो रोज तालेबन्दी होगी, हरताल होगी । इस लिये इस बात की जरूरत है कि श्रमिकों और मिल मालिकों के सम्बन्ध अच्छा करने के लिए जितनी जे० बी० यूनियन्स और फर्जी यूनियन्स हैं उनको समाप्त कर दिया जाय । यही जे० बी० यूनियन्स मजदूरों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हैं । इनकी वजह से मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पाता है क्योंकि वे यूनियन्स मिल मालिकों की होती हैं न कि मजदूरों की । अगर इन जे० बी० और फर्जी यूनियन्स को समाप्त कर दिया जाय तो श्रमिक जगत में हम उनका फायदा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्रम मंत्री जी ने वेज बोर्ड के बारे में बतलाया । हमारे कानपुर में करीब ४५ चमड़ा उद्योग के कारखाने हैं । चमड़ा वेज बोर्ड की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार ने १८–९–६९ को पास की थी लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुई । संविद सरकार के जमाने में यह प्रश्न रखा गया था कि वेज बोर्ड की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की गयी तो यह कहा गया कि अभी चमड़ा उद्योग में काम करने वाला श्रमिक किस किस कैटेगरी में आता है इसकी जांच की जा रही है क्योंकि उसी के मुताबिक उसे तनख्वाह दी जायेगी । लेकिन दो साल हो गये अभी तक कैटेगराइजेशन की बात तय नहीं हुई । इसमें यहां दिखाया गया है कि ५–३–७० को वह रिपोर्ट लागू कर दी गयी है । श्रम मंत्री जी इसकी ओर ध्यान दें ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि कानपुर में ही नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के रहने की समस्या है जो विकराल रूप धारण किये हुये है । यदि इस तरफ ध्यान न दिया गया तो एक बहुत बड़ी क्रान्ति आयेगी । आज होता यह है कि श्रमिकों के क्वार्टर के नाम पर मिल मालिकों को सस्ती दरों पर जमीनें दी जाती हैं लेकिन वहां मजदूरों के लिए क्वार्टर नहीं बनते । कानपुर का ही उदाहरण देता हूं । वहां श्रमिकों के क्वार्टर्स के नाम पर मिल मालिकों को, पूंजीपतियों को, करोड़पतियों को दो आने, चार आने, छः आने पर जमीन दी गयी लेकिन उस जमीन पर क्वार्टर्स नहीं बल्कि दूकानें बन रही हैं, बाजार बन रहा है । तो क्या यह समाजवादी कहलाने वाली सरकार ऐसा कानून बनायेगी कि ऐसी जमीनें जो श्रमिकों के आवास के लिए ली गयी थी लेकिन वहां श्रमिकों के आवास के स्थान पर दूसरी चीज बन रही हैं उन लोगों से छीनी जा सकें ।

[मनोहर लाल, श्री---]

अगर समाजवाद लाना चाहते हैं तो सरकार को चाहिये कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास, बड़े-बड़े मिलमालिकों के पास जो जमीनें पड़ी हुई हैं, जिनको उन्होंने मजदूरों के लिये ली थीं, उस जमीन को उनसे वापस लिया जाय। अगर वह जमीन लेकर श्रमिकों के लिये क्वार्टर आदि आप बनवा दें तो उनकी कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन यह सरकार करती नहीं करेगी। आज जे० के० रेयन के यहां ३० एकड़ में खेती हो रही है जबकि मजदूरों के लिये सस्ती कीमत पर जमीन ली गयी थी। आप क्यों नहीं उनसे जमीन लेते। क्या काश्तकार वहां खेती करना नहीं चाहता ?

चमड़ा उद्योग में जो मजदूर काम करते हैं उनको ३०-३२ रुपये महीना मिलता है। जिस तरह से वे रहते हैं, उसको अगर माननीय मंत्री जी जाकर देखें तो मालूम होगा कि सूअर बाड़े में रह रहे हैं। हमारे यहां जाजमऊ में जमीन पड़ी हुई है, अगर आप उनके लिये वहां लेबर कालोनी बनाने की व्यवस्था कर दें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्रमिक हितकारी केन्द्रों के संबंध में संविद सरकार फैसला करने जा रही थी कि उनको बन्द कर दिया जाय क्योंकि पिछले ४-५ सालों से वहां पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ ही नहीं, और वहां के श्रमिकों को कभी कोई दवा आदि भी नहीं मिल पाती और सारा रुपया डाक्टरों की जेब में जा रहा है। (श्री उपाध्यक्ष द्वारा अगला नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, मैं दो मिनट और चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है।

*श्री रामचरण त्रिपाठी---

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं, साथ ही कुछ अपने सुझाव भी सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि १४ वर्ष से कम आयु वालों से श्रम नहीं लिया जायेगा। देहातों में आज भी ७-८ साल के बच्चों से श्रम कराया जाता है। यह देख कर हमको सोचना पड़ता है कि हमारे देश के नौनिहालों का भविष्य क्या होगा। बीड़ी उद्योग में तो छोटे-छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। उनको न खाना मिलता है, न कपड़ा मिलता है, न रहने के लिये मकान ही मिलता है। शिक्षा तो उनको मिलती ही नहीं। ८ बजे सुबह से रात्रि के ८ बजे तक उनको काम करना पड़ता है और मिलता क्या है---आठ आना या १२ आना रोज। इस पर सरकार का आज कोई अंकुश नहीं है।

आज १३ प्रतिशत लोग शहर में और ८७ प्रतिशत देहात में रहते हैं और देहात में इन लोगों के लिये न कोई यूनियन है और न कोई ऐसी संस्था आदि ही है जिसके द्वारा वे अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकें। चार आना से लेकर ढाई रुपये रोज के हिसाब से देहात के लोगों से मजदूरी करवायी जाती है। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे कि वे अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकें। मैं श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपा कर ऐसे मजदूरों के बारे में सोंचे। उनके लिये भी ऐसा प्राविधान करें जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। उनके लिये आज न पढ़ाई का प्रबन्ध है, उनके लिये न खाने का प्रबन्ध है, न ही मकान आदि का कोई प्रबन्ध है। वैसे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनको क्वार्टर्स नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलते हैं, मैं उनकी बात माने लेता हूं लेकिन आप उन श्रमिकों के बारे में भी सोचें जो देहातों में रहते हैं और छप्परों में रहते हैं, जो हवा और पानी में बह जाते हैं। उन मजदूरों की बात आपके द्वारा बताना चाहता हूं जिनके पास खाने के लिये अन्न नहीं है, न पहनने के लिये कपड़ा और न वे विधान सभा के सामने भूख-हड़ताल वगैरह ही कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले श्रम मंत्री महोदय उनकी समस्याओं पर विचार करने की कृपा करेंगे और वह सोचें कि इस प्रदेश में जो भुखमरी है, उसका कारण क्या है।

बीड़ी मजदूरों की अपने प्रदेश में बड़ी दयनीय स्थिति है, अपने प्रदेश में उन्हें प्रति हजार १ रु० ६० पैसा मजदूरी दी जाती है, जबकि अन्य प्रदेशों—मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार व वेस्ट बंगाल में २ रु० ६५ पैसे प्रति हजार बीड़ी बनाने की मजदूरी मिलती है। आप सोचें कि बीड़ी के दुर्गंध युक्त वातावरण में जीवन यापन करने पर भी वह दो टाईम भरपेट भोजन नहीं प्राप्त कर पाता है। इस अल्प राशि में वह कैसे अपना पेट भरे और कैसे अपने परिवार वालों का ?

मैं इस बात को श्रम मंत्री को बताना चाहूंगा कि आई० टी० आई० की जो संस्थाएं हैं, मैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि उनमें के निकले हुए नवजवान गली-गली ठोकर खाते रहते हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि सरकार या तो वहां के प्रशिक्षित युवकों को नौकरी दे या इन संस्थाओं को बन्द कर दे। यदि आप नौकरी नहीं दे पाते हैं तो आवश्यक है कि आप यहां के प्रशिक्षित लोगों को अनुदान और ऋण दें, जिससे वे सीखे हुए काम को चलाकर रोजी कमा सकें।

विभिन्न कार्यालयों से नौकरी के इच्छुक युवकों के जो नाम एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज से मांगे जाते हैं, तो उस एक्सचेंज में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। नाम निकालने वाले के पास अगर पहुंच पहुंच जाती है, सोर्स पहुंच जाता है, पैसा पहुंच जाता है तभी उसका नाम निकल पाता है अन्यथा नहीं। बिना सोर्स लगाये चाहे जितना योग्य और प्रशिक्षित हो किसी का नाम वहां से नहीं निकलता है। हमारे गांव के रहने वाले साधारण सीधे व्यक्तियों को मालूम ही नहीं हो पाता है कि कब उनका नाम निकलना चाहिये और कब नहीं निकलना चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रथा को बन्द किया जाये या ऐसा कोई तरीका अपनाया जाये, जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

पेंशन की जो प्रथा है, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि तमाम ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्हें बहुत समय बाद, बड़ी परेशानी के बाद और यहां तक कि दुनियां से कूच कर जाने के बाद पेंशन मिली है। जिला परिषद् के अध्यापकों के बारे में जो ६४ के बाद रिटायर हुये हैं, उनको पेंशन देने की आपने बात कही थी, लेकिन आज ७ वर्ष होने के बाद भी उन्हें पेंशन मिली नहीं है। तो ऐसी पेंशन या प्राविडेन्ट फण्ड से क्या फायदा जो अपने जीवन में न मिल सके, जिससे उनके बच्चों का कोई लाभ न हो सके।

अन्त में जो साढ़े चार लाख बेकार लोगों की सूची दी गई है, उसके बारे में मेरा कहना है कि वह भ्रामक है, इसमें जाल और फरेब है। यह साढ़े चार लाख नहीं, हमारा अपना अनुभव है कि यह संख्या अपने प्रदेश में १ करोड़ है जो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि उनको काम दिलाया जाये या उन्हें बेकारी का भत्ता दिया जाये जिससे कि वे अपना और अपने बच्चों का भेट भर सकें।

मान्यवर, मैं एक बात और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक यह प्रश्न है कि श्रमिकों की हड़ताल हुआ करती है, उससे प्रोडक्शन बन्द हो जाता है, उसके बारे में मेरा कहना है कि जब तक कीमतें नहीं बांधी जायेंगी, तब तक ये हड़तालें होती रहेंगी और इसको कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार रोक नहीं पायेगी। बाजार की कीमतें बढ़ जाती हैं। आज जो चीज दो रुपये की है

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

तीन दिन के बाद छः रुपये की हो सकती है। महीने भर बाद दस रुपये की हो सकती है। जब कीमतें बढ़ती जायंगी तो जो भी कर्मचारी हैं वे उस कीमत के हिसाब से अपना पारिश्रमिक मांगेंगे। जब सरकार नहीं दे पायेगी तो हड़तालें होंगी, लाठियां चलेंगी, गोलियां चलती हैं, लोग भूख हताल करते हैं। इस तरह से शासन अस्तव्यस्त हो जाता है। माननीय श्रम मंत्री कोई ऐसी योजना बनायें जिससे जो आवश्यकता की चीजें हैं, ऐसी चीजों का मूल्य निर्धारित कर दिया जाय जिससे वह ठीक मूल्य पर बिकें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। आई० टी० आई० में जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं आपने अपने भाषण में कहा कि उनको २५ रुपये महीना दिया जाता है। सब विद्यार्थियों को २५ रुपया छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कुछ विद्यार्थियों को मिलती है। किस अनुपात से आप देते हैं, कौन सा पैमाना है जिससे जान जाते हैं एक महीने का खर्चा २५ रुपये में चल जायगा, आई० टी० आई० में हर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को २५ रुपये प्रतिमास दिया जाय। आपने बताया कि अगर वह बीच में छोड़ कर चला जाता है तो जितना भी उसके प्रशिक्षण पर खर्चा हुआ है वह वसूल कर लिया जायगा। अगर वह इस स्थिति में होता कि जो पचास रुपये मिल रहा है वह वापस कर दे और उसमें अध्यापकों का वेतन भी शामिल कर लिया जाय, तो मशीनें खराब हुईं उसका भी पैसा जोड़ लिया जाय, अगर ऐसा विद्यार्थी होता तो आप के आई० टी० आई० में एडिमिशन ही नहीं लेता। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस बेकारी, भुखमरी और बेरोजगारी में कोई लड़का २५ रुपया पा रहा है और उसको बीच में कोई अच्छी जगह मिल जाय तो उसको चले जाने का अवसर प्रदान करना चाहिय। मान लीजिये कि कोई एलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग पा रहा है और उसको दो ढाई सौ रुपये की जगह मिल गयी तो उसको छूट होनी चाहिये कि वह वहां जा सके।

एक बात मैं आपके द्वारा और कह कर खत्म करता हूं। श्रम मंत्री द्वारा जो पुस्तिका निकली है इसमें खेतिहर मजदूर की परिभाषा नहीं दी हुई है। किस व्यक्ति को खेतिहर मजदूर समझेंगे, वह भूमिहीन होगा या भूमि वाले भी खेतिहर मजदूर समझे जायेंगे, जब तक इस प्रकार से परिभाषा नहीं हो जाती तब तक जिस आदमी के पास लाखों रुपया है वह भी भूमिहीन अपने को कह सकता है कि हमारे पास भूमि नहीं है। इसलिए इसकी साफ-साफ परिभाषा होनी चाहिए। इस प्रकार की योजना जो भूमिहीन मजदूरों के लिए बनायी जाती है उसमें बड़ी धांधली होती है। इन शब्दों के साथ मैं आपका और माननीय मंत्री का आभारी हूं जिन्होंने इस अनुदान को रखा है। जो अनुदान आपने रखा है वह श्रमिकों के लिये अपर्याप्त है। इससे कहीं ज्यादा मांग रखनी चाहिये क्योंकि श्रमिकों का मामला पूरे देश में एक समस्या बना हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री नित्यानन्द स्वामी।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) सवा चार बज गया है। आज समय है नहीं। दूसरे दिन अवसर मिलेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भी विचार प्रकट किये और मैं तो यहां तक कहूंगा कि माननीय मंत्री ने भी जो विचार प्रकट किये वे मेरी कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में ही है। इसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने स्थायी संराधन समिति की अन्त्येष्टि कर दी। सफेद हाथी था। काम कुछ नहीं था और खर्चा ज्यादा था। उसका विकल्प सोचना चाहिये। आपने कहा सोच रहे हैं। मैंने आपके भाषण को बहुत गौर से सुना।

आपने सभी बातों के लिये कहा कि सोच रहे हैं। मुझे आप इस बात का आश्वासन दें कि जो सोचने की प्राक्रिया है तो कहीं सोचने में इतना समय न लग जाय कि जिसमें मजदूर बेचारा मर जाय। एक निश्चित समय आप नियुक्त करें कि जो प्रमुख समस्यायें हैं उन पर आप निर्णय दे सकें।

यह चर्चा भी आई कि तीस दिन के बाद ताला बन्दी या हड़ताल इल्लीगल डिक्लेयर कर देंगे। आज भी मैं कह रहा हूं और पहले भी कहा था कि आप इल्लीगल डिक्लेयर कर दें जिससे समस्या हल नहीं होती। यमुना प्रोजेक्ट पर पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी काम कर रही है। ४५ दिन हड़ताल तथा तालाबन्दी के हो गये और ४५ दिन तक विवाद चलता रहा। दो लाख रुपये प्रति दिन का प्रदेश को नुकसान होता रहा। लाखों रुपये की मशीन पानी में डूब गयीं। मैंने गृह सचिव को ट्रंककाल तक किया। समस्या यह बन गयी कि कुछ हिस्सा हमारे प्रदेश में और कुछ हिस्सा हिमांचल प्रदेश में है इसलिये सरकार प्रभावी कुछ नहीं कर पायी और इसी बात में समस्या उलझी रही। इसी प्रकार एच० ई० एल० में जो हरद्वार में है, पिछले १ मास से भूख हड़ताल चल रही है। मजदूर अनशन कर रहे हैं। मामूली सी मांगे हैं। लेकिन श्रम विभाग इतनी रुचि नहीं लेता कि वहां जाकर देखे, दोनों को साथ बिठाये और बातचीत करा कर समस्या को हल करे। इस प्रकार एक समस्या नहीं है। अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो प्रदेश के अन्दर इतनी समस्यायें हैं जिनका हल श्रम विभाग नहीं निकाल पा रहा है और उससे यही प्रतीत होता है कि श्रम विभाग बड़ा आरामतलब है। सक्रिय नहीं है। उसको कुछ सक्रिय कीजिये। मौके पर जाकर अधिकारी समस्याओं को हल करें।

एक चर्चा की गयी एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज की। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी कहता हूं कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के अन्दर जो एक निगेटिव एलीमेन्ट है, उसे हटा दिया जाय। कुछ लोगों के नाम भेजे जायंगे और कुछ के नाम नहीं भेजे जायंगे, इसको हटा दीजिये। एक क्वालिफिकेशंस के ५० अभ्यर्थियों के नाम तो भेज दिये लेकिन ५० के नहीं भेजे हालांकि सभी एक ही क्वालिफिकेशंस के थे, यह जो निगेटिव एप्रोच है उसे आप हटा दें। जितने भी अभ्यर्थी एलिजिबिल हैं आप सब के नाम विभाग के पास भेज दें। वह टेस्ट लेगा और उन सब में से चुन लेगा। यह चीज हट जायगी तो हाई बर्किंग भी खत्म हो जायगी और रिश्वत भी खत्म हो जायगी।

आई० टी० आईज० के बारे में कहना चाहता हूं। ग्राइस साहब ने भी अभी मुझे उस सम्बन्ध में कहा था कि दो-दो साल तक वहां के लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते। इतना ही नहीं हम प्लान्ड शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं कि कितने व्यक्ति किस ट्रेड में चाहिये। अंधाधुन्ध लोगों को हर ट्रेड में ले लिया और वहां से पास होकर वह सड़कों पर घूमते हैं। लिहाजा प्लानिंग कीजिये और उसी हिसाब से ट्रेनिंग दीजिये जिस ट्रेड में जरूरत हो और दूसरे ट्रेड में कम करिये जहां जरूरत न हो। इस तरह से जो गलत बात हो रही है वह समाप्त हो जायगी।

हमारे प्रदेश के श्रम विभाग को समस्याओं पर बहुत कम रुचि भी है। प्रदेश की सरकार को उस रुचि को बढ़ाना होगा। मैं बढ़ाने की बात इसलिये कह रहा हूं कि जैसा कि इसके पूर्व अपने भाषण में कहा कि जितना उद्योगों के ऊपर हमको बल देना चाहिए था उतना नहीं दे पाये। हमें अपने श्रमिकों के वास्तविक सुधार के वास्ते जितना बल देना चाहिए था उतना बल हम लोग नहीं दे पाये हैं अगर हम उनके सुधार के वास्ते उनकी पर कैपिटा इन्कम पूरे देश की परकैपिटा इन्कम के बराबर कर पाये, उनकी सर्विस कंडीशन्स सही कर पाये, तो मेरा विश्वास है कि हमारा प्रदेश भी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में आगे रहेगा। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अपने मित्रों से कि जब भी श्रम समस्याओं पर विचार हो तो यह न समझा जाय कि इस सदन में दो पक्ष हैं। मैं यह जानता हूं कि जैसे स्वामी जी हैं, माननीय कल्पनाथ सिंह जी हैं, उनमें और मुझमें कभी भी दो राय मजदूरों के हितों के प्रश्नों पर हो ही नहीं सकती। मेरी प्रार्थना है कि दलगत या प्रश्नगत समस्याओं को लेकर श्रम समस्याओं पर विचार न किया जाय और जैसा कि मैंने पहले कहा कि शासन इस पर विचार कर रहा है। इस बात पर मे माननीय मित्र स्वामी जी नाराज हैं किन्तु मैं कहता हूं कि—

सुचिन्त्यचोक्तं, सुविचार्ययत्कृतं,
सुदीर्घ कालपि न याति विक्रियाम्।

तो किसी भी चीज को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस पर उनको नाराज नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस समस्या के ऊपर यह सारा सदन सोचे और इस सदन में ही नहीं सदन के बाहर और दूसरे उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग इस श्रमिक समस्या के ऊपर अपने सुझाव दें तो मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं अब कुछ समस्यायें बतलाता हूं। खेतिहर मजदूर की कीमत को जो उनका न्यूनतम वेतन था उसको दूना बढ़ाने के लिये हम स्टेप्स ले चुके हैं मगर गांव-गांव में जो खेतिहर मजदूर हैं उनके वेतनमान जो हमको तय करना है, मान लीजिये ढाई रुपया हम तय करते हैं तो उनको मनवाने के लिये हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुल २०० इन्सपेक्टर्स हैं। समस्या सिर्फ पे-फिक्स करना नहीं है, वह तो हम कर चुके हैं। अब इम्पलीमेन्टेशन की है...

श्री राम वचन—

खेतिहर मजदूरों का जो वेतन तय किया है उसका ऐलान कर दें।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

एक चीज तो यह है कि हम सभी के सुझावों का स्वागत करेंगे और कोई भी व्यक्ति मुझे चाहे इस सदन का हो या बाहर का हो, बतलाये जो वेज बोर्ड हम फिक्स करते हैं खेतिहर मजदूरों के लिये और उसका प्रभावशाली इम्पलीमेंटेशन के लिये मान लीजिये डेढ़ लाख गांव हैं और हमको ५० सौ या २० हजार लोग चाहिये तो कौन सी मशीनरी हम लें जिससे श्रेष्ठ इम्पलीमेन्टेशन हो सके। वैसे हमारे जो इन्सपेक्टर्स हैं वे इन कामों में लगे हुये हैं। गजेन्द्रगडकर जी ने लिखा है कि वह ओवर-वर्कड रहते हैं फैक्टरी लेबर की सेवा करने के लिये। उस चीज को बढ़ा करके हम स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज या काटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको २०-३० लाख श्रमिकों की सेवा में अग्रसर करना चाहते हैं। जहां तक मेरा खयाल है, केवल उनको मौजूदा श्रम कानून के अन्तर्गत जो लाभ मिले हुये हैं उससे उनके जीवन-स्तर में कोई बड़ा फर्क आने वाला नहीं है। हम अवश्य उनको लाभान्वित करेंगे मौजूदा कानूनों से, लेकिन जब तक उनका कोआपरेटाइजेशन नहीं होगा, प्लस यूनियानाइजेशन नहीं होगा तब तक छोटे-छोटे कारखानों, हैंडीक्राफ्टस में लगे हुये श्रमिकों का कल्याण नहीं होगा। इसलिये श्रम विभाग एक नयी दिशा में कोआपरेटिव विभाग से मिल कर या उद्योग में जो हमारे विभव जी हैं उनसे मिलकर कोई इस तरह की प्लान बनानी पड़ेगी, नयी प्रकार की यूनियनों की, जैसी कि भारतवर्ष में अभी नहीं हैं।

जो रिकग्नाइज्ड यूनियन्स ऐसी होंगी कि जब मेरे विभाग का यह पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ट्रेड यूनियन्स के अमेंडमेंट का बिल आवे तो उस वक्त आप सब लोग इन नियमों पर बहस करेंगे ही। उस वक्त यूनियनों के फंक्शंस, उनका आकार इन चीजों पर काफी असर होने वाला है। इसलिये मैं अभी कुछ नहीं कहता हूं। मैं अपने माननीय मित्र कल्पनाथ जी से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर से जो लेबर कोर्ट थोड़े दिनों के लिये कानपुर ले जा रहे हैं वहां का वर्क लोड इतना है कि बहुत वर्षों से मुकदमे पड़े हुये हैं। तो इलाहाबाद में जो लेबर कोर्ट है, हमहर महीने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१०-१५ रोज उस कोर्ट में भी मुकदमें भेजेंगे ताकि इस काम का निपटारा हो सके। फिलहाल ऐसी ही योजना है, मगर कोई मुस्तकिल योजना नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

गोरखपुर में ही उसे रहने दीजिये, कानपुर में कोई ऐडीशनल कोर्ट कायम कर दीजिये।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

नहीं, उतने पैसे में काम करना है। जब मुझसे यह कहते हैं कि प्रदेश के ढाई करोड़ लोगों को नौकरी दूं तब मुझे मालूम होता है कि आप लोग मुझसे नाराज हैं। मैं कुल ढाई करोड़ रुपया मांग रहा हूं—एक रुपये पर एक आदमी को नौकरी कराने की जिम्मेदारी आप मुझ पर डाल रहे हैं। इसके लिये जब सरकार समग्र रूप से चिन्तन करती है तब हमारा ऐसा देश जिसमें संसार में सबसे ज्यादा बेकार हों तब उसका फौजंग बरसों चलता है। १०-२० वर्ष तब कहीं यह मामला हल होता है। केवल मेरे विभाग से इसका जवाब-तबल मत करिये। मैं माननीय मित्र, कल्पनाथ जी की इस बात से सहमत हूं कि कानपुर के वह मिलमालिक, जो महापालिका से ३०-३०, ४०-४० एकड़ जमीन, ५०-५० एकड़ जमीन, मनोहरलाल जी ने भी कहा है—वर्कर्स के क्वार्टर्स के लिये बिलकुल रोअबे प्राइसेज पर २-४ आने कीमत पर ली हुई हैं और अब उन जमीनों की कीमत करोड़, २ करोड़ पये की है। वहां पर वर्कर्स क्वार्टर नहीं बने तो मैं यह समझता हूं कि वहां पर सरकार इंटरफियर करे।

श्री बंशीधर पांडय—

आप करेंगे या नहीं? यह तो मुनासिब बात है, जैसा कि आप स्वयं कहते हैं।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

यह मुनासिब बात है सिर्फ, उसका जिक्र है केवल।

श्री बंशीधर पांडेय—

व्यवस्था का विषय है। मंत्री जी अनिश्चित उत्तर देते हैं। सरकार तो ` हैं, उनको निश्चित उत्तर देना चाहिये।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मंत्री जी निश्चित उत्तर नहीं देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हमारी सरकार होने से भी इनकार कर रहे हो?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक श्रमिकों की आवास व्यवस्था का प्रश्न है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इस विषय में जो भी माननीय सदस्यों की भावनायें हैं वही भावनायें सरकार की भी हैं लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी वजह से बहुत नये काम और इमरजेंट काम हम कर नहीं पाते हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सरकार को वर्कर्स इन्डस्ट्रियल हाउसिंग कोआपरेटिव अगर बनें तो उनकी मदद करने में कोई कावट नहीं होगी। सरकार उनकी सहायता करने के लिये पूर्ण रूप से विचार करेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रमिक सहकारी समितियों की तो ऐसी दुर्दशा हो रही है, माननीय मंत्री जी दूसरे प्रकार की कोआपरेटिव क्यों खोलना चाहत हैं?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

इसका क्या जवाब दिया जा सकता है ? सरकार तो यथाशक्ति मदद ही कर सकती है। वे अच्छी चलती हैं या नहीं, इसका तो चलाने वालों पर निर्भर करता है।

आई० टी० आई० के बारे में जो भावनायें व्यक्त की गयीं, वही भावनायें हमारी भी हैं। हमें भी उन पर कोई गर्व नहीं है लेकिन हम उनकी तरक्की करने के लिये सतत् चिन्तित हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक दो साल के अन्दर ही आज जो आई० टी० आई० हैं, उनकी इमेज वैसी नहीं रहेगी। चारों ओर से ही उनकी तरक्की होगी और उनमें जितने भी रोग हैं, उनको निराकरण करने का प्रयत्न किया जायगा।

जो इन्डिविजुअल डिस्प्यूट की बात माननीय गंगा प्रसाद जी ने कही, उसकी मैं जांच कराऊंगा।

माननीय स्वामी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम जो आने वाला है उसमें, जैसा कि उन्होंने कहा टाइम बाउन्ड एडजुडिकेशन की बात हम सोच रहे हैं।

एक बात जरूर है कि आप सब लोग भी श्रमिकों को उतनी ही सफाई से बतायें जितनी सफाई से सरकार बताती है कि विश्व में जिस तेज रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं उसका शत प्रतिशत न्यूट्रेलाइजेशन वर्तमान परिस्थिति में नामुमकिन है। लिहाजा आप श्रमिक जगत को इस बात के लिये तैयार करें कि तनख्वाहें महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ सकेंगी। सैकिंड लाइन आफ डिफेन्स के तौर पर कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी जायें जो रोज-ब्रोज की उपभोग की वस्तुओं को सस्ते दामों पर दे सकें।

श्री इन्द्रमणी—

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि मजदूरों के इस बजट में बजाय बढ़ाने के और कमी कर दी गयी है। मैंने तो आशा की थी कि मंत्री जी और अधिक पैसा इस मद में रखेंगे लेकिन श्रम और सेवायोजन में २२ लाख रुपये की कमी कर दी गयी है। इसका क्या कारण है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

क्या आप २२ लाख में ही उत्तर प्रदेश के लिये समाजवाद खरीदना चाहते हैं ?

श्री इन्द्रमणी—

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि बजट में यह कमी क्यों कर दी गयी है ? सरकार ने किन मजदूर योजनाओं को समाप्त कर दिया है ? आपने अपने भाषण में कहा कि हम यह कानून बनायेंगे, वह कानून बनायेंगे लेकिन वित्त सचिव के स्मृति-पत्र में जो यह दिया हुआ है कि २२ लाख रुपये की कमी इस विभाग में कमी कर दी जाय, मैं इसका उत्तर आपसे चाहता हूं कि यह क्यों है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मेरे माननीय मित्रों ने जो बातें कही हैं, एक एक का जवाब देना चाहता हूं।

बोनस के संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। श्री नित्यानन्द स्वामी के प्रश्न के उत्तर में . . .

श्री इन्द्रमणी—

मेरा जवाब नहीं मिला, इसका बजट से संबंध है, श्रीमन्।

श्री कृष्णानन्द राय—

ऐसा मालूम होता है कि श्रम मंत्री जी ने अपने डिपार्टमेंट का बजट पढ़ा नहीं है इसलिये वे इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

ऐसी उजलत क्या है? बात यह है कि और विभागों में काफी कटौती करनी पड़ी है। उसी हिसाब से इसमें भी थोड़ी कटौती हो सकती है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

पंडित जी के डिस्क्रिशनरी फंड में तो और बढ़ोत्तरी हो गयी है, ७५ हजार से शायद १ लाख हो गया है, फिर आप कमी की बात कैसे कहते हैं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस सेवा योजकों द्वारा की जाती है लेकिन अभी तक कोई कानून ऐसा नहीं है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस या अनफेयर इम्पलायर प्रैक्टिस को निर्धारित कर दें । उसके लिये अब कानून बनने वाला है ।

श्री इन्द्रमणि--

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के संबंध में वित्त सचिव के स्मृति-पत्र से मैंने दो लाइनें पढ़ कर बतलायी कि २२ लाख रुपये की कमी श्रम विभाग में इस वर्ष की गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया कि चूंकि कटौती सभी जगह हुई है, उसी हिसाब से इसमें भी हुई है ।

श्री इन्द्रमणि--

श्रीमन्, इस साल के बजट में और गत वर्ष के बजट में बड़ा अन्तर है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मजदूरों के लिये यह सबसे बड़ा विभाग है, तो इसमें क्यों इतनी कटौती कर दी गई है?

श्री कृष्णानन्द राय--

मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी ने अपने अधिकारियों से इस सम्बन्ध में पूछा नहीं है। जब सारे प्रदेश के बजट में ४२ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है तो इतनी लम्बी कटौती श्रम विभाग में क्यों हुई है, यह माननीय मंत्री जी ने बतलाया नहीं । माननीय मंत्री जी अपने विभाग के अधिकारियों से पूछ लें कि क्यों मजदूरों के बजट में इतनी लम्बी कटौती कर दी गयी है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं शान्तिपूर्वक प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उठाये गये प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे दूं और यह चीज आपको मालूम ही है कि कोई विशेष बात है । तो जैसा कि आप चिट्ठी लिख कर पूछते रहे हैं वैसे ही मैं भी पूछ लूंगा । इसमें कोई बड़ी बात नहीं है । मेरे पास जवाब देने के लिये बहुत से कागज हैं । आप इसके लिये सदन की कार्यवाही एक मिनट के लिये न रोकें, दो मिनट में आपको बतला दूंगा ।

बहराइच की मशीनों के बारे में एक मित्र ने कहा कि उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है और कई लाख रुपये की मशीनें वहां अनयूज्ड पड़ी हैं । ऐसी कोई इत्तिला मुझे नहीं है । अगर मुझे यह बतला दिया जायगा कि लाखों रुपये की मशीनरी जैसा कि कहा जाता है कि ३५ मशीनों के स्थानान्तरण की बात है, और वे सरप्लस में हैं, तो मैं इस मामले को देखूंगा । बहरहाल, यह बात सही नहीं है कि लाखों रुपये की मशीनें अनयूज्ड पड़ी हैं । जो मैंने पहले कहा था कि क्यों ढाई लाख रुपये की मशीनरी इस वक्त अनयूज्ड पड़ी है, उतनी ही इत्तला मेरे पास है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने मेरे लिखित प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा की जांच करने के लिये सरकार कोई कमीशन बिठायेगी । तो वह कमीशन कब तक बैठेगा ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

राज्य श्रम पुनर्गठन आयोग जो आलरेडी बैठा हुआ है उसके कार्य क्षेत्र में खेतिहर मजदूरों की कार्य दशाओं की जांच करना और उस पर अपनी अनुशंसायें देना शामिल है । उसको आप यों समझ लीजिये कि जो अथारिटी उस आयोग की है उसको एग्जामिन कर लिया गया है और वह खेतिहर मजदूरों के बारे में जांच करने के लिये काम्पीटेंट है ।

श्री महीलाल---

क्या खेतिहर मजदूरों के लिये कोई अलग से प्रश्नावली इत्यादि तैयार की गयी है या उसने उसके लिये अलग से कोई सब-कमेटी बनायी है जो कि विशेष रूप से खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को देखेगी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

राज्य श्रम पुनर्गठन आयोग इसके बारे में कोई उप समिति बना कर काम करना चाहता है या कोई क्वेश्चनेयर इश्यू करना चाहता है, यह उसका काम है । उससे पूछ कर हम अवश्य सूचना देंगे ।

श्री महीलाल---

सरकार भी तो कोई डायरेक्टिव दे सकती है खेतिहर मजदूरों के बारे में । उसने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

हमने जब एक आयोग बना दिया और उसके कार्य क्षेत्र में खेतिहर मजदूर आते हैं तो उसको इतनी स्वतंत्रता तो मिलनी ही चाहिये कि वह अपने ढंग से इस प्रश्न का अध्ययन करे । फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो उनकी राय हम उस आयोग के पास तक पहुंचा देंगे ।

श्री महीलाल---

उस आयोग की राय कब तक सरकार के सामने या सदन के सामने आ जायेगी ? कोई समय निश्चित किया है या असीमित समय तक वह विचार करता रहेगा ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

उस आयोग ने दस महीने बाद तो काम आरम्भ किया है । मेरा खयाल है अभी दो महीने भी नहीं हुये हैं उसको कार्य करते हुये । और जब कोई भी ऐसा कमीशन बैठता है तो औसतन दो, तीन वर्ष लगते हैं । तो अभी दो महीने में विकल होने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण और चाहूंगा । माननीय मंत्री जी स्वयं एक वेटरन लेबरलीडर रह चुके हैं । आमतौर से सेवा योजक वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं करते । सेवा योजकों को मजबूर करने के लिये कि वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू की जायं, सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मैं यह चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मौजूदा कानूनों में अवार्ड्स आर्डर नहीं समझे जाते हैं, ऐसा हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का व्यू हो गया है। लिहाजा अब हम स बात की कोशिश में हैं, हम उसके कानूनी पहलू पर विचार कर रहे हैं, कि जो आपरेटिव पोर्शन्स हों वेज बोर्ड के, अवार्ड्स के उनको अपने मौजूदा कानूनों में किस धारा के अन्तगत लागू कर सकते हैं। तब वह आर्डर हो जायेंगे, अभी नहीं। फिर जो कानून शिकनी करेगा वह दंडनीय हो जायगा। अवार्ड्स को न मानने वाले मालिक मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत दंडनीय नहीं हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

आई० टी० आई० से बहुत विद्यार्थी हर साल निकलते हैं उनकी जगह के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि जो ट्रेन्ड विद्यार्थी ह उनके लिये कोई व्यवस्था की जाय?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जब आई० टी० आई० से प्रशिक्षार्थी श्रेष्ठ शिक्षा लेकर निकलते हैं तो जैसा कि मैसूर में है वहां पर मालिकान ४, ४ महीने तक उन शिक्षार्थियों का वेट करते हैं, वे कहते हैं कि उनको निकलते ही हमारे यहां भेज दिया जाय। वहां पर शिक्षा इतनी उत्तम है कि वहां के शिक्षार्थियों की तुरन्त ही व्यवस्था हो जाती है। यहां पर ऐसा है कि यहां जो एलेक्ट्रिशियन निकलते हैं वे चपरासी की जगह ढूंढ़ते हैं। यहां की शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तो उनको स्वाभाविक रूप से यहां पर ले लिया जाया करेगा और कहीं न कहीं वे खप जायंगे।

कुंवर चन्द्र प्रताप नरायन सिंह (जिला देवरिया)—

अगर उन आई० टी० आई० संस्थाओं का स्तर नीचा है तो उनको क्यों खोल कर रखा गया है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

आई टी० आई० के स्तर को ऊंचा करने का हमारा संकल्प बड़ा पवित्र संकल्प है। हम निश्चय ही उसकी इमेज को आज से अच्छी बनायेंगे।

कुंवर चन्द्र प्रताप नरायन सिंह—

क्या आप कोई निश्चित समय बतायेंगे कि कब तक उनका स्तर ऊंचा हो जाएगा?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

निश्चय समय बताना मुनासिब नहीं है और न इसके लिये कोई निश्चित समय ही बताया जा सकता है। ये बड़े काम हैं।

श्री गोविन्दसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार सिद्धान्त रूप से इस उसूल को स्वीकार कर चुकी है कि गुप्त मतदान के आधार पर जो मजदूरों की मान्यता प्राप्त यूनियन हैं, उनको मान्यता दी जायगी?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा निवेदन है कि अब मंत्री जी पर रहम किया जाय।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

फिलहाल ऐसा ही विचार है।

श्री रामसागर (जिला जौनपुर)---

जो पे कमीशन गठित किया गया है उसने अगर निम्नतम मजदूरी खेतिहर मजदूरों के लिये निर्धारित की और देहात के रहने वाले लोग यह कह कर टाल देते हैं कि हमारी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि सरकार ने जो निम्नतम मजदूरी निर्धारित की है उसको दे सकें, तो न वे मजदूरों को काम देंगे और न मजदूरी, तो ऐसी हालत में आपके पास क्या साधन है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

जब निम्नतम वेतन तय करते हैं तो ३ महीने की उजरदारी का समय देते हैं कि यह उस क्षेत्र के लिये उचित नहीं है। सम्बन्धित सेवायोजक उजरदारी करते हैं तब ३ मास के बाद फाइनल होता है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सेवायोजन कार्यालय को सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि...

(मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मैं कह रहा था कि सदन में इस समय माननीय श्रम मंत्री जी बहस का उत्तर दे रहे हैं और यह प्रश्नोत्तर का समय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर वे ईल्ड करें और माननीय सदस्यों की बातों को सुनकर उत्तर दें तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि यह प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। अगर माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए कोई समय रख लिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय सदस्य प्रश्नोत्तर इसलिए करते हैं कि जो जूनियर अध्यापक हैं वे पाठ पढ़ कर नहीं आये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

माननीय गणेश दत्त जी को लेबर के मामले में इतना ज्ञान है कि हमको और आपको अभी १० साल पढ़ा सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

पढ़ा जरूर [illegible] किन मंत्री का काम अलग ही होता है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २७--- श्रम तथा सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त २,५४,४८,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५६ के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुयी है जो माननीय हिम्मत सिंह, मोहनलाल कपूर और कल्याण सिंह जी की ओर से है जिसमें हिन्दालिको, रैनुकोट जिला मिर्जापुर के ५ कर्मचारी नेताओं का पुलिस द्वारा पीटा जाना तथा गिरफ्तार किया जाना वर्णित है। लेकिन यह अविलंबनीय महत्व का प्रश्न नहीं है परन्तु यदि आप चाहें तो इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, नियम ५१ में मैंने एक सूचना दी थी कि सुल्तानपुर जिले में एक सिपाही ने एक व्यक्ति को फुटबाल बना कर ठोकर मारी और मार डाला।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो सिर्फ मैंने नियम ५६ का जिक्र किया।

श्री बब्बन सिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैंने भी एक नोटिस दिया है, वह बड़ा ही आवश्यक है।

(कुछ तार दिखाते हुए)

श्री उपाध्यक्ष--

क्या यह नियम ५१ में है या ५६ में?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, माननीय बब्बन सिंह जी का कहना है कि उन्होंने एक सूचना दी है कि उनके क्षेत्र में थाना बंथरा व सियर के थाने के लोगों ने एक आदमी को थाने में ले जाकर मारा है और उसकी साइकिल छीन ली है। ये श्रीमन्, टेलीग्राम भी दिखा रहे हैं। तो आप इसे कम से कम मुख्य मंत्री जी के पास भेज दें जिससे वे सम्बन्धित जिलाधीश से मालूम करा सकें और उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी दे सकें। उन्हीं टेलीग्राम्स को माननीय सदस्य दिखा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मशविरा देता हूं।

माननीय हरिवंश सहाय जी ने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी है कि घाघरा, राप्ती, गौरा, छोटी गंडक तथा खनुवा नदियों में बाढ़ से देवरिया जिले के अनेकों गांव प्रभावित हो गये हैं। इसको मैंने स्वीकार किया है। बाढ़ के बारे में जो वक्तव्य होगा उसमें इसका भी जवाब दिया जायेगा।

[श्री उपाध्यक्ष—]

माननीय सजीवनलाल न नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी है कि मुर्गी पालन की तकावी की किस्त न देने के कारण, अतिवृष्टि से क्षति होने के उपरान्त भी, सुरेन्द्र नाथ भारती, ग्राम मैन्थर, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव की गिरफ्तारी की गई है। यह भी बाढ़ वाले वक्तव्य में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी ने सूचना दी है नियम ५१ में कि वाराणसी और आजमगढ़ में नाव डूबने से सैकड़ों व्यक्तियों की मौतें हुई हैं। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

शेष अस्वीकार किये गये हैं। लेकिन उनके बारे में अल्पसूचित प्रश्न किये जा सकते हैं। जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने सवाल उठाया है, उस पर पुलिस बजट पर भी यह बात कही जा सकती है और अल्पसूचित प्रश्न कर लें, उसका भी जवाब दिया जायेगा। लेकिन इस तरह की घटनायें अनेक हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय मुख्य मंत्री जी के पास शिकायत चली जायेगी तो उस पर ऐक्शन हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

भेज तो देते ही हैं।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी कि एक पुलिस कांस्टेबुल ने अलीगंज बाजार, सुल्तानपुर शहर में। एक व्यक्ति को घसीट-घसीट कर मारा और उसको मार देने के बाद उसकी लाश को भी वह गायब कर देना चाहता था। उपाध्यक्ष महोदय, इससे महत्वपूर्ण विषय और क्या हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें और पुलिस बजट में भी उसका जिक्र कर सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

जो पांडेय जी कह रहे हैं उसी पर नियम ५१ में मैंने सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय कृष्णानन्द राय ने कहा तो माननीय बब्बन का प्रश्न है, उस पर भी कार्यवाही हो जायेगी।

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर अध्यक्ष महोदय की ऐसी रूलिंग है कि अगर लोक महत्व के कार्यक्रम प्रस्तुत हों और बजट पर विवाद भी होने वाला हो तो लोक महत्व के प्रश्न को लिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई तर्क नहीं है। इस पर अल्पसूचित प्रश्न किया जा सकता है।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप उस पर बयान करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

श्री बंशीधर पांडेय---

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा उन्होंने कहा कि इस प्रकार किसी सिपाही ने कोतवाली में उस व्यक्ति को मार-मार कर मार डाला और लाश भी गायब करने की बात की....

श्री शिवकुमार पांडेय---

खुले बाजार में रास्ते में मारा है जैसा कि कुत्ते को भी नहीं मारा जाता। चार बजे दिन में मारा है, भरे बाजार में मारा है। पब्लिक के बीच में मारा है.....

श्री उपाध्यक्ष---

इसको कार्यवाही के लिये माननीय मुख्य मंत्री को भेज दिया जाय। इससे अगर आप संतुष्ट हो जायेंगे कि कार्यवाही नहीं हुई, तब आगे उठाइये।

श्री शिवकुमार पांडेय---

श्रीमन्, इस पर दो घंटे की चर्चा करा दें। आप स्वयं देखें कि एक आदमी को घसीटकर पुलिस के सिपाही ने मार डाला है....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, उसको फुटबाल की तरह ठोकर मार-मार कर मार डाला है। ऐसा तो ब्रिटिश काल में भी नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मैंने २० तारीख को नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आई० जी० को टेलीफोन कर दिया था। कहना यह है कि चन्दौसी शहर में एक सिनेमा के मालिक ने, जो कि बड़ा धनपति है एक अनुसूचित जाति की बस्ती पर गोली चलवायी ह, बीसों आदमी जख्मी हुए हैं, मुहल्ले को लूटा गया है, चारों तरफ आतंक है, लेकिन कल शाम तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं मुख्य मंत्री जी से मिला था। उन्होंने आई० जी० से कहा। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपने भी उसको स्वीकार नहीं किया। यह बड़े लोकमहत्व का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह गृह मंत्री जी को कार्यवाही के लिए भेज दिया जायगा और आप अल्पसूचित प्रश्न करेंगे तो वह स्वीकार किया जायगा।

अब हम कल ११ बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२६ जुलाई, १९७१।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अल्प सूचित ता० प्र० संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

उत्तर प्रदेशीय विधान मंडल कांग्रेस पार्टी

८, विधान भवन,
लखनऊ, ६ जुलाई, १९७१

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

महोदय,

मुझे खेद है कि एक अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना सर्वप्रथम आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं। मुझे अत्यन्त विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मेरठ शहर में गढ़रोड चुंगी के पास (सरकारी रोडवेज बस स्टैन्ड) बस स्टेशन के लिये सरकार ने एक जमीन ली थी। भूमि अधिगृहण की सारी प्रक्रियायें हो चुकी थीं। उस जमीन का मुआवजा जमीन के मालिक को करीब एक लाख रुपये मिल चुका था, जमीन पर सरकारी कब्जा हो चुका था, इसी बीच एक विचित्र घटना हुई। जमीन का मालिक किसी तरह अपनी जमीन निकालना चाहता था क्योंकि वहां पर जमीन की कीमत २० गुना हो गई है। श्री उमादत्त शर्मा, राज्य मंत्री ने उस जमीन को मुक्त कराने के लिये एक लाख रुपये लिये, उन्होंने जमीन के मालिक से यह कहा कि यह रुपया ऊपर खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद श्री बलराम सिंह यादव, परिवहन मंत्री ने उक्त भूमि को मुक्त करने का आदेश दे दिया। यह खबर मेरठ पहुंची और इसको लेकर बहुत से लोगों ने जिसमें सत्तारूढ़ दल के विधायक एवं प्रमुख कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं, ने परिवहन मंत्री से यह शिकायत की कि श्री उमादत्त शर्मा, राज्यमंत्री ने एक लाख रुपया लेकर यह एक अत्यन्त ही अनुचित कार्य आपसे कराया है। परिवहन मंत्री इस शिकायत के बाद इस घटना की जांच करने २७ व २८ जून, १९७१ को मेरठ गये। दुर्भाग्य या सौभाग्य से २६ जून, १९७१ को मैं भी अपने दल के एक शिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु मेरठ पहुंचा और सारा घटना-चक्र चौराहे पर ही मालूम हो गया। यहां लौटने पर मुझे यह खबर मिली कि श्री बलराम सिंह, परिवहन मंत्री के साथ ही श्री उमादत्त शर्मा जी भी मौके पर पहुंचे और वहां उन्होंने इस बात की बड़े जोर की वकालत की कि यह जमीन छोड़ दी जाय, वहां सैकड़ों आदमी उपस्थित थे। लोगों ने श्री उमादत्त जी के बयान का जोरदार विरोध किया और यह भी कहा कि इस मामले में रिश्वत ली गई है। विरोध करने वालों में सत्तारूढ़ दल के जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अब्दुल हलीम खां, श्री आशाराम इन्दु, विधायक, प्रसिद्ध युवक नेता श्री धीरेन्द्र सिंह त्यागी, श्री वैद्य रामस्वरूप, श्री सुरेन्द्र पाल त्यागी आदि लोग प्रमुख थे।

मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस मामले की जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे और जांच तथा कार्यवाही की रिपोर्ट से दोनों सदनों को अवगत करायेंगे। यों तो आप शंकर की नगरी काशी के रहने वाले हैं फिर भी मुझे विश्वास है यह विषपान आप नहीं करेंगे। यह भी मेरा आपसे साग्रह निवेदन है कि परिवहन मंत्री के आदेश को रद्द करें।

आपका,

(ह०) गौरीशंकर राय,
सदस्य, विधान परिषद्,
मोतीमहल, लखनऊ।

६ जलाई, १९७१

प्रतिलिपि सेवा में:--

१--माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, नेता, विधान मंडल कांग्रेस दल।
२--माननीय श्री चौ० चरण सिंह, नेता, विधान मंडल, भा० क्रा० दल।
३--माननीय चौ० गिरधारीलाल, नेता विरोधी दल, उ० प्र०, लखनऊ।
४--श्री अनन्तराम जायसवाल, नेता, संसोपा विधायक दल।
५--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, नेता, जनसंघ विधायक दल।
६--श्री गोबिन्द सिंह नेगी, नेता, भा० कम्युनिस्ट विधायक दल।
७--माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
८--श्री उमादत्त शर्मा, राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
९--श्री बलराम सिंह यादव, परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
१०--श्री आशाराम इन्दु, एम० एल० ए०, मेरठ।

मेरठ शहर में रोडवेज के लिये सोहराब गेट के पास बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि की अध्याप्ति के संबंध में मैंने श्री गौरी शंकर राय, एम० एल० सी०, का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित दिनांक ६ जुलाई, १९७१ का पत्र तथा उसमें दिये आरोपों को देखा।

२--यह आरोप बिल्कुल असत्य, आधारहीन तथा राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित हैं, मुझे आश्चर्य है कि मेरठ के क्षेत्र से दूर रहने वाले तथा क्षेत्रीय समस्याओं से बिल्कुल ही अनभिज्ञ, श्री राय ने बिना तथ्यों को जाने हुये इस प्रकार का आरोप लगाना उपयुक्त समझा है।

३--रोडवेज की ओर से मेरठ शहर में गढ़ सड़क पर सोहराब गेट के पास बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि की अध्याप्ति का प्रश्न काफी अरसे से चल रहा है। मुझे यह बताया गया कि जो भूमि अध्याप्ति की जा रही है वह कृषि योग्य और उर्वर भूमि है। इसके स्थान पर रोडवेज वाले चाहें तो दूसरा स्थान तलाश कर सकते हैं और जिन लोगों की यह भूमि है उनसे ले लेना उनके साथ ज्यादती होगी। विधायक के नाते भू-स्वामियों का आवेदन पत्र मैंने २४ अप्रैल, १९७१ को परिवहन मंत्री जी को अग्रसारित करते हुये उनसे यह अनुरोध किया था कि इस भूमि को छोड़ दिया जाय। २५ मई, १९७१ को मैंने परिवहन मंत्री जी को यह स्मरण दिलाया कि अगर पूर्व पत्र पर कोई अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है तो उस पर शीघ्र निर्णय किया जाय। इस बीच जब मैं मेरठ गया तो लोगों ने मेरे सामने यह आग्रह किया कि जहां यह भूमि अध्याप्त की जा रही है उसके ठीक सामने एक शिक्षा संस्था और स्कूल के बच्चों का क्रीड़ा स्थल है, यह स्थान आबादी के बीच में है और इसलिए बस स्टेशन किसी और स्थान पर बनाना चाहिए। ३१ मई, १९७१ को मैंने परिवहन मंत्री जी को इस सम्बन्ध में एक नोट भेजा और उनसे फिर आग्रह किया कि इस सम्बन्ध में मेरे पूर्व अनुरोध पर शीघ्र आदेश दिये जायं। परिवहन मंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और विभागीय अधिकारियों को बस स्टेशन के लिये वैकल्पिक स्थान तलाश करने के लिये आदेश दिये गये। मुझे ऐसा लगा कि विभागीय अधिकारी अध्याप्ति भूमि को छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। परिवहन मंत्री जी २८ जून को मेरठ में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चर्चित भूमि का मौका देख लेना उचित होगा, और आप भी साथ रहें। अस्तु मैं उनके साथ मौके पर गया और वहां भी मैंने अपनी यह राय दोहरायी कि इस भूमि को छोड़ कर अन्यत्र भूमि तलाश करनी चाहिये।

४--श्रीमन्, क्षेत्रीय जनता की कठिनाइयों को शासन के सामने लाने का और बलपूर्वक आग्रह से इन कठिनाइयों का निराकरण करने का विधायक का अमूल्य अधिकार है। यह अधिकार शासन के सबस्य हो जाने के बाद समाप्त नहीं होता। इस मामले में मेरी यह धारणा थी कि

जिन लोगों की जमीन ली जा रही है उनके साथ ज्यादती हो रही है और चूंकि विभाग ने एक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है इसलिए वह अपने निर्णय को बदलना नहीं चाहता। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने विभाग को इस भूमि को छोड़ने के लिये आग्रह किया था। यह आरोप असत्य की पराकाष्ठा है कि मैंने एक लाख रुपया लेकर यह सुझाव दिया। सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में किसी भी दल के प्रत्येक राजनैतिक कार्यकर्ता को किसी प्रश्न या प्रश्नों के पक्ष या विपक्ष में रोजाना राय बनानी पड़ती है। मुझे इस बात का गहरा दुःख है कि मेरे साथी, माननीय श्री गौरी शंकर राय ने इस मामले में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एक दूसरा चित्र रखने का प्रयास किया है। मैं मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई यह प्रमाणित कर दे कि मैंने इस भूमि को छोड़ने की संस्तुति किसी आर्थिक लाभ की भावना से प्रेरित होकर की थी तो शासन की सदस्यता क्या, मैं राजनीतिक जीवन को भी छोड़ देने को तैयार हूं।

२४ जुलाई, १९७१

(ह०) उमादत्त शर्मा,
राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन,

मेरठ शहर में मेरठ गढ़ सड़क पर सोहराबगेट बस स्टेशन की भूमि अर्जन के संबंध में

मेरठ शहर में सोहराब गेट बस स्टशन के लिये भूमि अर्जन के संबंध में श्री गौरी शंकर राय का मुख्य मंत्री जी को संबोधित जुलाई ६, १९७१ का पत्र मैंने देखा। इसमें दिये गये आरोप तथ्य से परे और नितान्त ही निराधार हैं। वस्तु स्थिति निम्नवत् है :

२---मेरठ शहर में गढ़ रोड पर एक बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि अर्जन की कार्यवाही अर्से से चल रही थी। अर्जित होने वाली भूमि का क्षेत्रफल ७ बीघा १ बिस्वा है और इस का स्वामित्व, सर्वश्री मुहम्मद इदरीस, अब्दुल अजीज, टल्लो और हनीफ का था। इसके संबंध में शासन के स्तर से भूमि अध्याप्ति की विज्ञप्ति फरवरी २८, १९६७ को जारी की गई थी। भूमि अध्याप्ति के अन्य कार्यविधियों के पूरा होने पर जिला अधिकारी ने भूमि का मुआविजा २३ अक्टूबर, १९७० को घोषित किया। जिसमें कुल मुआवजा १,१७,८६७ रु० दिलाया गया। जिला अधिकारी ने उत्तर प्रदेश रोडवेज को इस भूमि पर कब्जा ११ नवम्बर, १९७० को दिलाया। जिला अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध भूमि स्वामी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका ले गये और वहां से अप्रैल ३०, १९७१ को यह अन्तरिम रोक आदेश प्राप्त किया कि याचिका के निर्णय तक उत्तर प्रदेश रोडवेज इस भूमि पर कोई निर्माण न करे और न ही बसें खड़ी करें। यह अन्तरिम रोक अभी भी लगा हुआ है।

३---अप्रैल २४, १९७१ को श्री उमादत्त शर्मा जो उस समय शासन के सदस्य नहीं थे, ने मेरठ जिले से एक विधायक के नाते भूमि स्वामियों का एक आवेदन-पत्र मेरे पास अग्रसारित करते हुये यह कहा कि यह उपजाऊ भूमि है और इसकी अध्याप्ति न की जाय। इस पर मैंने यह आदेश दिया कि फिलहाल विभागीय कार्यवाही रोक दी जाय तथा इसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। इस संबंध में २५ मई, १९७१ को श्री उमादत्त शर्मा ने, जो उस समय शासन के सदस्य हो चुके थे, मुझे याद दिलाया। इसके बाद उन्होंने मुझे ३१ मई, १९७१ को एक नोट भेजा कि जब यह मेरठ गये थे तो वहां के नागरिकों का एक शिष्ट मंडल उनसे मिला था, उन्होंने मौके का निरीक्षण किया था और उन्होंने यह संस्तुति की कि इस भूमि को छोड़ दिया जाय तथा बस स्टेशन के लिये कोई दूसरी भूमि तलाश की जाय। इस पर ३१ मई, १९७१ को मैंने यह आदेश दिया कि राज्य मंत्री जी के प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही की जाय। इस पर परिवहन आयुक्त को विभाग से यह आदेश भेजा गया कि वे बस स्टेशन के लिये दूसरी

वैकल्पिक भूमि तलाश करें और शासन के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही के संबंध में अपनी आख्या भेजें। जून २८, १९७१ को मैं मेरठ में था तभी मैंने यह उपयुक्त समझा कि राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन के साथ चर्चित भूमि को देख लूं। मुझको कोई ऐसी शिकायत कभी नहीं की गई जिसका उल्लेख श्री गौरी शंकर राय ने अपने पत्र में किया है। विभागीय दृष्टिकोण यह था कि बस स्टेशन के लिये कोई दूसरा उपयुक्त स्थान न मिल सकेगा और भूमि न छोड़ी जाय। मौके पर सभी दृष्टिकोणों को सुन लेने के बाद विभागीय दृष्टिकोण मुझे उचित लगा। लखनऊ आने पर और तत्सम्बन्धी परिवहन आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् मैंने यह आदेश दिया कि यह भूमि न छोड़ी जाय। इसके अनुसार परिवहन आयुक्त को आदेश जारी किये गये।

२४ जुलाई, १९७१

(ह०) बलराम सिंह यादव,
परिवहन मंत्री।

नत्थी "ख"

(देखिये ता० प्र० ३५ का उत्तर पिछले पृष्ठ २६ पर)

१—हेड वार्डर—हरीशचन्द्र	..	इन कर्मचारियों के खिलाफ विभागिक कार्यवाही आरम्भ हो गई थी परन्तु सी० आई० डी० की चल रही जांच के कारण अग्रिम कार्यवाही रुकी रहेगी।
२—वार्डर—इक्लाक अहमद		
३—वार्डर—गजोधर प्रसाद	..	
४—वार्डर—चन्द्र भूषण	..	
५—वार्डर—नयाज अहमद		
६—आर० डब्लू०—बहादुर सिंह	..	
७—सहायक जेलर—कृष्ण कुमार श्रीवास्तव		
८—उप जेलर—जालपा प्रसाद श्रीवास्तव		
९—बन्दी नम्बरदार—शफीक	..	इनकी तीस दिन की सारी उपार्जित परिहार जब्त कर ली गई है तथा उन्हें परिहार प्रथा के लाभ से वंचित कर दिया गया है। इनके अभियोगी होने के विषय में आगामी जांच की जा रही है।
१०—बन्दी नम्बरदार—वासुदेव	..	इसकी १२ दिन की उपार्जित परिहार जब्त कर ली गई है।
११—बन्दी नम्बरदार—अनन्तू	..	इसकी २०० दिन की उपार्जित परिहार जब्त कर ली गई है।

नत्थी "ग"

(देखिये ता० प्र० ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

विवरण

कानपुर कोषागार में हुए गबन की वास्तविकता यह है कि दिनांक १७ मार्च, १९७१ को आयुक्त, इलाहाबाद मंडल ने कानपुर कोषागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बीच जब उन्होंने यह पाया कि फरवरी, १९७१ में हु आबकारी की दुकानों के नीलाम के लाइसेंस फीस की अग्रिम किस्त की धनराशि खजाने में देर से जमा की गई है तथा उसका कोई इन्दराज खजाने के अभिलेखों में नहीं किया गया है, तो उन्होंने इस रुपये को र से जमा करने के कारणों की ओर उनके लिये अधिकारियों, कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित करने हेतु जिलाधिकारी को जांच करने का आदेश दिया। जांच के फलस्वरूप अब तक कुल रु० १,१३,६८४.५५ का गबन खजांची के एजेंट द्वारा किया गया प्रकाश में आया है। सरकारी धनराशि की हानि की आशंका नहीं है क्योंकि शासन के पास कोषागार के खजांची की डेढ़ लाख पये की जमानत है। जांच अभी जारी है, मामला पुलिस को सौंप दिया गया है। खजांची के जेंट को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। शासन ने महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भी आदेश दिये हैं कि व कानपुर कोषागार के खों का विशेष सम्प्रेक्षण करें। चूंकि जांच अभी जारी है, अस्तु किसी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं हो पाया है। फिलहाल निष्पक्ष जांच करने के उद्देश्य से वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर को स्थानान्तरित किया गया है और आबकारी तथा नियुक्ति विभाग के प्रशासनाधीन सम्बन्धित अधिकारियों के स्थानान्तरण के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु नियुक्ति तथा आबकारी विभाग से कहा गया है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०४ एल० ए०—१९७१—८४५।